नेपाल के प्रजातांत्रिकरण में प्रिन्ट मीडिया की भूमिका
(1990 के पश्चात)

एम. फिल उपाधि हेतु प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध

शान्तेष कुमार सिंह

दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान
दक्षिण, मध्य, दक्षिण-पूर्व एशियाई एवं दक्षिण-पश्चिम प्रशान्त
अध्ययन केन्द्र
अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली-110067
भारत
2005

CENTRE FOR SOUTH, CENTRAL, SOUTHEAST ASIAN & SOUTH WEST PACIFIC STUDIES
SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY
NEW DELHI - 110 067

Phone : 26704350
Fax : 91-11-2616 5886
91-11-2619 8234

29 July 2004

CERTIFICATE

Certified that the dissertation entitled, **"THE ROLE OF PRINT MEDIA IN DEMOCRATIZATION OF NEPAL (AFTER 1990)"** ("नेपाल के प्रजातांत्रिकरण में प्रिन्ट मीडिया की भूमिका (1990 के पश्चात्)"), submitted by me in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree of **MASTER OF PHILOSOPHY**, has not been previously submitted for any other degree of this or any other university and is my own work.

(Shantesh Kumar Singh)

We recommend that this dissertation may be placed before the examiners for evaluation.

(Prof. Mahendra P. Lama)
Chairperson

(Prof. Mahendra P. Lama)
Supervisor

SUPERVISOR
Centre for South, Central, South East
Asian and South West Pacific Studies
School of International Studies
Jawaharlal Nehru University
New Delhi-110067

पूजनीय माताजी, पिताजी

और

भाईजी को समर्पित

अनुक्रमणिका

अध्याय क्र.सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ संख्या
	आभार	i-ii
	आमुख	iii-iv
अध्याय 1 :	प्रस्तावना: सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य	1–24
अध्याय 2 :	मीडिया और राजनीतिक विकास: ऐतिहासिक रूपरेखा और प्रवृति	25–67
अध्याय 3 :	1990 के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता: उपलब्धियां और कमजोरियॉ	68–100
अध्याय 4 :	नेपाल में मीडिया और लोकतांत्रिक विकास: चुनौतियॉ	101–137
अध्याय 5:	निष्कर्ष	138–146
	सन्दर्भ ग्रन्थ सूची	147–157
चित्र संख्या	1.1	8
	1.2	14
सारणी संख्या	2.1	50
	2.2	52
	3.1	89
	3.2	89
	3.3	90
	3.4	91
	3.5	91
	3.6	92

आभार

सबसे पहले मैं इस लघु शोध ग्रंथ के लिए अपने शोध–निर्देशक प्रो. महेन्द्र पी. लामा के प्रति हृदयगत रूप से अपना आभार व्यक्त करता हूं। इस शोध कार्य को पूरा करने में उन्होंने अपना निर्देशन न सिर्फ एक शोध निर्देशक के रूप में बल्कि एक अभिभावक के रूप में भी प्रदान किया है। यह शोध ग्रंथ मेरे जिंदगी की एक बहुत यादगार घटना है जो मेरे शोध निर्देशक के बहुमूल्य मार्गदर्शन और निर्देशन के अभाव में संभव नहीं होता। मेरी छोटी से छोटी गलतियों को अंतिम क्षण तक सही कराकर उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा शोध छात्र बनाने का प्रयास किया जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मैं अपने केन्द्र के दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग के प्रो. एस.डी. मुनी, प्रो. सी. राजामोहन, प्रो. उमा सिंह, प्रो. आई, एन. मुखर्जी, डा. सविता पांडे, एवं डॉ. संजय भारद्वाज जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे समय–समय पर अपना अमूल्य सुझाव तथा मनोबल प्रदान किया। इसके साथ ही मैं अपने केन्द्र के कर्मचारी गण आशाजी, धीर सिंहजी और उषाजी को धन्यवाद प्रदान करता हूँ जिन्होंने मुझे इस शोध कार्य को पूरा करने में हर पल सहयोग दिया।

मैं अपने लघु शोध कार्य को पूरा करने के लिए मैं अपने वरिष्ठ साथियों ध्रुव ज्योति, राकेश जी और विवेक जी को विशेषरूप से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यह कार्य करने में हर समय सहयोग दिया। इसके साथ ही मैं अपने मित्रो, अरूप, भारत, अरून, निक्की, आकाश, नरेश और अन्य सहपाठियों को धन्यवाद प्रदान करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपने कुछ अन्य दोस्तों, आशुतोष और शिव पाठक वैभव, शीबा, जगन्नाथ और रामा का आभार व्यक्त करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुछ दोस्तों, अतुल, विवेक, आशीष, शिशिर, अजीत, विशाल और अनिल को भी धन्यवाद प्रदान करता हूं। जिन्होंने मुझे मानसिक

सहयोग प्रदान किया है। इन लोगों ने मुझे मेरी छोटी से छोटी गलतियों को पकड़ने और सही करने में भरपुर सहयोग दिया।

इस शोध कार्य को पूरा करने में मुझे एक भाई की तरह सहयोग देने वाले पी.पी साहु जी को मैं घन्यवाद देता हूं। इनके सहयोग के अभाव में मैं शायद अपना काम उचित समय पर करने में संभव न हो पाता। इसके साथ ही इनके अन्य दोस्तों, प्रभु, अविनाश, जावेद और स्वेता जी को भी धन्यवाद देता हूं। इन्होंने मुझे अपना कार्य पूरा करने में समय–समय पर सहयोग प्रदान करते रहे है।

मेरा अतिरिक्त आभार, जे.एन.यू. पुस्तकालय, नेहरू मेमोरियल (तीन मूर्ति) पुस्तकालय, आईडीएसए पुस्तकालय, साउथ एशिया फाउंडेशन पुस्तकालय, आईसीडब्ल्यू (साप्रु हाउस) पुस्तकालय, आईआईएमसी पुस्तकालय और साहित्य अकादमी पुस्तकालय के प्रति भी है। जिनकी सहायता से मुझे स्तरीय पुस्तकें और प्राथमिक स्रोत प्राप्त हुए।

इसके सबके अतिरिक्त मैं इस शोध कार्य के लिए अपने माताजी, पिताजी और भैया जी का आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने मुझे अपने इस कार्य को पूरा करने में धैर्यपूर्वक हर तरह का सहयोग प्रदान किया।

एक बार फिर से मैं अपने इस कार्य के लिए सभी, प्राध्यापकों, मित्रगणों, परिवार जनों एवं अपने शोध निर्देशक के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

– शान्तेष कुमार सिंह

आमुख

इस ''नेपाल के प्रजातन्त्रीकरण में प्रिंट मीडिया की भूमिका' (1990 के पश्चात्)'' शीर्षक नामक लघु शोध–प्रबन्ध में नेपाल में 1990 के बाद प्रिंट मीडिया की भूमिका और उसकी स्थिति का वर्णन किया गया है। इस लघु शोध प्रबन्ध में यह अध्ययन किया गया है कि किस तरह प्रिंट मीडिया एक संक्रमणकालीन प्रजातंत्र में भूमिका निभाते हुए उसे मजबूत बनाती है तथा वह स्वयं किस स्थिति में है अर्थात् क्या वह स्वतंत्र है? क्या वह स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर रहा है? क्या वह नेपाली प्रजातंत्र को मजबूत बनाने में भूमिका निभा रहा है और यदि निभा रहा है तो किस तरह? यदि नहीं तो क्यों नहीं? अर्थात् इस लघु शोध प्रबन्ध में नेपाली प्रजातंत्र के साथ–साथ उसमें प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों, स्वतंत्रताओं, संवैधानिक सुरक्षा का वर्णन किया गया है।

प्रजातंत्र एक जटिल राजनैतिक प्रणाली होती है जिसमें सभी नागरिक राष्ट्र की राजनैतिक प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। अर्थात् इसके अंतर्गत मनुष्य एक व्यक्तिगत भूमिका निभाने के साथ ही सामाजिक भूमिका भी निभाता है। सर्वाधिकारी और तानाशाही शासन व्यवस्था से प्रजातंत्र में परिवतन आसानी से नहीं होती है। इसके लिए नागरिकों को राजनीतिक संरचना के अंतर्गत रहते हुए अपनी गतिविधियाँ क्रियान्वित करनी होती होती है। एक उत्तम शासन व्यवस्था वह होता है जो नागरिकों को प्रजातान्त्रिक संस्कृति के अंतर्गत रखते हुए उन्हें सम्पूर्ण सुविधाएँ प्रदान करता है।

यह लघु शोध प्रबन्ध नेपाल में प्रिंट मीडिया की भूमिका का प्रजातांत्रिक विकास के संदर्भ में अध्ययन करते हुए उसके सैद्धान्तिक और व्यवहारिक स्तर की व्याख्या करता है।

प्रथम अध्याय जिसका शीर्षक ''प्रस्तावना : सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य'' है इसमें प्रजातंत्र और मीडिया की संकल्पना की प्रस्तुत करते हुए इनके बीच के सम्बन्धों की व्याख्या किया गया है।

द्वितीय अध्याय, जिसका शीर्षक "नेपाल में प्रिंट मीडिया और राजनैतिक विकास : ऐतिहासिक रूपरेखा और प्रवृत्ति" है इसके अंतर्गत 1950 से 1990 के बीच प्रजातांत्रिक और प्रिंट मीडिया के विकास से सम्बन्धित घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में 1990 से पहले के प्रजातांत्रिक विकास में प्रिंट मीडिया द्वारा निभायी गयी भूमिका की व्याख्या है। साथ ही इस अध्याय में प्रिंट मीडिया के विकास को प्रजातांत्रिक विकास के साथ देखा गया है।

तृतीय अध्याय, का शीर्षक "1990 के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता : उपलब्धियां और कमजोरियाँ" है। इसके अन्तर्गत 1990 के बहुदलीय प्रजातंत्र की व्याख्या करने के साथ ही प्रिंट मीडिया की क्षेत्रीय स्थिति और वैधानिक स्थिति का उल्लेख किया गया है। इस दौरान प्रिंट मीडिया के सामने उत्पन्न व्यवधानों का वर्णन भी किया गया है।

अध्याय चतुर्थ, का शीर्षक "नेपाल में मीडिया और राजनीतिक विकास : चुनौतियाँ" है। उसके तहत नेपाली प्रिंट मीडिया के सामने उत्पन्न चुनौतियों का व्याख्या एवं वर्णन किया गया है। अर्थात् प्रिंट मीडिया किस तरह आर्थिक विपन्नता से, माओवादी आन्दोलन से, अल्प शिक्षा से प्रभावित होती है आदि की व्याख्या किया गया है। इस संदर्भ में 1990 के बाद नेपाली प्रिंट मीडिया किस तरह शहरी और ग्रामीण जनता के बीच भूमिका निभाते हुए उन्हें प्रजातांत्रिकरण योग्य बना रहा है का भी विश्लेषण किया गया है। इसके लिए उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, की व्याख्या इस अध्याय में किया गया है।

अध्याय पंचम "निष्कर्ष" शीर्षक से है जिसके अंतर्गत नेपाल में प्रिंट मीडिया और प्रजातांत्रिक विकास को सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए भविष्य के सम्बन्ध में कुछ व्याख्या किया गया है।

अध्याय 1

प्रस्तावना : सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

आधुनिक समाजों में, अधोसंरचना का विकास और नई प्रौद्योगिकी के विकास ने मीडिया को पहले से अधिक जनता के नजदीक ला दिया है। यह अपने कार्य को करते हुए लोगो को खुश रखता है, मनोरंजन प्रदान करता है और सूचना प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को मूल्यों, विश्वासों और व्यवहार के तरीकों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय संरचना के अर्न्तगत एक बडे समाज के अन्दर एक दूसरे के साथ अर्न्तक्रिया करने में मदद करता है।[1]मीडिया किसी भी व्यक्ति के विचारों, मूल्यों, अवधारणाओं और व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही प्रेस एवं मीडिया, जनता के विचारों को सरकार तक तथा सरकार द्वारा निर्मित निर्णयों को जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अर्थात् मीडिया शक्तिशाली साधन होने के साथ ही प्रभावक कार्यकर्ता भी होता है जो समाज पर आंतरिक रूप से नियंत्रण स्थापित करता है। सामाजिक संस्थाओं के लिए यह प्राथमिक पारगमन तथा संचार का साधन होता है। यह मनुष्य के राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्रिया को समाज के सामने प्रस्तुत करता है। प्रेस और मीडिया समाज की वास्तविकता, संस्कृति परिवर्तन, निर्मित मूल्य तथा समुह का प्रत्यक्ष वर्णन करता है।[2]

मीडिया एक संकल्पना के रुप में

मीडिया को सामान्यतः संचार के रूप में जाना जाता है। "संचार" शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 'कम्यूनटस' से हुआ है। इसका अर्थ संदेश, संवाहन, ग्रहण और समाचार के माध्यम द्वारा सूचना का प्रसारण करना होता है। संचार अंतरवैयक्तिक

[1] Narayanan , K.R., "Media, Society and Polity", *Mainstream*, vol. Xxxv, n. 21,May 3,1997, p. 5.

[2] Ibid.

संबंध का आधारभूत माध्यम है। इसका प्रयोग सूचना का संचय करने में और संबंध स्थापित करने में किया जाता है। "संचार" अध्ययन का अति आवश्यक साधन है और यह शिक्षा का पुर्वाधार भी होता है।[3]

वर्गीकरण :-

संचार माध्यम को मुख्यतः निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है[4]-

1. छपे शब्दों का अखबार, चित्र जिसको देखा जा सके। इसमें पत्र–पत्रिका, प्रकाशन, विज्ञापन और समय तालिका सम्मिलित रहती है।

2. रेडियो अर्थात् जिसको सुना जा सके (Sense of Sound) ।

3. श्रव्य–दृश्य, जिसमें टेलीविजन फिल्मे आती है।

4. परम्परागत संचार माध्यम – जिसमें चित्रकथा, लोकनृत्य, लोकगीत, संगीत, सामुदायिक गीत, ग्रामीण नाटयशाला (थियेटर) इत्यादि।

5. मौखिक संचार – जैसे जन सम्प्रेषण, सामुहिक समारोह, व्यक्तिगत संपर्क आदि।

6. वाह्य संचार – जैसे पोस्टर छापने की सामग्री, सिनेमा स्लाइडर, होर्डिंग बोर्ड, चेतना मूलक चिन्ह, साइन बोर्ड इत्यादि।

समूह संचार मीडिया, प्रजातंत्र को जोड़ने वाला एक जाल होता है। इसके अपने कुछ आधारभूत साधन होते है जिसके माध्यम से नागरिक और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आपस की संबंधित गतिविधियों एवं इससे सम्बंधित प्रभाव के लिए संचार करती है।[5]

---

[3] Dahal, Kashiraj, *Aam Sanchar Ra Kanoon* (in Nepali), (Kathmandu: Suprawah Prakashan Pvt Ltd, 2000), p.1.
[4] Ibid, pp. 1-2.
[5] Guntur, Richard and Mughan Anthony, eds., *Democracy and the Media: A Comparative Perspective*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), p. 1.

प्रिंट मीडिया एक संस्था के रूप में आधुनिक प्रजातंत्र में एक ऐसा स्थान ग्रहण कर लिया है जो स्थाई रूप से विवादित है तथा जो संगठनात्मक तथा तकनीकी पुर्नसंरचना, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्रो का, वाणिज्यिक दबावो और व्यवसायिक अभ्यास का विषय है। इस विश्व की बदलती परिधि में आधिपत्य के अलग–अलग विधियों से आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम व्यवस्थित करना होता है।[6]

मानवीय इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं रहा जिसमें वह आंतरिक और बाह्य संघर्षों का सामना न किया हो। इन संघर्षों का स्वरूप और गहनता समय और वातावरण पर निर्भर करता रहा है। कथा लेखकों और इतिहासज्ञों के संघर्ष संस्करण और उसमें व्यक्तिगत रूप से सम्मलित होना यह उनके अपने ऊपर निर्भर करता था। उनकी क्षमता सूचनाओ पर और उनका संचार करने की योग्यता पर निर्भर रहता था।[7]

17वीं शताब्दी में प्रिन्ट मीडिया के निर्माण के बाद इसकी जनसमुह संचार के रूप में क्षमता का एहसास लोगों को हुआ और इसका प्रयोग दोनों तरह से अर्थात सूचक और भ्रामक दोनों रूपों में हुआ। प्रिन्ट मीडिया एक शक्तिशाली हथियार के रूप में उभरा जिसके माध्यम से शासक वर्ग ने जनमत को नियंत्रित करते हुए नियमों को लागू किये। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रेडियो, टेलीविजन) प्रेस के साथ समाज में सामने आया है तब से मीडिया स्वयं में समाज का एक महत्वपूर्ण संस्था बन गयी है।

मीडिया प्रजातंत्र समाज के सदस्यों को सशक्त बनाने और सूचित करने के लिए समूह मीडिया को बढ़ावा देता है। आज इंटरनेट संचार को महान सार्वजनिक संचार साधन के रूप में हम लोग अन्य संचार साधनों को देखना चाहते है। हम एक वैश्विक संचार व्यवस्था को स्थापित करना चाहते है क्योंकि इसके माध्यम से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए नागरिकों की सहभागिता को आगे बढ़ाया जा सकता है।[8]

---

[6] Sharma, Mukul "Media and Governance", *Seminar*, Vol. 514, June 2002, p. 1
[7] Sawant, P.B. "Media in Conflict Sitution", *Mainstream*, Vol. XXXIV, Feb, 10,1996, p. 1
[8] "What is Media Democracy" Media Democracy Home Page, September 27, 2004, see , http://*www. mediademocracyday.org.*

प्रजातंत्र एक संकल्पना के रुप में

प्रजातंत्र की अवधारणा विश्व में सर्वाधिक, व्यवहारिक अवधारणा है, यह सिर्फ अपनी अन्य शासन व्यवस्थाओं के ऊपर सर्वोच्चता के कारण ही अधिक महत्व का नहीं है बल्कि साथ ही अपने अर्थ के कारण भी यह महत्वपूर्ण है।

जियोवानी सारटोरी ने कहा है कि "लोकतंत्र विचारों का फल है, जिसका अर्थ यह है कि इसकी अपेक्षा मानव का कोई अन्य ऐतिहासिक साहसपूर्ण कार्य इतने स्पष्ट व संकटमय ढंग से विचारों की शक्ति के प्रयोग करने के बारे में हमारी क्षमता हमारी योग्यता पर निर्भर नहीं रहे।" अतः यह कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रजातंत्र किसी अन्य नैतिक, राजनीतिक सूत्र के अपेक्षा एक घातक बिमारी – मानसिक उलझन – से अधिक पीड़ित रहा है। यह विचारों के मूल हमारा विश्वास नहीं रहा है अर्थात वे विचार जो लोकतांत्रिक विचार तंत्र का पोषण करते है विलुप्त होने के बिन्दु पर पहुंच चुके है। यह देखना कठिन हो गया है कि प्रजातांत्रिक यथार्थ कैसे जीवित रह सकता है। तथा यह स्वीकार करना होगा कि संभावना भी संतोषदायक नहीं है।[9]

शूम्पीटर ने कहा है– "लोकतंत्रिय पद्धति राजनीतिक निर्णय लेने की ऐसी संस्थानात्मक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों को जनता के वोट के लिए प्रतियोग्यात्मक संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होता है।"[10]

जेम्स ब्राइस ने प्रजातंत्र को ऐसा शासन बताया है "जिसमें सुयोग्य जनता को अधिकांश भाग सामान्य रूप में कम से कम तीन चौथाई का गठन करते हैं ताकि नागरिकों का भौतिक बल व्यापक तौर से उनकी मतदान शक्ति के अनुरूप हो।"[11]

प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए कुछ पूर्व शर्तों का होना आवश्यक होता है, जो निम्न है[12]–

---

[9] Sartori, Giovanni, *Democratic Theory*, (Calcutta: Oxford and IBH, Pub,Co,1968), p. 445
[10] Schumpeter, Joseph, *Capitilism,Socialism and Democracy,*(New York: Harper,1947), p. 26
[11] Bryce , James, *Modern Democracies,*(London: Macmillan, 1929),Vol. 1, p. 22

1. प्रजातंत्र की समुचित संचालन के लिए यह आवश्यक है कि लोगों के बीच बड़ी आर्थिक असमानता न हो।

2. प्रजातंत्र का अर्थ है जनमत का शासन। अतः ये अनिवार्य है कि लोग आपस में इस ढंग से विभाजित न हो कि सामान्य जनमत का निर्माण असंभव हो जाए।

3. प्रजातंत्र का सफल संचालन बुद्धिमता, रूचि, जनभावना तथा इसके नागरिकों की सामाजिक भावना पर निर्भर है।

4. जनता कुछ हद तक न्यूनतम मौलिक आवश्यकताओं की चिन्ताओं से मुक्त हो, ताकि लोग शांत मन होकर सार्वजनिक मामलों में रूचि ले सके।

5. प्रजातंत्र केवल शांति के वातावरण में ही फलफूल सकता है। युद्ध या युद्ध का भय, गोपनीयता का वातवारण, आदेशों का आंख मींचकर पालन तथा आंतरिक उपद्रवो प्रजातंत्र की आधार को कमजोर करते है।

6. कुछ विशेषताएं तथा अभिवृतियां ऐसी है जिन्हें लोगों को या जनता को उत्पन्न तथा विकसित करना चाहिए, यदि वे प्रजातंत्र को सफल बनाना चाहते है। वे स्वशासन की भावना से ओत–प्रोत होने चाहिए तथा उन्हें ऐसा दृढ़ संकल्प रखना चाहिए कि वे शासन के किसी अन्य रूप के अधिन रहना सहन नहीं करे।

7. लोगों के सार्वजनिक मामलों में जाति, वर्ग, धन, नस्ल आदि के विचारों के ऊपर उठना चाहिए तथा उन्हें समग्र रूप से लोगों के हितकर व्यापक दृष्टि से सोचने की आदत पैदा करनी चाहिए।

8. सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ईमानदार, निस्पक्ष तथा अभ्रष्ट होना चाहिए।

---

[12] Jauhari, J. C., *Adhunik ik Vigyan ke Sidhhant,* (in Hindi), (New Delhi: Sterling Publishers Pvt Ltd), p. 354

9. प्रजातंत्र लोगों को बड़ी शक्तियां प्रदान करता है।

10. तथा उनपर भारी दायित्व भी आरोपित करता है।

जबकि राबर्ड डहल ने प्रजातंत्र के दो पक्षों की व्याख्या किया है[13] –

1. नियमित, स्वतंत्र और शुद्ध चुनाव के माध्यम से संगठित विरोध या विपक्ष।

2. सभी वयस्कों को वोट देने और पदों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता या सहभागिता।

नोआम चौमस्की ने प्रजातंत्र के दो तरह के संकल्पनाओं की व्याख्या की है[14] प्रथम संकल्पना यह है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में जिसमें जनता सहभागी साधन के रूप में कुछ अर्थपूर्ण रास्तों से अपने से संबंधित मामलों और सूचना के साधनों को खुला और स्वतंत्र रखने का प्रबंध करता है। जबकि दूसरी संकल्पना यह है कि जनता निश्चित रूप से अपने से संबंधित मामलों और सूचना के साधनों को संकुचित और कठोरता से नियंत्रित करते हुए अपने पास रखता है।

प्रजातंत्र और मीडिया के बीच अन्तर संबंध

राजनीति मानव जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। मुश्किल से कुछ मुद्दों को छोड़ दे तो मीडिया राजनीतिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अपने विभिन्न रूपों और साधनों के माध्यम से सूचनाओं को उपलब्ध कराता है जिसके सहारे सरकार अपने सूचनाओं को जनता तक भेजता है। यदि जनता स्वयं शासन को समझना चाहे और उसमें भाग लेना चाहे तो उन्हें सर्वप्रथम सूचनाओं को ग्रहण करना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता उन्हें समस्याओं को पहचानने में, कार्यसूची निर्धारण में, नीति विकल्पों के निर्धारण तथा जरूरी निर्देशन और मदद

---

[13] Dahl, Robert A. *Poliyarchy: Participation and Opposition*, (New Haven: Yale University Press, 1971), p. 3

[14] Chomsky, Noam , *Media Control* (Massachusets: Massachusetts Institute of Technology, 17 March 1991) p. 1 see www.lovepeoplenotmoney.com

कार्यक्रमों के मुल्यांकन में, कार्यालयों में उम्मीदवारों की उपलब्धतता में मदद पहुंचाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीडिया प्रजातांत्रिक नीतियों को निश्चित करने में और सरकारी कार्यालयों की क्रिया को गतिशील बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अन्य शब्दों में नागरिक जन सहयोग भी मीडिया पर अन्तर निर्भर रहता है।[15] मीडिया की स्थिति को निम्न सन्दर्भ में अच्छी तरह समझा जा सकता है।

(अ) स्थान के आधार पर मीडिया की भूमिका और प्रजातांत्रिकरण

पिछले कुछ समय से सुचना और संदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर–पार बहुत सरलता से अन्दर आने और बाहर जाने लगे है। इस उच्च सूचना परिस्थिति के समय सभी क्रियाओं का मूल विकास और प्रगति के साथ देखा जाने लगा है। आज के पहले विश्व में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा है जबकि सूचना को इतना महत्व दिया गया हो। यह तथ्य है कि आज सारे लोग ज्यादा तेज, ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते है। संपूर्ण व्यवस्था में निजी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, दृष्टिकोण और विचारों का लेन–देन बड़े स्तर हो रहा है। अर्थात् व्यक्ति विश्व के दूसरे भाग का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर रहा है।[16]

कृषक समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तन के लिए तीन तरह के आंदोलनकारी परिवर्तन की जरूरत होती है, आर्थिक, राजनीतिक और सूचना क्षेत्र में। वस्तुतः ये तीन तरह के परिवर्तन मुख्यतः विश्व के कम विकसित या विकासशील देशों में दबाने के संदर्भ में देखा जा सकता है। यह दबाव कुछ अंर्तविरोधी, समस्याओं विशेष अवसरों और श्रम तथा पिछड़ेपन का आशिवार्द दोनो होने के समान है। एशिया, अफ्रिका और लैटिन अमेरिका के देश आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिये आंदोलनरत है। इन देशों में परिवर्तन के पहले के अधोसंरचना (जो औपनिवेशिक शासन के दौरान स्थापित हुए थे) में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा और राजनीतिक चेतना के कारण राष्ट्रीय एकता और विकास की प्रक्रिया में स्थायित्व

---

[15] Randall, Vicky, ed., *Democratisation and the Media,* (London: Frank Cass, 1998), p. 6
[16] Muley Regina, Parekh, *S.A.V.E. Communication for Cooperation,* (New Delhi: Mudrit Pub. 1998),p.2

आया है। संचार और तकनीकी कार्यक्रम समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन और विकास के साथ सबसे ज्यादा सफल हो रहे है।[17]

राष्ट्रीय और औद्योगीकरण से सम्बंधित आर्थिक और राजनीतिक संगठन अवनति के दौर में है। सूचना तकनीक के व्यापार और खोज में वैश्विक बढत इस समय की सबसे बडी सच्चाई है। यह उम्मीद लगाया गया है कि सूचना संचार तकनीक मौलिक रूप से आदान प्रदान तथा विकेन्द्रीकरण के द्वारा स्थानीय, राष्ट्रीय, अर्न्तराष्ट्रीय और वैश्विक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन ला देगा। नीतियों के संबन्ध में कुछ चुनौतियों का सामना करते हुये सरकारों ने कुछ सुधार प्रारम्भ किये है। उनके सामने मुख्य प्रश्न यह है कि कैसे नागरिकों के प्रजातांत्रिक अधिकारों को उन्नत करते हुये राजनीतिक सहभागी बनाने के कार्यक्रम निश्चित करतें है।[18]

Fig. No. 1

A Systematic View of Communication

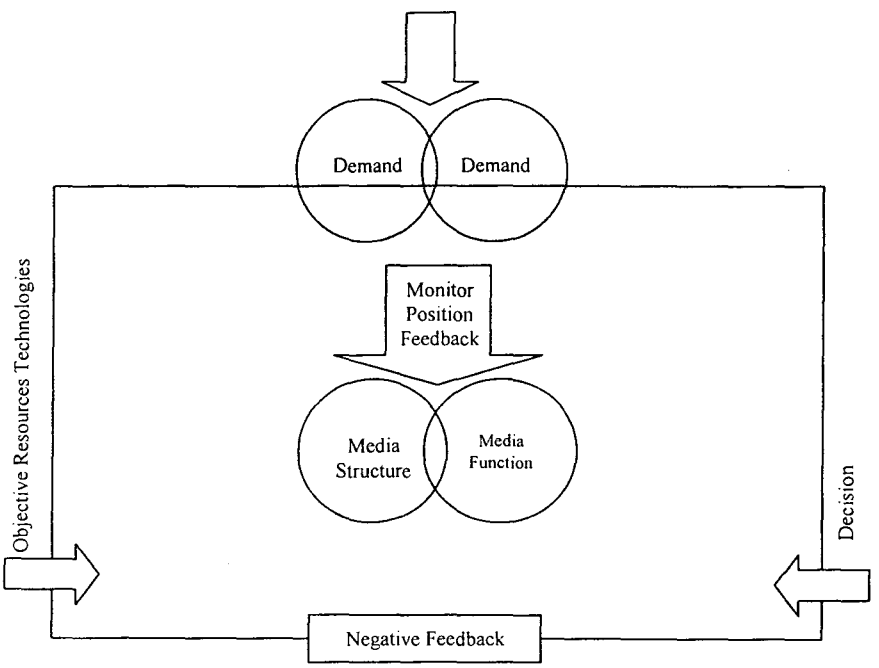

Source: Regina Mulay – Parekh, *S.A.V.E., Communication for Cooperation*, (New Delhi: Mudrit Pub. 1998) p. 16

[17] ibid
[18] ibid, p.3

उपरोक्त रेखाचित्र के अनुसार राष्ट्रीय विकास में संचार व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा के स्तर को उठाने और ठीक उसी समय जनसंख्या को एकताबद्ध करने में, शिक्षित करने में और विकास के लिये समान जाति का निर्माण करने में भी संचार व्यवस्था एक स्थायी आधार है। मीडिया व्यवस्था की मौलिक क्रिया निम्न है :- (क) आवश्यकताओं की सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की मांग को पहचानना, (ख) आवश्यकता और मांग के लिये कार्यक्रम निर्धारित करना, (ग) दृष्टिगत नेताओं और संस्थाओं के सहयोग से कार्य करना और (घ) जागरूकता, स्वायत्ता और उत्तरदायित्व के उच्च स्तर को बनाये रखना तथा साथ ही इसके महत्व की रक्षा करना। राष्ट्रीय विकास वास्तव में जनता का विकास होता है। इसको प्राप्त करने के लिये शिक्षा, आत्मप्रेरणा और प्रभावी सूचना तंत्र की जरूरत होती है।[19] कुछ को छोड कर राज्य की अन्य संस्थाओं की तुलना में मीडिया राज्य के नुक्कडों और कोनों पर दिखाई पडने लगा। (Fig. No. 1)

(आ) मीडिया और प्रजातांत्रिक संस्थाओं के बीच सम्बन्ध

प्रजातंत्र ऐसी सरकार का रूप होती है, जिसमें शासन–शक्ति वैधानिक रूप से जनता में निहित होती है। किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं। प्रजातंत्र का केन्द्रीय तथ्य स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर सार्वभौमिक रूप से समर्थन प्राप्त करना हैं। समानता का अर्थ है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, सभी के विचारों को समान महत्व दिया जाए और निश्चित रूप से सभी को राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी होने के लिए छुट प्रदान किया जाए। प्रजातंत्र में सभी व्यक्ति स्वयं से संबंधित मुद्दों के लिए बोलने तथा सामुहिक निर्णयों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन नगर राज्य से राष्ट्र तक और आधुनिक प्रजातंत्र की स्थापना तक यह कई परिवर्तनों से गुजरा है। निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रजातंत्र में क्रियाशील होने के पीछे आधुनिक समय में जनसंख्या के बढ़ने से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की विफलता उत्तरदायी है। निर्णय सभी

[19] ibid, p.16

द्वारा ही एक उप समूह के माध्यम से लिया जाता है (जो संपूर्ण का एक भाग होता है) इसका स्वरूप प्रजातांत्रिक होता है, क्योंकि जनता का इन पर प्रभाव सदा रहता है।

यह एक तथ्य है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जो सरकार के अंग होते है, जनता के प्रति प्रेस और मीडिया के माध्यम से ही उत्तरदायी होता है। कुछ क्षेत्रों में असफल होने के बावजूद प्रेस और मीडिया समाज में जागरूकता बढ़ाने तथा किसी भी भेदभाव, असमानता और अन्याय को जनता के सामने करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अर्थात, प्रेस और मीडिया बिना लोकतंत्र की कल्पना असंभव है क्योंकि उचित संचार के अभाव में नागरिकों तथा उनके द्वारा निर्वाचित सरकार के बीच अंर्तक्रिया नहीं हो सकता है। आधुनिक राजनीति मुख्यतः माध्यमिक राजनीति है। जो अधिक से अधिक नागरिकों के द्वारा प्रसारक और प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से किया जाता है। आधुनिक समय में प्रजातंत्र पर मीडिया द्वारा वर्णित घटनाओं और मुद्दों का व्यापक प्रभाव पडता है। [20]

मीडिया प्रजातंत्र में अत्याग्य संस्था होती है। मीडिया नागरिक प्रशासन की लापरवाही तथा उसके कार्यो को जनता तक पहुंचाती है साथ ही जनता की आकांक्षाओं को सरकार तक चहुंचाती है। प्रजातंत्र में सहभागी शासन क्रियाशील रहता है। इस शासन के अन्तर्गत मीडिया ही जनता में समाज की समस्याओं के प्रति जागरूकता लाती है जिसके फलस्वरूप जनता इन समस्याओं को हल करने के लिये सरकार पर दबाव बनाती है।[21]

राजनीतिक दल, दबाव समूह, सार्वजनिक सम्पर्क ऐजेंसियां और प्रत्येक प्रकार के प्रचारक संचार साधनों के माध्यम से सर्व साधारण के सम्पर्क में आते है। इन संचार साधनों में प्रेस, रेडियो तथा टेलिविजन आदि का प्रमुख स्थान है। आधुनिक अविष्कारों से पहले व्यक्ति अपने छोटे समूहों में ही सार्वजनिक प्रश्नों के सम्बन्ध में बातचीत करता था और इसी बातचीत से प्रभावित होता था। इस प्रभाव का क्षेत्र संख्या की

---

[20] Sharma, Mukul (2002), n.6, p.1
[21] Sawant P.B., (1996), n. 7, p. 8

दृष्टि से सीमित था किन्तू वैज्ञानिक साधनों के विकास के फलस्वरूप अब समाचार प्रेस, रेडियो तथा टेली प्रिंटर आदि ऐसे संचार साधन उपलब्ध है जिनके प्रभाव का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। और जिनके द्वारा प्रचारित विचार बहुत बडी संख्या में नागरिकों तक पहुंचते है। इन साधनों का महत्व देश की शिक्षा व आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहता है। राजनीतिक दल विचारों का प्रचार और प्रसार मीडिया के माध्यम से ही करते है। किसी समस्या पर जनता का एक बडा भाग किसी दल के विचारों का समर्थन करता है तो उस समस्या पर लोकमत का प्रकाशन हो जाता है।[22]

प्रजातंत्रीय देश में विधानमंडल का एक ऐसा स्थान है जहां राजनीति एवं अन्य सभी विचारों को प्रकट किया जाता है। वहां वाद विवाद होते है और उनका संक्षिप्त विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है। जिसे पढकर जनता राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन की समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है और इनके सम्बन्ध में अपना मत स्थिर करती है। अर्थात राजनीतिक दलों के पास निर्वाचक समूह से संचार स्थापित करने के सूत्र होते है और सूचना एवं राय लेने की यह क्षमता सिर्फ चुनाव की अवधियों तक सीमित नहीं रहती बल्कि यह बराबर जारी रहने वाली प्रकिया है।[23]

मीडिया एक स्वतंत्र अंग के रूप में प्रजातंत्र के विकास में और स्थायित्व में महत्वपूर्ण भुमिका निभाता है। प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश के संसद मीडिया के साथ सम्पर्क में रहकर महत्वपूर्ण ढंग से कार्य कर सकते है। साथ ही संसद की संकल्पना को निम्न सन्दर्भों में समझा जा सकता है:-[24]

1. जन राजनीतिक विचारों के प्रजातांत्रिक स्वरूप के रूप में संसद को व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और विशेषकर मीडिया की आलोचनात्मक भूमिका की एकता बनाये रखने में महत्वपूर्ण योगदान की स्वतंत्रता को बनाये रखना चाहिये।

---

[22] Sharma, P. D., *comparative Political Institutions*, (in Hindi),(Jaipur, New Delhi, Mumbai: Collage Book Depot, 1998),p.438

[23] ibid

[24] Graber Doriss A., *Media Power in Politics,* (New Delhi: S. G. Wasani Publishers, 1994), p.44

2. संसद के सदस्यों और संस्थाओं को आलोचना करने पर मीडिया और अन्य संस्थाओं को- परम्परागत सत्ता द्वारा दिये जाने वाले दण्ड पर विधि व्यवस्था और जन आज्ञा द्वारा रोक लगाया जाना चाहिये।

3. संसद की अवहेलना के नाम पर सक्रिय मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिये और यह बहुत गंभीर मामले में ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिये।

4. जहां पर संसद का कोई गुप्त कागजात सार्वजनिक हो जाता हो वहां पर मीडिया को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिये। परन्तु इसको उस सदस्य के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिये जो उस मुददे से संबंधित था। और साथ ही इस तरह के सार्वजनिक मुददों से ज्यादा संसदात्मक प्रक्रिया को मुख्यतः समिति कार्यवाही को ही ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए न कि छोटी छोटी बातों को बडा विषय बनाया जाना चाहिये।

संसद और मीडिया की नागरिकों तक संसदीय गतिविधियों को संचार के माध्यम से पहुंचाने की भूमिका भी नागरिकों को जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रकुल के देशों में संसदीय प्रक्रिया और संस्थाओं के कार्यो को नागरिकों तक पहुंचाने का अधिकार मीडिया को दिया गया है। और साथ ही ऐसा कार्य करने के लिये मीडिया को सहयोग प्रदान किया जाता है।[25]

सामान्य लोग बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत मुद्दों को प्राथमिक रूप से महत्व देते हुए राजनैतिक मामलों से शारीरिक और मानसिक दूरी बनाना चाहते है। राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं और जनता के बीच दूरी कम करने में संचार का प्रमुख योगदान होता है। वाल्टर लिपमैंन ने कहा है कि – "जनता राजनीतिक मुद्दों से इस आधार पर जुड़ते है कि विश्व का किस तरह का दृश्य लोगों के दिमाग में आता है जो बहुत बड़े स्तर पर मीडिया द्वारा चूना और व्यवस्थित किया होता है।"[26] अभिव्यक्ति के विभिन्न साधनो मे मीडिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से सभी का समर्थन प्राप्त करने के लिए संचार माध्यम

---

[25] ibid

[26] Dean, Alger E., *The Media and Politics*, (New Jersey: Prentice Hall, 1989), p. 6

प्रदान करता है जिससे लोग यथा संभव लोगों से मिलकर जन दृष्टिकोण जानने, सीखने तथा प्राप्त करने का प्रयास करते है।

प्रजातांत्रिक और नागरिक अधिकारों के साथ हमारे मूल्यों को अभिव्यक्त करने में मीडिया का महत्वपूर्ण हाथ होता है। वास्तव में मूल सूचना एक अन्तर्निहित प्रक्रिया हैं और इस अन्तरक्रिया में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यद्यपि एक संकल्पना के रूप में आधारभूत आवश्यकता जो देखा जाता है वह यह है, कि जनता का वाद–विवाद में किस तरह का महत्वपूर्ण योगदान होता है और यह भी कम महत्व का नहीं है कि जनता द्वारा क्या होने योग्य है।[27] अर्थात् मनुष्य के आधारभूत आवश्यकताओं से संबंधित विवाद हरदम चलता रहता है। जिसको सरकार ध्यान में रखकर कार्य करती है। और जनता भी पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालती है। ये दोनों ही मीडिया पर अपनी गतिविधियों के लिए निर्भर रहते है।

(इ) मीडिया और नागरिक समाज

वर्तमान समय में जनमीडिया मानव जाति के दृष्टिकोण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संचार तंत्र में अलग–अलग मीडिया साधन है जैसे टेलीविजन, रेडियो, फिल्म, प्रेस प्रकाशन इत्यादि को सम्मिलित रूप में जन मीडिया कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण ढंग से कार्य करते हुए सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों और सिद्धांतों को प्रभावित करते है। क्योंकि जन मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम इसलिए प्रशासनिक किए जाते है ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शकगण या उपभोक्ता को प्रभावित किया जा सके। यह सभी स्वीकार करते है कि मीडिया एक शक्तिशाली समाजीकरण अंग के रूप में कार्य करता है इसका प्रभाव बहुत रहता है।[28]

---

[27] Sen Amartya, "Press Freedom and Development" *Mainstream*, Feb, 10, 2001, p. 3

[28] Mishra, Madhusmita, *Press and Power Socialism*, (New Delhi: Dominant Publishers and Distributers, 2003), p44

लोकतंत्र में संचार और शासन के बीच के संबंध को एक रेखाचित्र द्वारा हान्स स्पाइर ने दिखाया है जो यह है।[29]

Fig. No 2

Title : Communication in National Structure

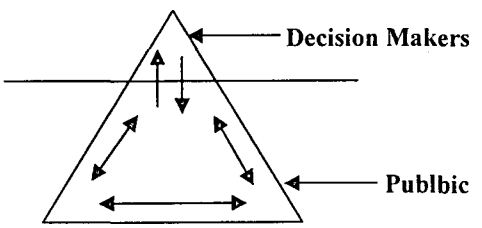

Source: Davidson W. Phillips, "International Political Communication" (New York, Washington, London: Fradrick A. Prager Publishers, 1965, p. 82

राष्ट्रीय संरचना को एक त्रिकोण के रूप में निखाया गया है जिसमें सरकार और निर्णय निमार्ण करने वाले लोग शिखर पर है और जनता निचले स्तर पर। संचार को राज्य के अंतर्गत तीर के माध्यम से दिखाया गया है। त्रिभुज के बाहर उपर वाली तीर है सरकार द्वारा जनता को दिए गए निर्देश तथा अन्य संदेशों को दिखाता है। और जल्द इच्छा का सरकार पर दबाव डालता दिखाता है। त्रिकोण के छोटे तीर आधारभूत रूप से संचार के जन समूह में विभिन्न प्रकारों को दिखाते है। (Fig. No. 2)

प्रजातांत्रिक समाजों में एक उप संस्कृति के रूप में नागरिक समाज का उदय बदलते सामाजिक मूल्यों और आधुनिक सूचना व्यवस्था के प्रभाव से स्थायी रूप में सामने आया है। अन्य शब्दों में, एक ऐसे नागरिक समाज की कल्पना असंभव है जहां पर स्वतंत्र, सूचना प्रवाह और बहुल सूचना व्यवस्था न हो। विशेषतया संक्रमणकालीन प्रजतंत्रों नागरिक समाज में परिवर्तन आवश्यक तत्वों के बीना संभव नहीं हो सकता हैं। संक्रमणकालीन प्रजातंत्रों के समूहों के बीच विभिन्न स्तर पर भिन्नता पाई जाती है जो मुख्यतः आर्थिक स्तर पर ज्यादा निर्भर करता है। उदाहरणतः सोवियत समूह के

[29] Phillips, Davidson W., *International Political Communication*, (New York, Washington, London: Fradrick A. Prager Publishers,1965), p.82

संक्रमणकालीन प्रजातंत्रों का विकास विशेष रूप से अन्य अल्प विकसित गरीब संरचना से भिन्न था।[30] राज्य विधि निर्माण करता है और उनको वह न्यायालय, नियामक एजेंसी और पुलिस के माध्यम से क्रियान्वित करता है। राज्य समाचार पत्रों या टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से अपना कार्य क्रियान्वित करता है।[31]

मांइकन ट्रेबर ने न्याय और समता को संचार के प्रजातांत्रिकरण पर आधारित बताया है। इसके लिए छः सिद्धांत बताएं है। (क) मानवीय सम्मान के सिद्धांत, (ख) स्वतंत्रता का सिद्धांत, (ग) सच बोलने का सिद्धांत, (घ) न्याय का सिद्धांत, (ड.) शांति का सिद्धांत, (च) सहभागिता का सिद्धांत और (छ) न्यास का सिद्धांत। ट्रेबर ने इस छः सिद्धांतो का आधार संचार बताया। क्योंकि चाहे मानवीय स्वभाव हो, स्वतत्रंता हो, सच बोलने की प्रवृति हो, न्याय हो, शांति की भावना हो या सहभागिता का सिद्धांत हो इसका आधार इसका मानवीय समाज में पहुंचना जरूरी होता है। जिससे व्यक्ति अपने कार्यों का संपादन करता है और इन महत्वपूर्ण तत्वों के साथ अपने को जोड़ता है।[32]

सूचना देना, शिक्षित करनाए मनोरंजन करना और लेख रखना ऐसे कार्य है जिससे मीडिया अपने उददेश्य की पूर्ति करता है। मीडिया की सफलता यह कहने में नहीं है कि क्या सोचे ? बल्कि यह कहने में है कि किसके विषय में सोचे ? मीडिया का परिवर्तन लाने में सबसे पहला काम जागरूकता लाना होता है जबकि अन्तिम काम व्यक्ति या व्यक्ति समूह के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। मीडिया जनता के विचार निर्माण में मदद करता है और इसके माध्यम से राजनीतिक इच्छा का निर्माण करते हुए समानताए न्यायए उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की स्थापना जनता से संबधित सार्वजनिक मामलों में करती है। नेपाली सन्दर्भ में मीडिया ने संवैंधानिक प्रावधानों को जनता तक पहुंचाने मेंए प्रजातांत्रिक संस्थाओं को सामने लाने में, जनता को शिक्षित करने में तथा साथ ही भ्रष्टाचार को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका

---

[30] Pokhrel Gopal, Civil Society in Nepalese Context: Media Perspective, (Kathmandu: Nepal News, November 27, 2002), see, http//www.globalpolicy.org

[31] Bertrend Cloude- Jean, " The Role and Responsibility of the Media in Democracy", (Dar e Slam, Tangania, *UNAfrika Simposiyum on the Human Development Report, 2002*), p.3 see http//www.undp.org.

निभाया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मीडिया के क्षेत्र में मुख्यतः दो बातें पाई जाती हैः. (1) संवैधानिक निश्चितता, (2) मीडिया को संस्थात्मक स्तर पर स्वतंत्रता।[33]

मीडिया प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था में नियंत्रण स्थापित करने के लिये कुछ गतिविधियों का संचालन करती है। प्रथम– मीडिया जनता को समस्याओं से अवगत कराके उन समस्याओं को हल करने के लिये सरकार पर दबाव बनाने के लिये जागरूकता उत्पन्न करती है, द्वितीय– यह शासन की वैधता तथा स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और तृतीय– मीडिया विभिन्नता वाले समाज में एकता की भावना का निमार्ण करती है। इन कार्यो के सम्पादन के लिये मीडिया कुछ महत्वपूर्ण तरीको का प्रयोग करता है, (1) प्रचार के माध्यम से, (2) सामाजिक और सांस्कृतिक यथार्थ की व्याख्या करके तथा सामाजिक अंगों का निर्माण करने में मदद करके और (3) त्वरित जवाबदेही, (4) संस्थागत परिवर्तन, (5) संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन में भाग लेकर ।[34]

मीडिया संचार के माध्यम से सूचनाओं के बहाव को समाज से राजव्यवस्था में और राजनीतिक संरचना से समाज में पहुंचाता है। मिल ने कहा है कि "किसी व्यक्ति का विचार सत्य हो सकता है या मिथ्या यह आंशिक रूप से सत्य और आंशिक रूप से मिथ्या। यदि सत्य मत रोका जाता है तो समाज और अधिकारिक वर्ग विश्व को सच्चाई जानने से रोकते है। यदि वह मत मिथ्या है तो भी उस पर नियंत्रण या रोक लगाना उचित नहीं है क्योंकि सत्य मत मिथ्या मत का अन्त कर देगा जिससे मिथ्या मत रखने वाला भी सच्चाई से परिचित हो सकेगा। और मिथ्या मत का अंत करने का कारण सत्य और अधिक प्रकाशमान हो जाएगा।"[35]

---

[32] Sidhartha B A, " *Media Citizenship and Democracy*", (Janurary, 2003), see http//www.thehoot.org
[33] Guntur, Richard and Mughan Anthony (2000), n. 5, pp. , 1 – 2
[34]. Graber, Doriss A, n. 24, pp. 23 – 32
[35] Churchill, Robert Poul, ed. , *The Ethics of Liberal Democracy: Morality and Democracy in Theary and Practice*, (Oxford, USA:Berg Publishers,1994), P,116

मीडिया पीछे घटित घटनाओं को रखने के कारण जनता में समतल स्तर पर भावनाओं को निर्माण करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा समझदारी का विकास करने के लिए सूचनाओं को प्रदान करता है। अतः मीडिया सूचनाओं के 'पर्यावरण' का निर्माण करते हुए जनता के समस्याओं तथा इच्छाओं की ओर ध्यान केन्द्रित करता है।[36]

विचारों का प्रसार, विचारों को बनाने की क्षमता तथा आलोचना करने की योग्यता, सभी विचार जिस पर प्रजातंत्र निर्भर है मुख्यतः सूचना के माध्यम से ही निर्भर रहता है। लोकप्रिय सरकार के संबंध में कार्ल जे फ्रेडेरीक ने कहा है कि – "वास्तव में संवैधानिक सरकार का उदय और विशेषतया जन प्रतिनिधित्व को मजबूत बनाना जैसा कि हम लोग जानते है कि आधुनिक प्रेस के साथ एक दूसरे से न सुलझने योग्य जुड़े है। बिना इसके संवैधानिक सरकार अप्रबंधात्क है।"[37]

प्रतिनिध्यात्मक सरकार की आधार ही जनता द्वारा चुनाव में प्रतिनिधियों को चुना जाना होता है। इसमें मीडिया का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसके माध्यम से जनता आधारभूत निर्देशन सरकार को देती है। लेकिन मतदानकर्त्ता किसी अभ्यर्थी को चुनने का निर्णय कैसे करें। यह बहुत मुश्किल निर्णय होता है। इसी लिए प्रतिनिध्यात्मक सरकार में जनता की निष्कृयता के कारण गलत कार्यों को करने वाले नेताओं का भी कार्य चुनाव हो सकता है, जो चुने भी जा रहे है। ये नेता चुने जाने के बाद जनता को भूल जाते है। बहुधा नागरिक यह नहीं जानते है कि सरकार को क्या करना होता है और वह क्या कर रही हैं। तथा भोली जनता के पास सरकार पर चुनाव बाद नियंत्रण लगाने का कोई साधन भी नहीं रह जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि (M/S Bennett Coleman V/S Union of India, 1973) प्रजातंत्र को कार्य करने के लिए जनता द्वारा आलोचना करना आवश्यक होता है।[38]

---

[36] Wilber, Scramm, *Mass Media and National Development: The Role of Information in Developing Countries*, (Stanford: Stanford University Press, 1964), p. 129

[37] Dean, Alger E. (1989), n. 26, p. 8

[38] Manna ,B. and Naya Prakash, *Mass Media and Laws in India,* (Calcutta, Naya Prakrshan, 1998), P,12

(ई) मीडिया के सामने चुनौतियां

बीसवीं शताब्दी में सभी प्रकार के शासन व्यवस्था में शासक और शासित के बीच संबंध स्थापित करने में मीडिया मुख्य भूमिका निभाता रहा है। प्रारंभिक रूप से शिक्षा और तकनीक के विकास के कारण मीडिया मुख्यतः टेलीविजन आज के विश्व में राजनीति सूचना का मुख्य स्रोत रहा है। साथ ही परिवार, समुदाय और माध्यमिक स्रोतों की स्थिति में बराबर ह्रास रहा है। इसके कारण शासक वर्ग मीडिया के प्रति बहुत संवेदनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों को निर्धारित और क्रियान्वित करते है। लेकिन सबसे बड़ा विरोध प्रजातांत्रिक और गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में मीडिया की स्थिति को लेकर रहता है।[39]

बहुत से देशों में प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित रखा जाता है। उसके लिए कारण के रूप में आर्थिक विकास, या जातीय संघर्ष को बताया जाता है। साथ ही प्रताजांत्रिक शासन के रूप में सर्वाधिकारी शासन को हटाने की बात की जाती है। ये संवेदनशील समाज, गृह संघर्ष या दमनात्मक शासन या दोनो वर्तमान में घटित संघर्ष के साथ लड़ाई करते है। ऐसी घटनाएं मुख्यतः प्रजातांत्रिक राज्यों में संक्रमणकालीन स्थिति या जातीय संघर्ष के लिए या फिर गैर प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना में मदद पहुंचाती है।[40]

सर्वाधिकारवादी/सतावादी शासन और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक पसंद को जनता अपने अनुसार प्रयोग और उपयोग करती है। सर्वाधिकारवादी शासन के अंतर्गत मीडिया के द्वारा शासक अभिजन उसके उपर नियंत्रण और प्रतिबंध रखते हुए अपने निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति करते है। तथा साथ ही जनता पर नियंत्रण स्थापित करने में उसका उपयोग अपने अनुसार करते है। ये सर्वाधिकारी शासन सिर्फ मीडिया पर ही प्रतिबंध लगाते बल्कि

[39] Guntur, Richard and Mughan Anthany, n. 5, p. 3

साथ ही साथ मीडिया के उपयोग ये गैर उत्तरदायित्व और स्वार्थी उद्देश्य के पूर्ति के लिए एक कठपुतली की तरह प्रयोग करते है। लेकिन विभिन्न अलग–अलग सर्वाधिकारी शासको के भिन्न–भिन्न होते है और मीडिया के उपयोग के तरीके भी।[41]

लिन्स्की ने कहा है कि एक प्रभावक सरकार को जरूरत होती है कि वह नीति निर्धारित को कैसे मीडिया संचालन करना है अतः वे महत्वपूर्ण नीति निर्धारण के उद्देश्य प्राप्ति से मीडिया का उपयोग करते है। यदि वे संचार संदर्भ का उपयोग नहीं करते हुए प्रतिबंधित करते हैं तो नीतियां या अन्य कार्य पूरी तरह असफल हो जाते है।[42]

जुआन लिंज के परम्परागत प्रकारों के अनुसार सर्वाधिकारी शासन सर्वप्रथम विश्वव्यापी कार्य करता है और विभिन्न प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से दमनात्मक कार्य करता है। सर्वाधिकारी शासकों के विभिन्न समाज विरोधी उद्देश्य होते हैं। तथा वह एक भौतिक सामाजिक परिवर्तन के द्वारा एक 'नव राष्ट्र' के निर्माण को निश्चित करता है। तथा वह इसी परिवर्तन के लिए मीडिया का उपयोक करते हुए गैर जनता के विचार, मूल्य और भावना का परिवर्तन करना चाहते है।[43] जबकि प्रजातांत्रिक समाजों में राजनीतिक संचार प्रक्रिया बहुत भिन्न रूप में कार्य करती है। मीडिया संचार के माध्यम से जन समूह को जागरूक रखती है तथा शासक वर्ग को जनता के प्रति उतरदायी बनाती है। मीडिया जन नियंत्रण शासन पर स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मीडिया पर प्रजातांत्रिक शासन द्वारा भी प्रतिबंध लगाया जाता है और लगाया जाता रहा है। उदाहरणस्वरूप ब्रिटेन में सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाशन करने से पहले अनुमति लेना जरूरी होता है। फ्रांस में भी मीडिया के प्रसारण पर राज्य का नियंत्रण 1920 से लेकर 1980 तक बराबर रहा है।[44]

---

[40] " Emergency Aid To Independent Media", see, http//www.Pressnow.org
[41] Guntur, Richard and Mughan Anthany, n. 5, p. 4
[42] Graber Doriss A., n.24, p.370
[43] Guntur, Richard and Mughan Anthany, n. 5, p. 4
[44] ibid

विकासशील देशों में मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग–अलग तरीके अपनाए जाते है। लेकिन प्रजातांत्रिक देशों में आपातकाल के नाम पर मीडिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है। उदाहरणः भारत के संविधान में ही मीडिया पर उचित समय पर नियंत्रण स्थापित करने की बात कही गयी है। भाषण की स्वतंत्रता को निरपेक्ष और असीमित नहीं बनाया गया हैं। यह इसलिए किया गया कि जुबान और कलम की ताकत का उपयोग कानून और व्यवस्था को तोड़ने के लिए नहीं किया जाए। और साथ ही इसका यह अर्थ भी नहीं है कि भाषा का उपयोग सभी संभव कार्य के लिए किया जाए। पूर्णतया स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ एक ऐसे अनियंत्रित लाइसेंस की तरह होगा जिसमें लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को कोई महत्व नहीं।[45] मीडिया का उपयोग का यह दृष्टिकोण सर्वाधिकारी शासन में लोकप्रिय, उत्तरदायी व्यवस्था के दमन के लिए होता है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विकास में मदद देता है। इसका उद्‌भव शीत युद्ध के समय से प्रकाश की शक्तियों और अंधेरे की शक्तियों के साथ हुई है। अर्थात् यह दृष्टिकोण 1950 के बाद स्पष्ट हुई कि मीडिया प्रजातंत्र में जनहित में कार्य करती है और सर्वाधिकारी शासन में शासकहित में ही। लेकिन यह भी निश्चित है कि मीडिया पर नियंत्रण दोनों ही शासन व्यवस्थाओं में होता है। फर्क यही है कि किसी में ज्यादा तो किसी कम।

(उ) विकसित और विकासशील देशों में मीडिया की स्थिति की तुलना

ब्रिटेन की मीडिया का विश्लेषण करने पर मिलता है कि श्रमिक दल की नेतृत्व में वहा मीडिया का प्रयोग हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में श्रमिक समर्थित राष्ट्रीय प्रेस को विस्तृत रूप से प्राथमिकता दिया जाता रहा है। और प्रेस का प्रयोग राजनीतिक दलों द्वारा घोषणापत्र बनाए जाने लिए होता है।[46]जबकि अमेरिका में मीडिया आंशिक रूप से आशावादी है। यहां समाचार पत्र जनता को सरकारी कार्यालयों के अंदर तक की

[45] ibid, p.5

सूचना प्रदान करते है। इसमें कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता है कि कुछ मुद्दों में मीडिया का हस्तक्षेप आवश्यक होता है लेकिन यह भी है कि बहुत सारे मुद्दों में अमेरिका का टेलीबिजनीकरण राजनीतिक प्रक्रिया को बाधा पहुंचाता रहा है। मीडिया वहां पर चुनाव में राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवारों के लिए तथा कांग्रेस की गतिविधि संचालित करने में महत्वपूर्ण ढंग से मदद पहुंचता रहा है।[47]

ब्रिटेन और अमेरिका में मीडिया उच्च स्तर पर स्वतंत्र ढंग से कार्य करती है। अमेरिका में मीडिया वहां के चुनाव में उम्मीदवारों के संबंध में जनता को महत्वपूर्ण ढंग से सूचना प्रदान करती है।[48] जबकि ब्रिटेन में भी मीडिया की भूमिका इसी तरह की है।[49] अमेरिका में मीडिया संस्थाओं का शासन की संस्थाओं पर ज्यादा प्रभाव है। जबकि ब्रिटेन में शासन के तीनों अंगों का मीडिया संस्थाओं पर ज्यादा प्रभाव है। फिर भी दोनों ही जगह पर मीडिया अपने ढंग से उचित तरीके से कार्य कर रही है।[50]

Jawaharlal Nehru University Library
TH-12757

विकासशील देशों में मीडिया की स्थिति विकसीत देशों की अपेक्षा बहुत बुरी है। जैसे बांग्लादेश में मीडिया नियंत्रण के लिए शक्त कानून बनाये गये है। जिससे वहां पर राज्य नियंत्रण में रहते हुए अपनी गतिविधियां संचालित कर रही है। पत्रकारों को भी समय–समय पर दबाव में रखते हुए आर्थिक और शारीरिक दण्ड देकर परेशान किया जाता रहा है।[51] जबकि राजतंत्रात्मक भूटान में तो मीडिया पर शक्त नियंत्रण लगाया गया है। लेकिन इसके लिए वहां पर कोई वैधानिक या नियंत्रक संरचना नहीं बनाया गया है।[52] भूटान में सिर्फ "कुयन सेल" पत्र प्रकाशित होता है।

भाषण की स्थापना पर प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि राजा या नरेश की आलोचना पर मनाही है लेकिन अपवादस्वरूप राष्ट्रीय सभा के वाद–विवाद के दौरान

---

[46] Randall, Vicky (1998), n. 15, p. 242
[47] Ibid, pp. 240 – 241
[48] Ramsden, Grahem P., "Media Coverage of Issues and Condidates: What appropriate in a democracy", *Political Science Quarterly*, vol. 111, no. 1, 1996, p. 66
[49] Stanyer, James "Politics and the Media: A Loss of Political Appetite", *Parliamentary Affairs*, 2002, p. 61
[50] Graber, Doriss A. (1994), n. 24, p. 70
[51] "Media in South Asia", *Monthly Commentry on Indian Economic Conditions*, Dec, 2000, p. 9

हुए अप्रत्यक्ष आलोचना को छोड़कर राज्य नियंत्रित साप्ताहिक पत्र कुयन सेल भुटान में नियमित प्रकाशित होने वाला पत्र है जो मुख्यतः शासन समर्थक दृष्टिकोण के साथ ही समाचार प्रकाशित करता है। सरकारी मंत्रालय नियमित रूप से संपादकीय की समीक्षा करते है और साथ ही निर्देशात्मक कार्यवाही करते हुए संपादकीय के विषय में परिवर्तन करवा देते है। सरकार ने निजी टेलीविजन तथा सेटलाइट डिश पर भी प्रतिबंध लगाया था। 1989 के बाद सभी टेलीविजन और सेटलाइट डिसो पर शासन व्यवस्था के आदेश द्वारा आवरणहीन कर दिए गए थे।[53]

जब नेपाली मीडिया की तुलना अमेरिका और भारत की मीडिया से किया जाता है तो पाया जाता है कि यहां नेपाल के चतुर्थ अंग संवैधानिक संरक्षण को प्राप्त है। सैद्धांतिक रूप से ये संरक्षण नेपाल में मीडिया के वाचडाग के रूप में प्रभावी क्रियाशीलता दिखती है।[54] लोकराज बराल ने कहा है कि "संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं में (पत्रकार एक स्वतंत्र पेशेवर की तरह कार्य नहीं कर सकता। मास मीडिया आर्थिक गरीबी के कारण स्वतंत्र समाचार प्रकाशित करने में असमर्थ रहते है। नये प्रजातांत्रिक राज्यों के पत्रकार दिक्कतों का सामना करते हुए, मुश्किलों से ये अनुभव करते है कि वे सता के समर्थक या आलोचक के रूप में कार्य संपादित कर रहे है।[55]

आज मीडिया सिर्फ समाज और संसार की अभिव्यक्ति का दर्पण ही नहीं है यह विश्व परिवर्तन, समाज परिवर्तन और इनके मूल्यों, मान्यताओं और लोगों की आवाज को प्रभावित करने का साधन है। 1930 में विन्सटल चर्चिल ने कहा था कि "प्रेस से ज्यादा शक्ति किसी और संस्था ने 20वीं सदी में प्राप्त नहीं की है ..... और कोई संस्था जनता के सभी वर्गो को समाज में इतना नजदीक नहीं ला सका है।" आज प्रेस

---

[52] Ibid, p. 10
[53] ibid,p.9
[54] Dhruva Hari Adhikari, "Media, Press,.Power and Pressure", in D. B. Gurung, ed., *Nepal Tommarow: Voices and Vision*, (Kathmandu: KosileePrakashan, 2003), p. 597
[55] Baral,Lokraj, *Nepal: Politics of Referendrum*, (Sahibabad:Vikas Publishers, 1983), p. 69

और मीडिया जीवन का अभिन्न अंग हो गया है और उसकी शक्ति और प्रभाव बहुत गहरा हो चुका है।[56]

एक प्रजातांत्रिक समाज में मीडिया की भूमिका प्राथमिक महत्व का होता है। प्रजातंत्र सहभागी सरकार पर आधारित होती है और यह मीडिया ही होती है जो जनता को समाज के विभिन्न समस्याओं के अवगत कराती है और उन्हें सरकार द्वारा किए गए कार्यों के लिए जवाब मांगने हेतु मजबूत बनाती है। सरकार और राज्य की क्रिया को और प्रतियोगी दलों की राजनीतिक शक्ति को चलाने की इच्छा से मीडिया द्वारा अभिव्यक्त होना चाहिए। क्योंकि इससे स्पष्टताः आती है।[57]

शासकों के चुनाव में, और सरकार के बनाने और बिगाड़ने में मीडिया द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है। इसकी भूमिका के संबंध में अलग अलग दृष्टिकोण है – कुछ लोग इसे प्रतिवादी की भूमिका में तो कुछ इसे जनता के हित के संरक्षक के रूप में देखना चाहते है। दोनों ही स्थिति में मीडिया सरकार उसके निर्णयों और उसके क्रियान्वयन पर प्रकाश डालता है। मीडिया सरकार की गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह न लगाते हुए उसके द्वारा अप्रतिनिधित्यामक गतिविधियों पर प्रकाश डालता है।[58]

ब्राउन ने आधुनिक लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका की विपरीत दृष्टिकोणों की सूची बनाया है। वे निम्न तत्वों को प्रजातंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी मानता है[59]–

1. मीडिया राज्यों द्वारा नियंत्रित नहीं अतः सरकार द्वारा नियंत्रण सीमित हो तथा स्वतंत्र विचार अभिव्यक्ति दिया गया हो। पत्रकार वैधानिक सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए सरकार या राज्य पर प्रकाशन और टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है।

---

[56] Narayanan , K.R., n. 1,, p. 5
[57] Sharma , Mukul (2002), n.6, p. 514
[58] K.K. Katyal, "Media, Democracy and People's Right", *Mainstream*, vol.xli,n. 25, June7 2003, pp,15-17
[59] Marsha Jones and Emma Jones, *Mass Media*, (NewYork: Palgrave, 1999), p. 189

2. एक वृहत मीडिया क्षेत्र का अर्थ एक वृहत विचारों का क्षेत्र होता है। क्योंकि मीडिया सरकार की नीतियों और गतिविधियों पर टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र होता है। मीडिया एक महत्वपर्ण वाचडाग की भूमिका निभाता है।

3. मीडिया समाचारों और तत्कालिक मामलों या घटनाओं को प्रस्तुत करता है।

4. मीडिया समाज में उभरती जनमत को बखूबी अभिव्यक्ति करता है तथा उसको नया बनाता है। जनता को चेतनायुक्त बनाते हुए उन्हें किसी भी मीडिया प्रयोग के बारे में बताता है।

5. कोई भी अपने विचारों को समाचार पत्र या अन्य मीडिया द्वारा संपूर्ण जगह पहुंचा सकता है।

अध्याय 2

नेपाल में मीडिया और राजनीतिक विकासः ऐतिहासिक रूपरेखा और प्रवृति

प्रस्तावना

नेपाल के इतिहास में दोनों, राणा अल्पतंत्र और पंचायत शासन के दौरान उचित उदाहरण दिखाई पड़ता है कि सरकार किस तरह नेपाल में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतम कर सकता है। राज्य के मामलों को जनता तक पहुचाएं जाने में प्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।[1] नेपाल में प्रेस की स्थिति का सर्वेक्षण करने पर वहां की समाज की स्थिति की मानसिक दशा का पता चलता है। प्रेस कैसे गरीबी तथा अन्य गैर पेशेवर दिक्कतों के दौर से गुजरती है, को नेपाल में देखा जा सकता है।[2]

भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक विकास में प्रभावशील भुमिका निभाते है। यह ऐतिहासिक विशिष्टता और विरासत, ही होती है जो नेताओं और उनकी गतिविधियों को जिससे प्रभावित होकर जनता सामान्यतः विध्वंसक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करती है। यदि नेपाल के लोग नेपाल में पिछले एक शताब्दी से प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे है तो इसमें सबसे प्रभावशाली भूमिका ऐतिहासिक तत्वों की ही है।[3]

प्रशासनिक आवश्यकता के कारण ब्रिटिश भारत के लोगों के द्वारा ब्रिटिश रॉयल आर्मी या ब्रिटिश राज की सेना में गोरखाओं की भर्ती की गयी थी। नेपाली मध्यम वर्ग

---

[1] Bista, Puran P, "State, Press and liberty." in D. B. Gurung, ed., *Nepal Tomorrow: Voices and Vision*, (Kathmandu: Kosilee Prakashan, 2003), p. 611

[2] Baral, Lok Raj,*Nepal's Politics of Referendum: A Study of Groups, Personalities and Trends,* (New Delhi: Vikas Publishing House, 1983), pp.69-70

[3] Chaturvedi, S K, *Internal Politics and its Contitutions,* (New Delhi: Inter India Publications, 1993), p.21

और राजनीतिक अभिजन भारत के जन आन्दोलन और इसके नेतृत्व के संपर्क में आए जिससे उनमें विभिन्न तरह की जागृति उद्‌भव हुई। भारत में रहने वाले नेपाली छात्र, बृद्धिजीवी एवं राजनीतिक नेताओं ने भारत के जन आन्दोलन के तौर तरीको को अपने देश में लागू किए। अर्थात् नेपाल में राजनीतिक हलचल का प्रथम दृश्य 19वीं शताब्दी के अन्त में दिखा था।[4]

नेपाल मे राजनीतिक विकास और नागरिक अधिकार

भारत और चीन के बीच स्थित नेपाल एक राष्ट्र है। नेपाल में शुरू से ही राजतंत्रात्मक प्रणाली कायम रही। 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक कुलीनतंत्रात्मक प्रणाली रही है। यहां के इतिहास को देखने से पता चलता है कि यहां पर शासन परिवर्तन होने के बावजूद सदैव हिन्दु शासक ही शासन करता रहा है। राष्ट्रीय एकता 1769 में पृथ्वीनारायण शाह द्वारा कायम किया गया था। तभी से यह देश एक राष्ट्र के रूप में पहचाना जाने लगा। 1846 में नेपाली राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तन आया। राणा परिवार ने नरेश तथा उनके परिवार को महल में कैदकर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लिया।[5]

इस तरह नेपाल में एक तानाशाही शासन व्यवस्था की स्थापना हुई जिससे सामंतवादी ताकते मजबूत होकर उभरी। यह राणावादी शासन देश में लगभग 104 वर्षों तक कायम रहा। अर्थात् इस समय राष्ट्र की वास्तविक शक्तियां राणा परिवार के हाथों में थी और औपचारिक कानुनी शक्तिया नरेश में निहित थी।[6]

बीसवीं शताब्दी के पुर्वार्द्ध के बाद संपूर्ण दक्षिण एशिया में (विशेषतः भारत में) स्वतंत्रता की लहरे चलने लगी। इस दौरान दक्षिण एशिया में उपनिवेशवाद और दासता की विरूद्ध उग्र आन्दोलन प्रारंभ हुआ जिसका असर इस क्षेत्र के छोटे से देश नेपाल पर भी बखुबी पड़ा। जिसको राणा शासक मोहन शमशेर नहीं समझ सके। उसके इस

---

[4] ibid, p.33

[5] Chauhan, R. S. , *Struggle and Change in South Asian Monarchies*, (New Delhi: Chetana Publications, 1977), p. 12

[6] ibid , p. 12

कदम के फलस्वरूप देश में आन्दोलन प्रारंभ हो गया। नेपाल में राणा शासको द्वारा अपनायी जा रही शिक्षा विरोधी नीतियों के कारण जनता में जागरूकता का अभाव था। यह दौर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे–धीरे समाप्त होने लगा और नेपाली जनता में जागरूकता का प्रारंभ हुआ। इस जागरूकता के अन्य कारण भी थे जिसमें, नेपाल की गोरखा सेना का विश्वयुद्ध में सम्मिलित होना और भारत में रहकर नेपाली छात्रों द्वारा शिक्षा ग्रहण करना प्रमुख रहा है।[7]

नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रजा परिषद दलों की स्थापना के बाद नेपाल के राजाओं के तानाशाही शासन के विरूद्ध देश में आवाज उठने लगी। कई नेपाली नेताओं ने तो भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में महत्वपूर्ण ढंग से भाग लिया था जिसमें विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, रमण रेगमी, सूर्य प्रसाद उपाध्याय, हरि प्रसाद प्रधान, पुष्पलाल एवं उदयराज लाल आदि सम्मिलित थे। इन लोगों ने गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसक गतिविधियों जैसे सत्याग्रह, हड़ताल एवं धरने में भाग लिया। इन नेताओं ने इसको ग्रहण कर अपने देश में लागू किया।[8]

1935 में बने प्रजा परिषद ने अपने मुखपत्र 'जनता' इस दौरान अपने कार्यक्रमों तथा घोषणा पत्र को प्रकाशित करता था। जनता लेख तथा राना विरोधी समाचार फैलाकर देश में राणा विरोधी लहर पैदा करना चाहता था। इसका असर भविष्य में दिखायी दिया।[9]

नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपना मुखपत्र "नेपाल पुकार" और "नव नेपाल" (हिन्दी) को साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। कांग्रेस दल के अंदर ही दो पृथक विचारधाराओं के पनपने से यह दो पृथक–पृथक समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। पहला, मातृका प्रसाद कोईराला के विचारों को प्रमुखता देता था जो

---

[7] Joshi, Bhuwanlal and Leo Rose, *Democratic Innovations of Nepal*, (Berkley: Los Angeles Universirty of California Press, 1966), p. 50.
[8] Chauhan, R. S., n. 5, p.13
[9] Joshi & Rose ,n .7, p. 9

प्रजातांत्रिक तरीके पर विश्वास रखते थे तथा दूसरा बिश्वेश्वर प्रसाद कोईराला और सुवर्ण शमशेर के क्रांतिकारी विचार को प्रमुखता देता था।[10]

नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस ने 4 मार्च, 1947 को राणा तानाशाही शासन के विरूद्ध अहिंसक आन्दोलन प्रारंभ किया था। राणा शासकों ने इस आन्दोलन को दबाने के लिए देश में दमनात्मक कदम उठाया। इस दमनात्मक कार्यवाही के दौरान बहुत लोग मारे गए तथा गिरिजा प्रसाद कोईराला, मनमोहन अधिकारी, विश्वेश्वर प्रसाद कोईराला एवं बालचन्द शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। कलकता में नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक की गई जिसमें गिरफ्तार किए गए नेताओं को छोड़ने की बात नेपाली शासन के सामने रखी गयी। राणा शसक ने इस मांग पर कोई भी कदम नहीं उठाया। जिसके परिणाम स्वरूप देश में सत्याग्रह, हड़ताले, रैलियां और जुलूस जनता द्वारा शासन के विरूद्ध निकाला गया।[11]

इस आंदोलनकारी वातावरण के कारण देश की स्थिति मे महत्वपूर्ण परिवर्तन आया जिससे राणा शासकों को अपनी सत्ता खतरे में दिखी। इस दौरान राणा शासक को आंतरिक दबाव के साथ ही बाहरी दबाव का सामना भी करना पड़ा। राणा शासक पदम शमशेर राणा ने उदार होते हुए 16 मई, 1947 को देश में सुधार की घोषणा किया और गिरफ्तार नेताओं को छोड़ने का आदेश दिया। तत्पश्चात नेपाली कांग्रेस ने भी आन्दोलन को वापस ले लिया। इस दौरान पदम शमशेर राणा ने अपने भाषण में देश में राजनीतिक उदारीकरण के लिए सुधार समिति की स्थापना, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, काठमाण्डु में स्वायत सात नए विद्यालयों की स्थापना करने की बात को कहते हुए, देश में नागरिकों को मौलिक अधिकारों को प्रदान करने की बात को भी कहा।[12]

---

[10] Paramanand, *Nepali Congress Since its Inceptipn*, (Delhi : B. R. Publication, 1982), pp. 31-32
[11] Chauhan, R. S., *The Political Development in Nepal 1950-70: Conflict Between Tradition and Modernity*, (New Delhi: Associated Publishing House, 1971), p.13
[12] Joshi & Rose, n. 7, p. 50.

इन सुधारों के प्रति राणा शासकों में ही आपस में मतभेद की स्थिति हो गयी थी लेकिन इन्हें लागू किया गया। इस सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ तब दिखा जब काठमाण्डु में प्रथम बार वयस्क मताधिकार के आधार पर नगरपालिका के चुनाव कराए गए। नेपाल के पुरे इतिहास में यह प्रथम प्रजातांत्रिक अनुभव था।[13]

इन घटनाओं के बाद नेपाल में संवैधानिक सुधारों का दौर प्रारंभ हुआ। देश में 1990 तक विभिन्न तरह के कदम उठाए गए। इस दौरान देश में चुनाव कराया गया, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया तथा पंचायती शासन का अनुभव भी प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री पदम् शमशेर राणा ने 1948 ईस्वी में प्रथम लिखित संविधान बनाने की घोषणा किया। जो Government of Nepal Act, 1948 कहलाया।[14] इस संविधान में एक लघु प्रस्तावना एवं 6 भाग और 68 अनुच्छेद तथा साथ में एक अनुसूची रखी गई।[15]इस संविधान के जरिये देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस संविधान के निर्माण के लिए भारत से श्री प्रकाश और रघुनाथ सिंह को लखनऊ विश्वविद्यालय से आमंत्रित किया गया।[16] इस संविधान में राजा त्रिभुवन को राजनीतिक शक्तियों से पृथक रखा गया तथा समस्त शक्तियां राणा प्रधानमंत्री ने स्वयं अपने पास रखी।

1948 के संविधान के अंतर्गत नेपाल की जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत जनता को भाषण, धर्म एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, कानून के समक्ष समानता एवं निजी संपत्ति का अधिकार सम्मिलित किया गया था। इसके अंतर्गत कहा गया कि कार्यपालिका की शक्ति राणा प्रधानमंत्री में निहित होगी एवं उसकी सहायता के लिए 5 सदस्यीय मंत्रिमण्डल होंगा जो प्रशासनिक दृष्टिकोण उत्तरदायी होंगा।

---

[13] Gupta, Anirudha, *Political Development in Nepal 1950-1960*, (New Delhi:Kaliga Publication, 1993), p. 31.

[14] Chaturvedi, S K, n.3, p.35

[15] ibid, p.37

[16] Gupta, Anirudha, n. 13, p.31

इस संविधान के अंतर्गत द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना करने का प्रावधान था। किसी भी सदन में प्रस्तावित विधेयक बिना राणा प्रधानमंत्री की स्वीकृति पर कानून नहीं बन सकता था। संविधान मे सोपानात्मक संरचनात्मक वाली न्याय व्यवस्था की स्थापना करने का प्रावधान था। अर्थात् क्रमशः न्यायिक समिति, उच्च न्यायालय, अदालतें और नगर या गांव पंचायतें होगी लेकिन सर्वोच्च न्यायिक शक्ति राणा प्रधानमंत्री में निहित होंगी। इसी समय पद्म शमशेर राणा ने नाटकीय ढंग से प्रधानमंत्री पद से इस्तिफा दे दिया तथा तत्पश्चात् मोहन शमशेर राणा नेपाल के प्रधानमंत्री बने। इन्होंने सत्ता में आते ही पूर्वघोषित सुधारों और संविधान को नकार दिया तथा देश में परम्परागत रिवाजों के आधार पर शासन चलाना प्रारंभ कर दिया।[17]

लेकिन 1948 के संविधान में राणाओं द्वारा सत्ता को अपने पक्ष में स्थापित करने के प्रावधानों को महत्व दिया गया था जिसका वहां पर बखुबी विरोध प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप राजनीतिक दल, संगठन तथा नरेष ने मिलकर आंदोलन को प्रोत्साहन दिया इसमें भारत के योगदान बखुबी था। तथा मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी।[18]

त्रिपुरार सिंह, गोपाल प्रसाद और विजय बहादुर मल्ल आदि युवाओं के समूह द्वारा अक्टूबर 1948 में नेपाल प्रजा पंचायत का गठन किया। इस संगठन में अस्तित्व में आते ही संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की मांग किया।[19] इस समूह के मांग का समर्थन करते हुए बी.पी. कोईराला ने राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के साथ अन्दरूनी तौर पर राणा शासन का विरोध करना प्रारंभ किया।[20] निचले क्रम के राणा शासक जो सत्ता में नहीं थे उन्होंने कलकता में नेपाली डेमोक्रेटिक कांग्रेस की स्थापना कर राणा शासन का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। कलकता में ही 1949 में पुष्पलाल श्रेष्ठा ने

---

[17] ibid, p.21

[18] Chauhan, R. S. , n.11, p.42

[19] Gupta, Anirudha, n.13, p. 43.

[20] ibid p. 3.

कम्यूनिस्ट पार्टी का गठन किया । इन सभी संगठनों ने सांविधानिक शासन स्थाई करने की मांग किए। जनता के मौलिक अधिकारों को वापस करने की मांग किए।[21]

1950 में नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस और नेपाल प्रजातांत्रिक कांग्रेस दल ने आपस में विलय कर राणा शासन को एक ज्ञापन सौपा। शुरू में तो राणा शासक ने इस ज्ञापन से असहमति व्यक्त किया लेकिन बाद में दबाव के कारण इसे स्वीकार कर लिया। इस ज्ञापन में कहा गया था कि शासन सत्ता नरेश त्रिभुवन संभालेंगे तथा 14 सदस्यीय अंतरिम कैबिनेट का गठन होगा। 1951 में राणा शासक, नरेश और नेपाली कांग्रेस की बैठक भारतीय मध्यस्तर में दिल्ली में बैठक हुई जिसके फलस्वरूप 1951 में एक अंतरिम संविधान का निर्माण किया इसे ही दिल्ली समझौता कहा गया।[22]

1951 के बाद का समय काल नेपाली पत्रकारिता के लिए बहुत बदलावपूर्ण रहा। नेपाली जनता का एक प्रमुख भाग भारत मे यथावत प्रकाशित नेपाली और अंग्रेजी पत्रिकाओं को न पढकर, खुद प्रकाशन प्रारंभ किया। जबकि सरकार नियंत्रित समाचार "गोरखापत्र" और "दि राइजिंग नेपाल" सरकार के दृष्टिकोण को दिखाते थे।[23]

1951 का संविधान एक अंतरिम संविधान था। जो जन प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनी गई संवैधानिक सभा के सदस्यों द्वारा निर्मित नये संविधान के लागू होने के बाद समाप्त हो जाता। इस अंतरिम संविधान में मौलिक अधिकारों पर बहुत जोर दिया गया था। इस संविधान में सरकार के आर्थिक, राजनीतिक, और सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। इसके बाद राणा शासन द्वारा शासन की बागडोर नरेश ने ले लिया। इसके साथ ही कहा गया था कि एक सलाहकारी सभा होंगी जो विधायी

---

[21] ibid p.43.
[22] Chauhan, R. S.., n. 11, p.42.
[23] Mukherjee, Sadhan, (ed), *Media Handbook For South Asia,* (New Delhi: Allied Publishers Ltd., 1991), pp. 90-91.

शक्तियों के लिए उत्तरदायी होंगी। इसमें कहा गया कि मंत्री अपने पदो पर नरेश के प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें तथा नरेश जब चाहेंगा वह उन्हें हटा सकेगा।[24]

इस संविधान में भारतीय संविधान तरह की मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित किया गया था। मौलिक अधिकारों में विशेष रूप से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा निजी संपत्ति का अधिकार सम्मिलित किए गए थे। तथा साथ ही कहा गया कि राज्य कल्याणकारी राज्य की तरह नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय को संरक्षित करेगा। इस संविधान कर सबसे बड़ी कमी अध्यादेशों के द्वारा इस संविधान में लिखे अनुच्छेदों को आसानी से बदला जाना था।[25]

1951 से 1959 के बीच इस संविधान में तीन बार संशोधन कर इसके स्वरूप को ही बदल दिया गया जिससे नीति निर्देशक तत्व को एकदम महत्वहीन हो गए। इस दौरान, राणा शासकों का ह्रास, नेपाली कांग्रेस का विखंडन, और नेपाली जनता में चेतना का विकास के फलस्वरूप इस संविधान मे परिवर्तन आया। पहले संसोधन के माध्यम से नरेश ने सलाहकारी सभा की शक्ति अपने हाथ में ले लिया।[26] द्वितीय संशोधन के द्वारा विशेष आपातकाल अधिनियम, 2009 विक्रमी संवत (1952) पारित कर 1951 के संविधान के स्वरूप को ही खतम कर दिया गया।[27] जबकि तीसरा संशोधन के माध्यम से न्यायालय की शक्तियों को कम कर दिया। इसे अंतरिम सरकार का नेपाल अधिनियम 1954 कहा गया था।[28]

1951 के संविधान में भी नागरिकों को महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे जिससे वहां पर प्रजातंत्र स्थापना में मदद मिली। इसमें विशेषतः नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा निजी

---

[24] Muni, S D, *"Political Change: A Frame Work of Analysis"*, in S. D. Muni, (ed), Nepal: An Assertive Monarchy, (Chetana Publications, New Delhi, 1977), pp. 52-53.
[25] Joshi & Rose, n. 7, p. 50.

[26] ibid, p. 74.
[27] ibid, p. 76.
[28] ibid, p. 154.

संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। इस संविधान की स्थापना के बाद वहां पर नरेश ने सत्ता पर अपनी पकड़ बना लिया तथा वहां पर नरेश समय–समय पर सरकार को गिराकर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में व्यवधान डालते रहते थे। लेकिन इसके खिलाफ जनाक्रोष नेपाल में दिनो दिन बढ़ता गया और नरेश ने दबाव में आकर 1959 में पुनः संविधान बनाने की बात कही। इस संविधान में भी नागरिकों को कल्याणकारी राज्य के माध्यम से मौलिक अधिकारों को प्रदान करने की बात कही गयी।[29]

सन् 1955 में नरेश त्रिभुवन के अस्वस्थ होने के साथ ही राजकुमार महेन्द्र की शक्तियां बढने लगी। मार्च 1955 नरेश त्रिभुवन की मृत्यु के बाद नेपाली शासन की बागडोर राजकुमार महेन्द्र ने अपने हाथों में ले लिया।[30] नरेश महेन्द्र ने एक विवादास्पद कदम उठाते हुए 1957 में एक ऐसे अलोकप्रिय दल के नेता के.आई.सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया जिसे जनता जानती तक नहीं थी। जिसके कारण राष्ट्र में आन्दोलन प्रारंभ हो गया। इस आन्दोलन के फलस्वरूप नरेश महेन्द्र ने 1958 एक अंतरिम सरकार का गठन किया जो संविधान निर्माण और संवैधानिक सभा के चुनाव में सहायता करता। 1959 में उन्होंने एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जिसमें रामाराज पंत, हीरा प्रसाद जोशी, एस.पी. उपाध्याय और रणधीर सुब्बा सम्मिलित थे।[31] इस समिति ने 1959 में संविधान को प्रस्तुत किया जिसमें 77 अनुच्छेद तथा 10 भाग थे। एक शाही आयोग द्वारा यह इसे शीघ्रातिशीघ्र लागू कर दिया गया।

नेपाल के 1959 के संविधान में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भाग तीन के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है जो सात अनुच्छेदों में वर्णित है। यह संविधान नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अर्थात धर्म, लिंग, जाति, वंश और जनजाति के आधार पर भेदभाव न करके विभिन्न आधुनिक मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसमे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, विधियों का समान संरक्षण, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार

---

[29] ibid, p.150

[30] Shaha, Rishikesha, *Three Decades and Two Kings (1960-1990), Eclipse of Nepal's Partyless Monarchic Rule,* (New Delhi: Sterling Pub. 1990), p. 1.

[31] Chauhan, R. S, n.11, p.99.

सम्मिलित थे।[32] लेकिन इसे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिससे इन मौलिक अधिकारों को कभी भी कम या खतम किया जा सकता है। इसके माध्यम से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर बहुत सारी शर्तें लगायी थी तथा साथ ही व्यवस्थापिका को यह अधिकार दिया गया था कि वह जब चाहे इस अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। इसमें कहा गया था कि संविधान को लागू करते हुए कोई भी कानून बनाया जा सकता है। भाग तीन पर "जन भलाई" के नाम पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था किया गया था। जो निम्न थे:-[33]

(क) शांति, विधि और व्यवस्था बनाने के लिए

(ख) नेपाल की सुरक्षा के लिए

(ग) नेपाल और अन्य देशों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए

(घ) विभिन्न जाति, धर्म और क्षेत्र के लोगों के बीच उचित भाईचारे की स्थापना के लिए

(ड.) उचित व्यवहार, स्वास्थ्य, आर्थिक लाभ, परहित की भावना पैदा करने और नैतिकता की स्थापना के लिए।

(च) आंतरिक अशांति को समाप्त करने के लिए

(छ) न्यायालय और व्यवस्थापिका की अवमानना को रोकने के लिए,

(ज) विधिपूर्वक स्थापित किसी राज संस्था की आज्ञा की अवहेलना को रोकने के लिए

इस संविधान के घोषित होने के एक महीने बाद देश में चुनाव कराया गया। इस दौरान नरेश और सरकारी संस्थाओं का वास्तविक रूप सामने आया। अर्थात् नरेश ने इस चुनाव को दिल से समर्थन नहीं दिया। चुनाव होने के बाद 1959 में नेपाली कांग्रेस बहुमत में आयी और उससे सरकार बनाया जो आकारगत रूप से तब तक की

---

[32] Article 8 (1) (a) and (b), *The Constitution of the Kingdom of Nepal, 1959,* (Kathmandu: Ministry of Law and Parliamentary Management), 1959, p. 6.

[33] ibid, p.111-112

सबसे बड़ी सरकार थी। बिश्वेश्वर प्रसाद कोईराला इस समय प्रधानमंत्री बने। सरकार के अन्दर ही मतभेद पैदा हो जाने के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता फैल गयी जिससे नरेश ने देश में आपातकाल लगा दिया।[34] यह आपातकाल नरेश ने 1960 में यह कहकर लगाया कि देश में 'एकता, राष्ट्रीयता अखंण्डता और सम्प्रभुता का सम्मान नहीं किया जा रहा है।[35] नरेश ने दो अन्य कारणों से भी देश में आपात काल लगाने की बात कही। प्रथम उन्होने नेपाली कांग्रेस पर अनुत्तरदायीपूर्ण ढंग से शासन का दुरूपयोग करने का और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, द्वितीय, उन्होंने संसदात्मक शासन व्यवस्था को ही संरचनात्मक रूप से देश के लिए अयोग्य ठहराया।[36]

1948 मे प्रेस पर नियंत्रण लगाने के लिए कानुनों का निर्माण किया गया। जिसके अर्न्तगत कहा गया था कि मीडिया राणा परिवार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, राष्ट्रीय 'एकता, अखंण्डता और सम्प्रभुता के खिलाफ कोई समाचार प्रकाशित नहीं करेगा। 1976 का प्रेस और प्रकाशन अधिनियम से नये प्रावधानों के अंतर्गत यह निश्चित किया गया कि नये प्रकाशन के लिए पंजीकरण शुल्क देना पड़ेगा। राजनीति दल से संबंधित पत्रकारिता पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। संबधित कानुनों और अधिनियम के माध्यम से विभिन्न प्रतिबंधों के द्वारा प्रेस स्वतंत्रता को सीमित रखा गया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंध 1962 को राष्ट्रीय समाचार समिति अधिनियम था। जिसको सरकार दो स्वतंत्र समाचार संस्था को भंग करके बनवाया था और उसके स्थान पर एक राष्ट्रीय समाचार समिति का निर्माण किया था। कई अन्य कानूनों के प्रेस अधिनियम के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध इस दौरान लगाया जाता रहा जैसे 1962 के Offence and Punishment Act-1962 द्वारा जेल और धन दोनों तरह के प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि किसी भी लेख, भाषण के द्वारा राज घराने के प्रति असम्मान भावना का निर्माण किया गया हो। पत्रकारों पर एक अन्य अधिनियम Libel and Defamation Act of 1959 के माध्यम से प्रतिबंध लगाया गया था। जबकि इस

---

[34] Joshi & Rose, n. 7, pp. 313-15.
[35] Shaha, Rishikesh, *An Introduction to Nepal*, (New Delhi, Ratna Pustak Bhandar, 2001), p. 113.
[36] Chauhan, R. S., n. 11, p.147.

अधिनियम का भाग 4 के अर्न्तगत मीडिया पेशेवरों को सुरक्षा प्रदान किया गया था। कई पत्रकारों को पंचायत व्यवस्था के दौरान कानुन के माध्यम से चुप किया गया था। तत्पश्चात 1975 में प्रेस और प्रकाशन अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण को और बढ़ा दिया गया था।[37]

1948 में नेपाल में प्रथम प्रेस आयोग स्वच्छ और शक्तिशाली पत्रकारिता को विकसित करने के लिए परामर्श समिति को गठित किया गया। इसी समय वहां पर भारत के (Press Trust of India)के समतुल्य एक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की स्थापना किया गया। इसके साथ साथ अर्द्ध सरकारी एजेंसी जिसमें नेपाल संवाद समिति एवं सागरमाथा संवाद समिति की स्थापना किया गया। लेकिन 1961 में शाही शासन के दौरान नरेश महेन्द्र ने सभी संस्थाओ को पूर्णतया अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके पहले ये दोनों स्वतंत्र रूप से अपने गतिविधियां संचालित कर रहे थे।[38]

आपातकाल लागू करने के बाद ही नरेश ने शासन सत्ता अपने हाथों में लेते हुए संसदात्मक शासन को आलोचना किया। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल के लिए पश्चिमी मॉडल का लोकतंत्र आयोग्य है क्योंकि यह जनता के संस्कृति इतिहास और अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ है। अर्थात् देश में एक नया संविधान बनाया जाए। तत्पश्चात् 1962 में एक नये संविधान का निर्माण किया गया जो कई देशों की राजनीतिक संस्कृति और संविधान से प्रेरित था। इस संविधान में मिस्र और इंडोनशिया के "National Guidance" पाकिस्तान की "Basic Democracy" और मिस्र और युगोस्लाविया की "Class Organization" को सम्मिलित करते हुए भारत की पंचायती राजव्यवस्था को ग्रहण किया गया था।[39]

---

[37] D'souza, Frances, Carmel Bedford and Annlise Jespersen, *Information Freedom and Cencorship: World Report 1991* ,(London: Library Association Publishing), p.206

[38] Bista, Puran P., "State, Press and liberty." in D. B. Gurung, ed., *Nepal Tomorrow: Voices and Vision*, (Kathmandu: Kosilee Prakashan, 2003), p. 612

[39] Joshi & Rose, n. 7, p. 395-396.

इस 1962 में संविधान में महत्वपूर्ण बातों को सम्मिलित किया गया था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निम्न था:-[40]

(अ) नरेश संविधान के अनु. 81, जिसमें सत्ता के स्रोत का उल्लेख था, अर्न्तगत छोड़कर आपातकाल के समय संविधान को रद्द कर सकता है।

(आ) संविधान में पंचायती व्यवस्था का संरचनात्मक रूप को अपनाते हुए नगर पंचायत, जिला पंचायत, अंचल पंचायत और राष्ट्रीय पंचायत का उल्लेख किया गया था।

(इ) मौलिक अधिकार के माध्यम से जनता को समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति और संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया। साथ ही नागरिकों के कर्तव्य निश्चित किए गए।

(ई) नरेश को देश का प्रमुख कार्यपालक बनाया गया। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद या अपने मंत्रियों के माध्यम से कियान्वित करेंगा। उसके द्वारा लिए गए निर्णयों और उसकी सत्ता पर किसी तरह का कोई न्यायालीय पाबंदी नहीं होगी।

(उ) व्यवस्थापिका को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान किया गया था लेकिन नरेश किसी कानून से असहमति व्यक्त कर सकता था या वीटो का प्रयोग कर सकता है। नरेश विधेयकों को कुछ संसोधन करके सदन को वापस कर सकता था।

(ऊ) इस संविधान के अंतर्गत नरेश को सर्वोच्च न्यायिक पद दिया गया। वह किसी को क्षमा प्रदान कर सकता था। वह किसी न्यायालय द्वारा दिए दण्ड, आदेश को रद्द कर सकता था। नरेश के बाद न्यायिक शक्तियों का अधिकार क्रमशः उच्चतम न्यायालय, क्षेत्रीय, जोनल और जिला न्यायालय को दिया गया था। साथ ही सभी इलाको में इलाका न्यायालय बनाने का प्रावधान थे जिससे जनता तुरन्त न्याय पा सके।

इस पुरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भाग मौलिक अधिकारों का था। नागरिकों को इन मौलिक अधिकारों के साथ उत्तरदायित्व भी दिया गया। इस संविधान का भाग तीन में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। संविधान के अनु. 9

---

[40] Pant, Shashtra Dutta, *Comparative Constitutions of Nepal,* (Kathmandu:Sirud Publications, 2001), p.107.

में नागरिकों को राजभक्ति और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था।[41]

1962 में नरेश महेन्द्र द्वारा सत्ता हथिया लेने के बाद नेपाल में उग्र आन्दोलन प्रारंभ किया गया जिसके परिणाम स्वरूप नरेश ने देश में आपातकाल लगा दिया तथा बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नरेश ने बी.पी. कोईराला तथा कांग्रेस नेताओं को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। जिसके विरूद्ध नेपाली कांग्रेस ने देश में दो तरीके से विरोध प्रारंभ किया। प्रथम, कांग्रेस ने दो पत्रों "नेपाल टुडे" (अंग्रेजी) "नेपाल आहवान" (नेपाली) का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से वह अपने विचारों को जनता के बीच भेजता था। ये समाचार पत्र कुछ-कुछ खबरे हिन्दी में भी प्रकाशित करते थे। इसी के साथ ही कांग्रेस ने 1962 में "Radio Democractic Nepal"का शुभारंभ किया और इसके माध्यम से वह समाज में व्यापक प्रभाव डाला।[42]

बदलती परिस्थितियों में 1962 के संविधान को तीन बार परिवर्तित किया गया। 1967 में प्रथम संसोधन कर अनु. 11 के भाग 2 में वर्णित वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नागरिकों के साथ राजनीतिक दलों को प्रदान नहीं किया गया बल्कि उन पर और ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया। तथा साथ ही राष्ट्रीय पंचायत के सदस्यों की योग्यता में संशोधन किया गया। प्रधानमंत्री का पद भी इसी समय सृजित किया गया।[43]

इस संविधान मे द्वितीय संशोधन 1975 में किया गया। इसके माध्यम से "वापस गांवो की ओर" (Back toVillage National Campain.) को मजबुती करना नरेश का उद्देश्य था। उन्होंने इस पुराने स्वरूप वाले बोर्ड को विघटित कर "विकास के लिए राजनीतिक" शीर्षक पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय प्रचारक बोर्ड का गठन किए।[44]

---

[41] HMG Article 9, *The Constitution of Nepal*, 4th (ed), (Kathmandu: Law Books Management Board, 1975), p.2.

[42] Paramanand, n. 10, p. 310

[43] Chaturvedi, S K, n. 3, p.237-282

[44] *Times of India*, New Delhi, 14 Dec. 1975

नेपाली पंचायती संविधान में तीसरा संशोधन 1980 में किया गया था। इससे पहले नरेश बिरेन्द्र ने 1979 में "वापस गांवो की ओर" को निरस्त कर दिया था। 1980 में नरेश बिरेन्द्र ने इस संशोधन से पहले जनमत संग्रह करवाया था जिसमें पंचायती व्यवस्था को 54.7 प्रतिशत तथा 42.21 प्रतिशत मत इसके विरोध में पड़े।[45]

1970 में नरेश महेन्द्र के मृत्यु के बाद राजकुमार बिरेन्द्र देश का शासक बने। उन्होंने सत्ता में आते ही कहा कि देश के लिए पंचायती व्यवस्था ही उपयुक्त है। साथ ही सत्ता में आने के बाद नरेश बिरेन्द्र ने 1975 में एक सात सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग को छः महीने के अन्दर संविधान में सुधार करने के लिए सिफारिश देना था। आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश किए जो निम्न है:[46]

(क) निश्क्रिय और शिथिल पंचों को हटाना,

(ख) विकासशील कार्यों मे पंचों की भागीदारी बढ़ाना, और

(ग) पंचायत सदस्यों के गतिविधियों के उपर निगरानी रखते हुए नियंत्रण रखना।

पंचायती राज व्यवस्था के बाद 1980 तक या नरेश विरेन्द्र के जनमत संग्रह कराने के समय तक प्रेस की स्वतंत्रता पर तरह–तरह के प्रतिबंध लगाये गये थे। इस दौरान एक भी निजी क्षेत्र के समाचार पत्रों को जनता तक किसी भी सुचना को पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया गया था। "दैनिक समाज", "कामनर", "मदरलैण्ड", "नेपाल टाइम्स", "दैनिक नेपाल", "नवीन खबर समीक्षा", "मातृभूमि", "राष्ट्र पुकार" इत्यादि पत्र निजी क्षेत्र द्वारा निकाले जा रहे थे। इसमें "मातृभूमि" 1963 में पंजीकृत हुआ था जिसको सेवायं प्रदान करने वालों में रामराज, मनिन्द्र राज और गोविन्दा वियोगी प्रमुख थे। लेकिन 1967 में छः समाचार पत्रों पर नेपाल के सी.डी.ओ. ने "गैर पंजीकृत" घोषित कर दिया। इसमें "मातृभूमि", "नया प्रकाश" और "समीक्षा" जैसे पत्र भी सम्मलित थे। यह निर्णय सरकारी न होकर व्यक्तिगत था। वियोगी ने दामोदर

---

[45] Shaha, Rishikesh, *Essays in the Practice of Government in Nepal,* (New Delhi: Manohar Publishing House,1982) p. 159

[46] Chaturvedi, S K, n. 3 , pp.121-22

शमशेर राणा से मिलकर, जो उनको अच्छी तरह जानते थे "जनदुत" नामक दैनिक समाचार पत्र को प्रकाशित करने की अनुमति प्राप्त किया। "जनदुत" को बाद में प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा ने बंद करवाने का निर्णय लिया। तथा एक केन्द्रीकृत नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करते हुए 1970 में क्षेत्रीय समाचार पत्रों के पंजीकरण के अधिकार को समाप्त कर दिया।[47]

इन नियंत्रणो के खिलाफ जनता द्वारा विरोध किये जाने पर नरेश विरेन्द्र ने जनमत संग्रह से एक वर्ष पूर्व 1979 में घोषणा किया कि वे नेपाल में प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदान करना चाहती है। क्योंकि सरकार-प्रेस संबंध इस समय एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था। नेपाल पत्रकार संगठन के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सरकार ने एक शाही प्रेस आयोग की गठन किया जो सिर्फ विभिन्न सिफारिशें ही नहीं बल्कि प्रेस और प्रकाशन अधिनियम 1982 और प्रेस और प्रकाशन अधिनियम 1983 के माध्यम से नियंत्रण लगाने की बात कही। जबकि अधिनियम को दो बार संशोधित किया गया, लेकिन यह सरकार प्रेस संबंध को सामान्य या बनाने में असफल हो गया था। जनमत संग्रह का समय एक तथ्य के लिए एक परीक्षण था क्योंकि नेपाल में प्रेस सार्वजनिक विशेषताओं के साथ शक्ति को एक रूप देना चाहते थे।[48]

1982 का प्रेस और प्रकाशन अधिनियम (अनुं 23) के अंतर्गत समाचार पत्रों कें मूल्यांकन की व्यवस्था किया गया जिसके बाद सरकार द्वारा वार्षिक स्तर पर पुरस्कार और आर्थिक सहायता दिया जाता था। यह पुरस्कार मुख्यतः समाचार पत्रों के द्वारा राजघराने के पक्ष में या सम्मान में समाचार प्रकाशन पर निर्भर करता था। इस अधिनियम के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत पत्रकारों और संपादकों का नेपाली होना निश्चित किया गया था।[49]

---

[47] Bista, Puran P., n. 1, p. 612
[48] Baral , Lok Raj, n. 2, p. 71
[49] D'souza ,Frances, n. 37, p.206

1990 के जन आंदोलन के दौरान नेपाल में पत्रकारिता पर तथा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा इस दौरान कई समाचार पत्र बन्द कर दिया गया। नेपाल पत्रकार संगठन के लगभग 50 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जबकि कई विदेशी साप्ताहिकों के जैसे "Time", "Newsweek" और "Asiaweek" पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यद्यपि सरकार संचालित मीडिया सुरक्षाकर्मी और आंदोलनकारियों के बीच की घटनाओं को प्राथमिकता नही देते थे। ये विरोधाभासी स्थिति– जो वहां की मीडिया तथा बाहरी मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा था– के कारण 9 अप्रैल तक जनता पर गहरा प्रभाव डाला। 1989 में नेपाल में भ्रष्टाचार, पंचायती सरकार की अक्षमता और मानवाधिकार के खिलाफ जन आन्दोलन उभरा जिसके फलस्वरूप 18 फरवरी 1990 को बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई। इस आन्दोलन के खिलाफ पुलिस और सेना द्वारा शक्त कार्यवाही किया गया और आंदोलनरत 10000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके कारण काठमाण्डु की तराई के कई बस्तियों में सुरक्षा शक्तियों को, पंचायत सरकार ने मत जाओ (No Go) का दिशा निर्देश दिया गया था। 6 अप्रैल 1990 को नेपाल के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ। जिसका नेतृत्व युवा वर्ग करते हुए काठमाण्डु नरेश के राज महल तक चले गए। जिसके फलस्वरूप सेना ने खुलेआम निहत्थे लोगो पर गोलिया चलाई।[50]

वाह्य जन मीडिया विशेषतया भारतीय प्रेस और ब्रिटिश और अमेरिकन रेडियो इस घटना को दर्शाते हुए जन आंदोलन को समर्थन कर रहे थे। उनके लिखने और संचार की शैली संकट को बढ़ावा दे रहे थे क्योंकि विदेशी रेडियो मुख्यतः बी.बी.सी. और ऑल इण्डिया रेडियो उन समाचार को प्राथमिकता देते थे जो वहां की सरकारी रेडियो द्वारा इस दौरान नहीं बताये जाते थे।[51]

---

[50] ibid, , p.206

[51] Baral, Lok Raj, n. 2, p. 70

अप्रैल–मई 1990 के जन आंदोलन के दौरान प्रेस अपने कार्य करने के ढंग में दोनों सरकारी दैनिक समाचार पत्र जन आन्दोलन का पक्ष लेने लगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास जो बहुत तेजी से बदल रहा था उसने प्रेस पर भी प्रभाव डाला जो कि नेपाल मे पहले कभी नहीं हुआ था। इस दौरान प्रेस खुलकर लोकतंत्रीय शक्तियों का समर्थन कर रहा था। जबकि कुछ दैनिक और साप्ताहिक समाचार पत्र अपने राजनीतिक विचारों के झुकाव के साथ वर्तमान में स्थापित व्यवस्था और सरकार के प्रति एक स्थायी नीति के तहत क्रियाशील थे। जबकि कुछ अन्य समाचार पत्र अपने लाभ के अनुसार कार्य करते हुए, कुछ संदेह की स्थिति में रहते हुए, जबकि कुछ यथास्थिति को बनाये रखने के लिए अपने प्रकाशन कार्य कर रहे थे।

अक्टूबर 1990 के एक नौ सदस्यों वाली समिति ने संविधान के एक ड्राफ्ट का निर्माण किया जिसको क 9 नवम्बर को लागु किया गया। इसमें नरेश की शक्ति को सीमित करना, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना और नेपाल में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करना सम्मिलित था, जबकि वह रिपोर्ट प्रेस द्वारा प्रकाशित नहीं करने दिया गया था।[52]

1990 तक प्रिन्ट मीडिया का विकास

नेपाली पत्रकारिता के विकास का इतिहास काफी लम्बा है। लेकिन वास्तविक रूप में इसका विकास आधुनिक समय में ही हुआ है। नेपाल में प्रेस की स्थापना 1851 में राणा प्रधानमंत्री जंग बहादुर द्वारा प्रकाशन संबंधी संसाधन इंग्लैण्ड से लाने के साथ ही हुआ। जंग बहादुर राणा ने इस प्रेस का नाम "गिद्वे प्रेस" रखा। 1873 ई. में नेपाल में दो और 1879 में एक और प्रेस की स्थापना किया गया। 1893 में सेना के कार्यालयीय प्रकाशन के लिए "जंगी लिथो छापाखाना" की स्थापना किया गया। नेपाल में सरकारी प्रेस के अलावा व्यवसायिक प्रेस की स्थापना 1893 में मोती कृष्ण धिरेन्द्र

[52] D'souza, Frances, n. 37 , p.206

द्वारा "पशुपत प्रेस" नाम से किया गया। नेपाल में बिजली संचालित प्रथम प्रेस 1912 में स्थापित किया गया। यहां से "गोरखापत्र" का प्रकाशन किया जा रहा था।[53]

चंद्र शमशेर राणा ने नेपाली साहित्य के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए "गोरखा प्रचारिणी संस्था" का गठन किया। देव शमशेर राणा ने "गोरखा पत्र" नामक पत्र निकलवाया जो आज तक नियमित रूप में प्रकाशित हो रहा है। राणा शासको के समय साहित्यकारों को दण्डित किया जाता था। उदाहरण स्वरूप "मकैको खेती" के लिखने के लिए कृष्ण लाल उपाध्याय को चंद्र शमशेर राणा ने कठोर कारावास की सजा दिए थे।

राणा शासन के दौरान नेपाल में कोई भी निजी समाचार पत्र नहीं था। 1851 में राणा शासन के दौरान इंग्लैण्ड से एक प्रिंटिंग प्रेस खरीदकर नेपाल लाया गया था। 1892 में प्रथम बार नेपाल में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुआ। यहां का प्रथम समाचार पत्र "गोरखा पत्र" था जो 1901 में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में निकाला गया था। तत्पश्चात् इसे सप्ताह मे दो बार, फिर तीन बार निकाला गया। और 1950 में इस पत्र को दैनिक समाचार पत्र के रूप में निकाला जाने लगा। इसके साथ ही वहां पर सरकार नियंत्रित अंग्रेजी दैनिक "The Rising Nepal" का प्रकाशन एक सहायक के रूप में किया गया।[54]

राणाशाही कुलीनतंत्र जिसनेनेपाल में 104 वर्षों तक शासन किया था किसी भी तरह वह कैथोलिक यूरोप से अच्छा नहीं था जो अन्य समुदाय या निम्न लोगों को बाइबिल को पढ़ने या अन्य भाषाओं में अनुवाद नहीं करने देते थे। राणाओं और शाहों के परिवार के सदस्य भी उदार नहीं थे यदि वहां कभी भी अल्पतंत्र के खिलाफ आवाज या आन्दोलन उठा तथा असमानता (सामाजिक अन्याय, शिक्षा के अधिकार की अवहेलना करना, आर्थिक असमानता) को दिखाने के लिए किसी समाचार पत्र की आवश्यकता महसूस हुई तो राणा शासको ने इसे दबा दिया। कुछ शिक्षित लोग ही

[53]Dahal, Kashi Raj, *Aam Sanchar Ra Kanoon* (in Nepali) (Kathmandu: DANIDA and Nepal Press Institute, 2002, p. 129

[54] Mukherjee, Sadhan, n.23, pp. 90-91.

राणा अल्पतंत्र की गतिविधियों को "गोरखा पत्र" द्वारा जान पाते थे।[55] नेपाल पत्रकारिता के अवधारणा 20वीं शदी की देन है। इसको नेपाल की जनता के राणा के प्रधानमंत्रित्व शासनकाल से मुक्ति संग्राम के साथ जोड़ा जाता है।[56]

1950 तक नेपाली प्रेस का इतिहास जो दिखता है वह यह कि नेपाल से ज्यादा क्षेत्रीय पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भारत से मुख्यतः देहरादुन, बनारस, दार्जिलिंग, शिलॉग और कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। जबकि 1937 में राणा अल्पतंत्र के दौरान समाचार पत्रों के पंजीकरण संबन्धित प्रथम अधिनियम को प्रारित किया गया था। कुछ थोड़े से पत्र पत्रिकाये नेपाल के क्षेत्रीय मुद्दों को प्रकाशित करने के लिए स्थापित किया गया था।[57]

नेपाली भाषा में पत्रकारिता का विकास साहित्यिक पत्रकारिता के साथ हुआ। मोतीलाल भट्ट ने 1885 में बनारस से "भारत गोरखा जीवन" नामक प्रथम पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। तथा साथ ही 1898 में प्रकाशित "सुधा सागर" का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये पत्र मुख्यतः नेपाली भाषा, कविता, कहानी की विकास से ही जुड़े रहे। 1901 ई. में बनारस के साथ ही दार्जिलिंग से भी प्रकाशन कार्य प्रारम्भ हुआ। भारत स्थापित कुछ नेपाली नेता और पत्रकार नेपाल में संघर्षरत समुह के आवाज को प्रकाशित करने के लिए उनके मुखपत्र का प्रकाशन करने लगे। ये संघर्ष के कारणों और दबावकारी समस्याओ की नीति को सम्पूर्ण विश्व के सामने प्रकाशित किया गया।

ठाकुर चन्दन सिंह ने देहरादून से "गोरखा समाचार पत्र" निकाला जो बाद में 1921 में "तरूण गोरखा" हो गया। उसी समय देवी प्रसाद सापकोटा, एक वरिष्ठ सिविल अधिकारी ने अपने पद से राणा प्रशासन से इस्तिफा देकर एक साप्ताहिक पत्र

---

[55] Bista,Puran P., n. 1, p. 601
[56] Mukharjee, Sadhan, n. 23, pp. 90-91.
[57] Bista, Puran P., n. 1 , p. 611

"गोरखाली" का प्रकाशन बनारस में किया। इस पत्रिका ने राष्ट्रवादी भावनाओं और राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्राप्त करने के लिए जन समूह में राणा विरोध की भावना का विकास किया। रामवृक्ष बेनीपूरी का "जनता" पटना से प्रकाशित हुई जो नेपाल में चल रहे जन आन्दोलन को प्रमुखता से प्रकाशित करते थे।

ठाकुर चन्दन सिंह राणा शासन के खिलाफ देहरादून से प्रकाशित अपने पत्रों में लेख के माध्यम से नेपाल में चल रहे जन आन्दोलन को बढ़ावा देने का प्रयास करते रहे। इसके फलस्वरूप राणा शासन ने इनके पत्रों पर नेपाल में विक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री चन्द्र शमशेर राणा ने ठाकुर चन्दन सिंह के प्रकाशन के पत्रों, ("दि हिमालयन टाइम्स", "गोरखा संसार", "तरूण गोरखा") को नेपाल में विक्री करने वालो को पकड़कर मृत्युदंड देने के लिए नेपाल के कोने–कोने पर नेताओं को पत्र लिखा। अर्थात् देहरादून आधारित पत्रों ने ठाकुर चन्दन सिंह के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए राणा शासन के खिलाफ नेपाली जनता की आवाज को पूरे विश्व जनमत के सामने लाकर रख दिया था।[58]

गंगा प्रसाद प्रधान ने अपने गोरखा प्रेस से 1901 से 1932 के बीच दार्जिलिंग से "गोरखे खबर कागत" नामक पत्रिका प्रकाशन किया था। पत्रिका ईसाई धर्म पर ही केन्द्रित था। यह एक गैर साहित्यिक पत्रिका थी। नेपाल के ऐतिहासिक विकास में यह पत्र महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि आगे चलकर यही पत्र नेपाल में "गोरखा पत्र" के रूप में प्रकाशन किया था। यह पत्र कार्यालयीय समाचारों को प्रकाशित के साथ उपन्यास, कहानी, क़विता, निबंध, साहित्यिक आलोचना, को भी प्रकाशित करता था।[59]

"गोरखा पत्र" के प्रकाशन के समय ही 1906 में बनारस से "सुन्दरी" और "माधवी" जैसे साहित्यिक पत्र प्रकाशित किए जाते थे। इन दोनों पत्र कठोर नियंत्रण में

---

[58] Lama, Mahendra P.,*Thakur Chandan Singh,* (Monograph), (New Delhi : Sahitya Academy, 1997), p. 52-53

[59] Pradhan, Kumar, *The History of Nepali Literature*, (New Delhi : Sahitya Academy Publication,1982), pp. 74-75

रहते हुए नेपाली गद्य और पद्य के विकास में महत्वपूर्ण ढंग से सहयोग दिया। नेपाली जनता में चेतना का विकास करने में साहित्यिक पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। 1907 में जब बंगाल में उग्रवादी और स्वदेशी आन्दोलन बहुत तेजी पर था, उसी समय नेपाली नागरिकों में मिलकर एक पत्र "गोरखा साथी" का प्रकाशन प्रारंभ किया था।[60]

राणाओं ने अपनी निरंकुश शासन व्यवस्था के साथ नेपाल में जनता में चेतना और जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ न कर उसके दमन पर ज्यादा जोर दिया। नेपाली नागरिकों में जागरूकता का विकास भारतीय आन्दोलन से बढ़ा। इसके साथ ही ब्रिटिश शासन द्वारा इन्हें सेना में भरना भी चेतना का एक और कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो लगभग 200,000 नेपाली नागरिकता को सेना में भर्ती किया गया था। इसके दौरान इन नेपाली नागरिको ने विश्व के अलग–अलग देशों में गये और वहां से एक जागरूक नागरिक वन कर देश लौटे। इन्हीं लोगों ने राणा शासन के विरूद्ध आन्दोलन चलाने में महत्वपूर्ण ढंग से सहयोग प्रदान किया।[61]

1915 में नेपाल में नेपाली भाषा को बढ़ावा देने वाले पत्रों, "चन्द्र" और "गोरखाली" का प्रकाशन किया गया। "गोरखाली" के प्रकाशक सूर्य विक्रम ज्ञावाली के साथ इस पत्र में जुड़ने वालो मे देवी प्रसाद थे। दार्जिलिंग में प्रथम विश्व युद्ध के बाद गोरखा समिति नामक संगठन बनाया गया था जिसको भारतीय संगठन "अनुशीलन समिति" के साथ जोड़ा जाता है। अर्थात् इसे एक आतंकवादी संगठन कहकर ब्रिटिश तथा राणा शासन द्वारा प्रतिबांधित किया गया था। इस संगठन का नाम बाद में "गोरखा संगठन" कर दिया गया था। इस संगठन से जुड़े दल बहादुर गिरी ने दार्जिलिंग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक शाखा स्थापित किया था। इन्होंने अपने सहयोगी 'भक्त बीर लामा' के साथ असहयोग आन्दोलन चलाया था। 1899 में हिल्स मैन एशोसिएसन का गठन किया गया था।[62]

---

[60] ibid, pp. 74-75
[61] ibid, p. 73
[62] ibid , pp. 75-78

राणा शासको ने अपने पुरे शासनकाल में कभी भी उदारता का परिचय नहीं दिए बल्कि इन्होंने देश में किसी भी जन जागरूकता वाले कार्य पर रोक लगा दिया। आगे चलकर कुछ शिक्षित नेपाली नागरिको ने देश में भाषा विकास तथा लेखन विकास के लिए क्रमशः 1919 में एक विद्यालय, 1924 में "गोरखा भाषा प्रचारिणी सभा" तथा बाद में "नेपाली भाषा प्रचारिणी सभा" का गठन किया था। इसमे मणीसिंह गुरूंग, लक्ष्मी प्रसाद सापकोटा, धरनीधर कोइराला, दीनानाथ शर्मा और कृष्ण प्रसाद सम्मिलित थे। यह पत्र राणा शासन तथा ब्रिटिश शासन पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए लेख प्रकाशित करता था। इस पत्र पर 1992 में प्रतिबंध लगा दिया गया था।[63]

पारसमणि प्रधान ने दार्जिलिंग से 1918 में "चंद्रिका" नामक प्रथम साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। यह पत्र दो वर्ष तक ही प्रकाशित हुआ लेकिन इस दौरान इस पत्र ने बहुत सारे लेख और कविताएं प्रकाशित किया। पत्र विशेष रूप से पूर्व में प्रकाशित गंगा प्रसाद के "गोरखे खबर कागत" से प्रभावित था। "चंद्रिका" प्रत्यक्ष रूप से कभी राणा शासन के विरोध में कोई खबर प्रकाशित नहीं करता था लेकिन यह "गोरखे खबर कागत" पत्र द्वारा शासन विरोधी समाचार प्रकाशित करने के लिए उसकी प्रशंसा करता था। नेपाल में भारत की तरह सामाजिक संगठन नहीं थे जो साहित्यिक विकास के लिए कार्य करते रहे हों। 1930 में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा को 45 अन्य लोगों के साथ एक पुस्तकालय की स्थापना करने के लिए जेल में डाल दिया गया था। दार्जिलिंग तथा भारतीय अन्य जगहों से कई अन्य संगठन एक साहित्यिक पत्रिका "शरद" का प्रकाशन 1934 में काठमाण्डु से किया गया था। यह पत्रिका ने दो दशको तक कार्य करते हुए कई प्रतिष्ठित साहित्यकारो को पैदा कियां। जबकि 1936 में बनारस से "उदय" नामक मासिक पत्र का प्रकाशन काशी बहादुर श्रेष्ठ ने किया। इस पत्र ने नये लेखकों को बढ़ावा दिया था। दार्जिलिंग से प्रकाशित होने वाले अन्य पत्रों में 'आदर्श' और 'उपयोग' थे। इन दोनों पत्रों ने सामाजिक तथा आर्थिक मुद्दों पर प्रकाश डाला। इस तरह सामाजिक, आर्थिक और साहित्यिक पत्र भारत से प्रकाशित

[63] ibid, p. 79

होकर नेपाली राष्ट्र के विकास का बढ़ावा देते हुए लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास करते रहे।[64]

"गोरखापत्र" शुरू में साप्ताहिक पत्र के रूप में सामने आया था लेकिन स्थापना के तीन वर्ष बाद 1945 में इसे सप्ताह में तीन बार तथा 1951 में इसे दैनिक पत्र बना दिया गया। इस पत्र के प्रारंभ से ही इसमें "सम्पादक को मनाई" शीर्षक से संपादकीय प्रकाशित होती थी। गोरखा पत्र में प्रकाशन हेतु समाचारों पर नियंत्रण के लिए पदम शमशेर राणा ने एक सनद जारी कर समाचारों के प्रकाशित होने या न होने वाले विषयों का उल्लेख कर दिया। 1934 में ऋद्वि बहादुर मल्ल ने "शारदा" नामक पत्रिका को प्रारंभ किया। राणा शासकों का गुणगान करने के कारण इस पत्र को सरकारी रियायते तथा सहायता प्राप्त था। इसके एक साल बाद ही 1935 में "उद्योग" नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन राणा शासक के छत्रछाया में देश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। साप्ताहिक रूप में देश में हृदयचन्द्र सिंह ने "साप्ताहिक स्रोत" नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1947 ई. में प्रारंभ किया था। इस पत्रिका को भी सरकार द्वारा नेपाली साहित्य परिषद के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता था। नेपाल के घरेलु समाचार का प्रकाशन करने के लिए 1947 में ही "घरेलू इलम पत्रिका" का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। नेपाली जनता में नगर पालिका के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए 1947 में "काठमाण्डु नगर पत्रिका" का स्कुली छात्रों तथा छात्राओं तथा शिक्षकों के कविता, लेख, निबंध को प्रकाशित करने के लिए 1948 में "आंखा" तथा 1949 में "पुरूषार्थ" का प्रकाशन प्रारंभ किया गया था।[65]

1990 तक राष्ट्रीय शिथिल अर्थव्यवस्था और अगम असाक्षरता के कारण का समाचार पत्र कभी गतिशील नहीं हो पाया। इनका बहुत ही छोटे स्तर पर विक्री और बहुत ही कम प्रचार मिलता था। "गोरखापत्र" नेपाली में सबसे ज्यादा लगभग 50 हजार बिकने वाला समाचार पत्र था जबकि अंग्रेजी दैनिक "द राइजिंग नेपाल" लगभग

---

[64] ibid, p. 80
[65] Dahal, Kashi Raj, n.53, pp 129-31

20 हजार प्रतियों की बिक्री होती थी। अन्य समाचार पत्रो मे वहां पर 53 दैनिक और 25 सप्ताहिक पत्र थे। 1991 के पहले 2132 स्थायी पत्रकार और 332 अस्थायी पत्रकार कार्यरत थे।[66] नेपाल के तराई क्षेत्र में काठमाण्डु से प्रकाशित समाचार पत्र ही प्रचलित है। जिसे राष्ट्रीय समाचार पत्र कहा जाता है। इन जगहो पर पत्र पत्रिकाएं बहुत कम संख्या में प्रकाशित होते थे।

नेपाल में अंग्रेजी पत्रों को पढ़ने वालों की संख्या बहुत ही कम था। जिसके कारण वहां पर "बसुधा" और 'वाइस ऑफ नेपाल" जैसे अंग्रेज समाचार पत्रिका प्रकाशन से बाहर हो गयी थी। प्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कुछ प्रेस नियमन कानून बनाये गये थे उन प्रत्येक नेपाली नागरिकों को जो समाचार पत्रों में काम करते थे को प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया था। प्रमाणित करने का शुल्क 50 रुपया निश्चित किया गया था तथा साथ ही उस व्यक्ति को अपनी संस्था के प्रमुख से अनुमति पत्र लाना पड़ता था। जबकि वहां पर वास्तविक प्रमाण पत्र सूचना विभाग द्वारा प्रेस परिषद् के कहने पर दिया जाता था। विदेशी पत्रकारों के लिए चार बार से ज्यादा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था। विदेशी प्रतिनिधि अधिक से अधिक काठमाण्डू तराई से ही समाचार प्राप्त कर सकते थे। अन्य क्षेत्रों के समाचार पाने के लिए उन्हें अलग से एक अस्थाई प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता था।[67] नेपाल में क्षेत्रीय स्तर पर निकलने वाले पत्रों की संख्या 1990 तक निम्न तरह थी :

---

[66] Mukherjee, Sadhan, n.23, pp. 90-91.

[67] Ibid, p. 92.

Table-2.1

Regional Distribution of News Papers in Nepal Before 1990

Region	Daily News Papers	Weekly News Papers	
Bagmati	28	124	152
Mechi	10	3	13
Koshi	5	32	37
Sagarmatha	2	2	4
Janakpur	25	12	40
Narayani	---	12	12
Lumbani	5	10	15
Rapti	2	1	3
Seti	---	3	3
Bheri	---	10	10
Mahakali	---	2	2
Gaṇḍaki	----	10	10
			Total = 301

Source: Sadhan Mukherjee, ed., *Media Handbook for South Asia,* New Delhi: Allied Publishers Ltd., 1991

1990 में जन आन्दोलन के बाद देश में स्थिति सामान्य होने के साथ ही प्रिन्ट मीडिया के क्षेत्र मे गतिशीलतां दिखाई दी। 1990 तक क्षेत्रीय आधार पर नेपाल में प्रिन्ट मीडिया की स्थिति बहुत असमानतापूर्ण था। टेबल 2.1 के अनुसार 1990 तक नेपाल के बागमती जोन में 28, मेची में 10, कोशी में 5, समारमाथा में 2, जनकपुर में 25, लुम्बिनी में 5 और राप्ती में 2 दैनिक पत्र प्रकाशित होते थे। इनके बीच बहुत ज्यादा असमानता दिखायी पड़ता है जहां जनकपुर में 25 और बागमती में 28 दैनिक पत्र निकलते थे वहीं राप्ती में 2 और लुम्बिनी में 5 पत्र ही निकलते थे। इसके कुछ अंचलों में तो जैसे नारायणी, सेती, भेरी, महाकाली और गन्डकी मे एक भी दैनिक पत्र नहीं निकलता था। इसके साथ ही साप्ताहिक पत्रों की स्थिति में भी बहुत असमानता थी। बागमती में 124, कोशी में 32, जनकपुर और नारायणी में 12–12 तो लुम्बिनी, भेरी और गण्डकी मे 10–10 पत्र निकलते थे जबकि मेची और सेती अंचल में 3–3, सागरमाथा और महाकाली में 2–2 पत्र निकलते थे। राप्ती में केवल ही साप्ताहिक पत्र ही निकलता

था। अर्थात् 1990 तक बागमती अंचल सबसे से ज्यादा दैनिक और साप्ताहिक पत्रों वाला था और महाकाली, सेती, सागरमाथा और राप्ती सबसे कम पत्रों वाले अंचल थे। उपरोक्त टेबल के अनुसार जहां साप्ताहिक पत्रों की संख्या 224 थी वहीं दैनिक पत्रों की संख्या सिर्फ 77 थी। अर्थात् देश में दैनिक पत्रों की संख्या बहुत कम थी।

सरकार समाचार पत्रों को वित्तिय सहायता, अवार्ड, और पुरस्कार प्रदान करती थी। जिसके तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में 50 हजार, द्वितीय 25 हजार और तृतीय 15 हजार रूपये प्रदान किया जाता था। इन पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए निश्चित शर्तों को पूरा करना पड़ता था। समाचार पत्रों को आर्थिक सहायता देने के लिए ए, बी और सी भागों में बांटा गया है। तथा इनको "सरकारी कार्यालयों के प्रचार" प्रकाशन सूचना विभाग के निर्देशक के अनुमति के बाद ही प्रदान किया जाता था।[68]

1990 तक चार मुख्य समाचार पत्र थे जिनमें प्रत्येक का वितरण (विक्री) 20000 से 40000 के बीच था। जिनमें "गोरखापत्र" सरकार नियंत्रित, "दैनिक विमर्श" एक स्वतंत्र सप्ताहिक पत्र, "नेपाल आवाज" एक साप्ताहिक पत्र और वामपंथी विचारधारा की पत्रिका "दृष्टि" शामिल है। "नेपाल आवाज" पंचायत व्यवस्था के दौरान पंचायत सदस्य के रूप में एक नई राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक दल की स्थापना करने वाले लोकेन्द्र बहादुर चन्द के कारण पहचाना जाता था। जबकि "दृष्टि" पत्र एक नेपाली कम्यूनिस्ट पार्टी का साप्ताहिक पत्र था जो संयुक्त वाममोर्चे के सदस्य द्वारा प्रकाशित करवाया जाता था। नेपाली कांग्रेस दल का कोई बड़े स्तर का समाचार पत्र नहीं था।[69] जबकि नेपाल में 1990 तक नेपाल में दैनिक पत्रो की स्थिति यह थी :-[70]

---

[68] Ibid , p. 92.

[69] D'souza, Frances, n. 37 , p.206

[70] Rao , Sandhya and Bharat Koirala, "Nepal", in Gunaratne A. Shelton, *Handbook of the Media in Asia,* (New Delhi, Sage Publishers, 2000), p.149

Table- 2.2

Daily News Papers in Nepal from 1980 to 1990

	1980	1985	1990
No. of dailies	23	24	26
	(28)	(28)	(28)
Total Circulation	149000	182000	173000
	(12000)	(130000)	(150000)
Circular per 100 inhabitants	0.99	1.09	0.93
	(0.8)	(0.8)	(0.8)

Source: Nepal Press Institute Survey, 1999 (Figure's in Parentheses are estimates given by UNESCO, 1999)

टेबल 2.2 1980 लेकर 1990 तक के प्रिन्ट स्थिति को दर्शाया गया हैं। कोष्ठक के अन्दर की संख्या यूनेस्को द्वारा प्राप्त संख्या है जबकि बाहर की संख्या नेपाल प्रेस संस्था का सर्वेक्षण है। यह टेबल नेपाल में दैनिक पत्रों की संख्या तथा उनके वितरण बताता है। साथ ही यह 100 व्यक्ति प्रति पत्रों को औसत को बताता है। इस टेबल में दैनिक पत्रों की स्थिति 1980 में 23(28), 1985 से 24(28), और 1990 में 26(28) बतायी गई है। अर्थात् नेपाल में 1980 से लेकर 1990 तक दैनिक पत्रों की संख्या में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। वितरण के संबंध में दोनो संगठनों ने थोड़े अंतर के साथ बताया कि नेपाल में 1980 में 149000 (120000), 1985 में 182000 (130000), और 1990 में 173000 (150000) वितरित होते थे। साथ ही 1980 में प्रति सौ व्यक्ति पर पत्रों की उपलब्धता 1980 में 0.99 (0.8), 1985 में 1.09 (0.8) और 1990 में 0.93 (0.8) थी। अर्थात् दोनों संस्थाओं के अनुसार देश में 1990 तक प्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।

कुछ महत्वपूर्ण पत्र

नेपाली दैनिक पत्रों के इतिहास में "समाज" और "गोरखा पत्र" प्रमुख पत्र थे। मासिक पत्रिकाओं में "बालक", "महिला बोच्छिन", "पंचायत", "मजदूर", "रूपरेखा"

और "विहान" विशेष उल्लेखनीय है। मासिक पत्रिकाओं में 'कल्पना' और 'रत्नश्री' तथा त्रैमासिक पत्रिकाओं में 'भानु" और "नेपाली" के नाम विशेष प्रसिद्ध है। पाक्षिक पत्रों में "समीक्षा" अधिक महत्वपूर्ण है। 'कस्तुरी', पदमकन्या कॉलेज की पत्रिका है और 'जर्नल ऑफ द त्रिभुवन युनिवर्सिटी' त्रिभुवन विश्वविद्यालय की पत्रिका है। कुछ पत्रिकाएं नेपाल सरकार के विभागों से संबंधित है जैसे – "निजामति सेवा पत्रिका" नेपाल ललित कला का वार्षिक मुख्य पत्र', "पंचायत" (झापा जिला पंचायत का मासिक प्रकाशन), "शिक्षा" (शिक्षा मंत्रालय का मुखपत्र) और 'हुलाक' (हुलाक सेवा विभागा का मुखपत्र) उल्लेखनीय है। जबकि अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले मुख्य पत्र 'राइजिंग नेपाल' है और हिन्दी में 'नेपाल' दैनिक पत्र हैं अर्थात् नेपाल में पत्रों की श्रृंखला बहुत लम्बी है। 1990 के बहुदलीय प्रजातंत्रकी स्थापना के बाद नेपाल में पत्र–पत्रिकाओं की संख्या में बहुतायत बढ़त हुई है। नेपाली राजनीतिक परिदृश्य में कुछ महत्वपूर्ण पत्रों की भूमिका इस तरह थी।[71]

"गोरखा पत्र" और "दि राइजिंग नेपाल"

ये दोनो पत्र नेपाली प्रजातंत्र के विकास में खुलकर भूमिका निभा नहीं सके क्योंकि राणा शासन के समय से लेकर आज तक यह सरकारी नियंत्रण में है। ये दोनों पत्र स्वतंत्रतापूर्वक कार्य न करते हुए शासन में रहने वाले शासक राजनीतिक दल के हाथ का खिलौना बना हुआ है। ये दोनों पत्र खुलकर प्रजातंत्र के समर्थन में जन आन्दोलन के समय आए जब राष्ट्र में वृहद स्तर पर लोकतांत्रिक आन्दोलन शुरू हुआ।

"गोरखा पत्र" एक ऐसा पत्र है जिसे पुरे नेपाल में पढ़ा जाता है अर्थात् देश के लगभग सभी जिलो में पहुंचने वाला पत्र है। इसका प्रतिदिन लगभग 80,000 वितरण होता है। यह समाचार पत्र एक सरकारी पत्र होने के कारण जनता में सबसे ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। 1963 में गोरखा पत्र संस्थान का गठन किया गया जो

[71] Sharan, Dinanath, *Nepali Sahitya ka Itihaas*, (Patana: Bihar Hindi Granth Academy) p.51.

"गोरखा पत्र" (नेपाली) "दि राइजिंग नेपाल" और "संडे डिस्पैच" (दोनो अंग्रेजी) का भी प्रकाशन कार्य देखता है। इसके तहत 700 कर्मचारी कार्यरत रहे है। जबकि 90 लोग संपादकीय कार्य के लिए रखे गए है। जब 1998 में इसके संपत्ति की गणना किया गया (निजीकरण करने के संदर्भ में) तो पाया गया कि गोरखा पत्र की कीमत 160 करोड़ रुपया आंका गया। नए समाचार पत्रों के आगमन के साथ ही इन समाचार पत्रों के सामने चुनौतियां उभरने लगी यह पत्र आज भी वितरण में सबसे ज्यादा है। यह समाचार पत्र सरकार को 10 लाख रुपया प्रति वर्ष कर के रूप में देता है।[72]

1953 में 'समाज' पत्र के प्रकाशन तक नेपाल में कोई भी निजी क्षेत्र का पत्र नहीं था जो "गोरखा पत्र" से प्रतिस्पर्द्धा कर सके। इसके बाद 1956 में 'कमांडर' और 1959 में "द मदर लैण्ड" का प्रकाशन शुरू हुआ। इससे "गोरखा पत्र" के सामने बहुत बड़ी समस्या हो गयी। इसीलिए 1963 में गोरखा पत्र संस्थान की स्थापना किया गया। यह संस्थान सरकार के अंतर्गत रहकर कार्य करती है क्योंकि इस पर सरकार का ही नियंत्रण है।[73]

"तरूण गोरखा" और "दि हिमालयन टाइम्स"

यह दो पत्र भारत से संचालित किया जा रहा था। लेकिन इसका उद्देश्य नेपाली शासन से सुधार करते हुए प्रजातंत्र की स्थापना करना था। यह समाचार पत्र ने भारत में रहने वाले नेपालियों की राजनीतिक चेतना का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। नेपाली पत्र–पत्रिका के विकास में भारत में रहने वाले नेपाली नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राणा शासन के दौरान जब पुरे नेपाल में प्रकाशन पर पाबंदी थी और सिर्फ सरकार नियंत्रित गोरखा पत्र प्रकाशित किया जा रहा था। उसी समय भारत के विभिन्न भागों से नेपाली भाषा में पत्र–पत्रिकाओं नेपाली तानाशाही के विरोध में लेख प्रकाशित कर रहे थे। बनारस एक महत्वपूर्ण स्थान था जहां रहकर नेपाली बखुबी नेपाल के राजनीतिक आन्दोलन को मदद पहुंचा रहे थे।

---

[72] Kharel P., (ed) "*Media Nepal 2000*", (Kathmandu: Nepal Press Institute, 2000), p. 74
[73] Kharel P.,(ed) *Media Practices in Nepal*", (Kathmandu: Nepal Press Institute, 2001), p. 24.

जबकि एक अन्य शहर देहरादून भी नेपाली पत्र–पत्रिका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यहां से एक नेपाली भारतीय ठाकुर चन्दन सिंह ने 1926 में "ग्रैन्ड हिमालयन प्रेस" की स्थापना किया तथा साथ ही इन्होंने इस प्रेस से नेपाली भाषा में "गोरखा संसार" तथा अंग्रेजी में "दि हिमालय टाइम्स" का प्रकाशन प्रारंभ किया था।[74] इनके "दि हिमालयन टाइम्स" का वितरण भारत के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों में होता था जैसे कलकता, बाम्बे, मद्रास, दिल्ली, बंगलौर, बनारस, मेरठ, दरभंगा, भाग्सु, दार्जिलिंग और आसाम। ये अपने पत्रों में भारत तथा नेपाल के राजनीतिक, जातीय, आर्थिक और सांस्कृतिक उथल–पुथल से संबंधित खबरे तथा लेख प्रकाशित करते थे।[75] आगे चलकर 1928 में इन्होंने "तरूण गोरखा" का प्रकाशन किया जिसका नाम 1933 में "गोरखा संसार" कर दिया गया। इन पत्रों का उद्देश्य भी राजनीतिक सुधार करना था।[76] इनके समाचार पत्र सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, भूटान और बर्मा में भी जाता था। क्योंकि इस दौरान नेपाली में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों का अभाव था।[77] 1954 में ठाकुर चन्दन सिंह ने पुनः नये समाचार पत्र "स्वतंत्र नेपाली" का प्रकाशन प्रारंभ किए। इस पत्र में इन्होंने नेपाल में राजनीतिक स्थिति का वृहत उल्लेख किए। इन्होंने भारत तथा नेपाल के राजनीतिक संरचना पर विचार व्यक्त करते हुए कई लेख प्रकाशित किए।[78]

1928 में अपने "तरूण गोरखा" पत्र में ठाकुर चन्दन सिंह ने महत्वपूर्ण ढंग से नेपाली राष्ट्र का उल्लेख करते हुए उसे एक अर्द्ध सम्प्रभु देश कहा। ठाकुर चन्दन सिंह ने कहा कि "देश में शासन तो नरेश के नाम पर चलाया जा रहा है लेकिन वास्तव में यहां सैन्य अल्पतंत्र का शासन है। इसके परिणामस्वरूप नेपाल में व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। इसके कारण ही नेपाली व्यक्तियों का पलायन भारत की तरफ

---

[74] Lama, Mahendra P., n. 58, p.10
[75] ibid, p.11
[76] ibid, pp.12-13
[77] ibid, p.16
[78] ibid, p.18

हो रहा है।"[79] ठाकुर चन्दन कहते थे यदि देश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा तो विश्व में रहने वाला नेपाली समुदाय भी विकास के पथ पर आगे बढेगा।

ये पत्र नेपाली पत्र जन आन्दोलन के दौरान भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाये थे जबकि नेपाल में रहने वाले सभी पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। या तो समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होते थे या फिर होते भी थे तो सिर्फ अर्थहीन समाचार ही प्रकाशित करते थे।

1990 तक प्रिन्ट मीडिया संबंधित अधिनियम और उनके प्रावधान

देश में प्रेस और प्रकाशन संबंधित विभिन्न नियम कानून बनाए गए थे। राणा शासन के दौरान भी संसद के माध्यम से किसी भी तरह के प्रकाशन को नियमित किया गया था। 1913 में तो नेपाल में प्रेस और प्रकाशन पर उचित निगरानी रखने हेतु "गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति" का गठन किया गया था। यहीं से नेपाल में प्रेस और प्रकाशन संबंधी कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। यही "गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति" बाद में चलकर "नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति" बन गया।[80]

(1) 1951 में नेपाल में प्रेस और प्रकाशन अधिनियम का निर्माण किया गया। इस अधिनियम में कहा गया था कि "कोई भी व्यंगात्मक लेख, शब्द, वाक्य (जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र पर किसी तरह का प्रभाव डालता हो) पर जो किसी किताब या अखबार में प्रकाशित हुआ हो पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तथा साथ ही देश के अधिकारी, तथा सेना के जवानों के देशभक्ति या कर्तव्य भावना को नष्ट करने वाले समाचार पत्र तथा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देश में नैतिकता, सदाचार, देश भक्ति की भावना को बढ़ाते हुए प्रेस किसी को व्यक्तिगत रूप से आलोचित न करके सार्वजनिक रूप से आलोचित कर सकती है।[81]

---

[79] ibid, pp. 20-21
[80] Dahal, Kashi Raj, n.33, p. 132.
[81] ibid, pp. 133-34.

1951 के संवैधानिक परिवर्तन के समय प्रेस और प्रकाशन के क्षेत्र में अराजकता की स्थिति फैल गयी थी जिसके कारण 1952 में प्रेस और प्रकाशन पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया। जिसमें निम्नलिखित मुख्य विन्दुओं को सम्मिलित किया गया था:[82]

(क) प्रकाशन विषय के लिए उस पत्र का संपादक उत्तरदायी होगा,

(ख) नेपाल राज्य के अन्दर प्रकाशित किसी भी और किताब प्रकाशक तथा प्रकाशन संस्था का नाम लिखित होगा। साथ ही उस पर स्थान, वर्ष भी लिखित होना चाहिए था,

(ग) किसी भी नये पत्र में प्रकाशन के लिए आवेदनकर्ता को प्रार्थना पत्र की दो प्रति उस जिले के जिलाधिकारी को देना होंगा। जिससें से वह एक खुद रख लेंगा तथा एक गृह मंत्रालय को भेज देगा,

(घ) नेपाल सरकार के गजट में छपे किसी भी तरह के किताब, पत्र पर किसी तरह का का कानुनी अधिनियम नहीं लागू होंगा, और

(ड.) राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए किसी भी पत्र–पत्रिकाओं की छानबीन किया जा सकता है।

इस अधिनियम में सन् 1954 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किया गया जिसमें निम्न बातों को सम्मिलित किया गया था।[83]

(अ) नरेश और राजपरिवार, और नेपाल स्थित विदेशी राजदूत, सरकार तथा न्याय प्रशासन के खिलाफ द्वेष फैलाने वाले,

(आ) राष्ट्र के अन्दर जाति, वर्ग, उपजाति के आधार पर घृणा फैलाने वाले समाचारों, लेखों तथा संपादकीय पर सरकार कभी भी प्रतिबंध लगाकर प्रकाशन संस्था को बंद करवा सकता है।

---

[82] ibid, pp. 250-256.
[83] ibid, p. 136

इस अधिनियम में 1956 में पुनः संशोधन किया गया जिसमें कहा गया कि किसी खबर, चिन्ह लेख के द्वारा नरेश तथा राजपरिवार के खिलाफ द्वेष तथा घृणा फैलाने वाले समाचार पत्र पर 3 वर्ष तक की कैद तथा 3000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसी दौरान नरेश की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सन् 1956 में ही नागरिक अधिकार अधिनियम पारित कर नागरिको को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान किया। साथ ही पत्रिका के विकास के लिए, उचित वातावरण का निर्माण करने के लिए तथा वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए 1958 में देश में प्रेस आयोग का गठन किया गया था। जिसमें लिखित सुझाव मांगे गए थे। इस आयोग ने 1959 में 31 तरह के सुझाव दिए थे जिसमें कुछ निम्नलिखित है:[84]

(क) यातायात की असुविधा के कारण पत्र–पत्रिका के प्रचार और बिक्री का सीमित होना। कागज का महंगा होना तथा विज्ञापन द्वारा आमदनी का न होना,

(ख) पत्र–पत्रिकाओं को सरकारी सचिवालय, विभाग तथा अन्य संस्थाओं द्वारा विज्ञापन देने की आवश्यकता है,

(ग) प्रेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा के लिए सरकारी संस्थान और यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए,

(घ) प्रेस कार्यालय, कारखाना, टेलिफोन लगाने के लिए जनता को विशेष सुविधा देना चाहिए,

(ड.) प्रमाणित प्रेस के प्रतिनिधियों को रेल, जहाज और बस में रियायत दिया जाना चाहिए,

(च) 1000 रु. पत्र प्रकाशन से पहले ही लिया जाना पत्र प्रकाशित करने वालो पर एक बाधा है,

---

[84] ibid, pp. 139-140

(छ) 15 दिन तक नियमित प्रकाशन करने वालों के पंजीकरण को रद्द करने वाले नियम को 30 दिन कर दिया जाना चाहिए तथा 35 दिन के अन्दर उसे सम्मन भेज दिया जाना चाहिए ,

(ज) राष्ट्रीय संवाद समिति को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थापित किया जाए ,

(झ) सरकारी प्रकाशन को गैर सरकारी संस्थाओं को सस्ते दर पत्र उपलब्ध कराना चाहिए ,

इस रिपोर्ट के सुझावों पर नरेश ने कोई ध्यान नहीं दिया जिससे देश में पत्र–पत्रिका की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया।

1960 में देश में पत्र पत्रिकाओं की स्थिति निम्न प्रकार थी। 36, दैनिक पत्र, 47 साप्ताहिक, 5 अर्द्ध साप्ताहिक निकलता था। इसके अतिरिक्त विभिन्न संगठन और पार्टी के मुख पत्र के रूप में 25 साप्ताहिक 1 त्रैमासिक, 1 अर्द्ध साप्ताहिक, 28 पाक्षिक, 2 मासिक और नरेश की सरकारी संगठनों द्वारा, 3 त्रैमासिक 21 मासिक और 5 पाक्षिक पत्र पत्रिका प्रकाशित हो रहा था। इनमें से बहुत सारे पत्र अलग अलग कारणों से जल्द ही बन हो गए। 1960 में बदलते घटना क्रम के कारण नरेश ने काठमाण्डु के मजिस्ट्रेट ने विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के मुख पत्रों को बन्द करवा दिया गया था। इसमें 10 दैनिक, 32 साप्ताहिक, 4 पाक्षिक, 11 मासिक, 5 द्वैमासिक और 3 त्रैमासिक सम्मिलित थे।[85]

(2) 1962 के संविधान के अंतर्गत 1962 में ही एक प्रेस और प्रकाशन पंजीकरण अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में 5 परिच्छेद और 28 उपशाखा के माध्यम से जनता के सदाचार, शिष्टाचार और नैतिकता बनाए रखने के लिए देश में प्रेस और प्रकाशन पर समयानुकुल व्यवस्था करते हुए प्रोत्साहन या नियंत्रण लगाने की व्यवस्था किया गया था। इस अधिनियम कुछ महत्वपूर्ण बाते निम्न थी:-[86]

---

[85] ibid, p. 142
[86] ibid, p. 145-50

(क) किसी हिंसात्मक गतिविधि तथा अपराधी व्यक्ति के प्रशंसा में समाचार प्रकाशित नहीं करना,

(ख) सरकारी कर्मचारियों को कर्तव्य तथा देश शक्ति के लिए प्रेरित करने वाले समाचार प्रकाशित करना,

(ग) नरेश तथा राजपरिवार, देश के कुटनीतिक संबंध, तथा देश में जाति धर्म,वर्ण, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर घृणा फैलाने वाले को दण्ड देना,

(घ) नेपाली कर्मचारियों के कार्य, अनुशासन तथा नियुक्ति में व्यवधान न डालना, और

(ड.) अश्लील भाषा व अश्लील भाव पैदा करने वाले शब्द या चित्र का प्रयोग न करना सम्मिलित थे।

इस अधिनियम के माध्यम से नेपाल में कई पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उदाहरण स्वरूप 1971 में 'चेतना'' साप्ताहिक पत्र पर शासन विरोधी होने के आधार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

(3) 1962 में पारित इस अधिनियम के लागू होने के बाद 1977 में एक बार फिर प्रेस और प्रकाशन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही पुराने 1963 के प्रेस और प्रकाशन अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। 1975 के इस अधिनियम के आधार पर नरेश ने ''समीक्षा'' साप्ताहिक पत्र का पंजीकरण रद्द कर दिया।

1975 में नरेश विरेन्द्र ने एक प्रेस और प्रकाशन अधिनियम पारित कराया जो देश में सुरक्षा, शांति स्थापित कर विभिन्न वर्ग और क्षेत्र के बीच सुसंबंध बनाना और सर्वसाधारण जनता की सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता की भावना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य किया गया था। वास्तव में यह अधिनियम राष्ट्रीय हित की सुरक्षा, सार्वजनिक हित, नरेश की प्रतिष्ठा और सार्वभौमकता तथा दलविहिन पंचायती व्यवस्था पर किसी

भी तरह का आंच न आने के लिए किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया था कि यदि कोई प्रकाशन देश में द्वेष या घृणा की भावना फैलता है तो उसपर 5000 रु. तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही प्रकाशक, पत्रकार को उक्त समाचार के लिए दण्ड भी दिया जा सकता है।

नरेश ने 1983 ये पूर्व में पारित प्रेस और प्रकाशन अधिनियमों को रद्द कर एक नया प्रेस और प्रकाशन अधिनियम बनाया गया। 7 परिच्छेद में विभाजित यह अधिनियम 40 उपशाखा में बांटा था। जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्व मुद्दों को सम्मिलित किया गया था।

1. प्रेस संबंधी व्यवस्था, किताब संबंधी व्यवस्था, प्रकाशन संबंधी व्यवस्था, आचरण और दण्ड व्यवस्था तथा प्रेस परिषद संबंधी व्यवस्था किया गया था।

2. देश के अखण्डता, एकता, नरेश तथा राज परिवार के खिलाफ द्वेश तथा घृणा फैलाने वाले पत्र के लिए जुर्माना तथा दण्ड व्यवस्था का प्रावधान दिया गया था।

(4) नरेश ने इस अधिनियम का प्रयोग कर 1984 में पुनः प्रेस और प्रकाशन अधिनियम बनवाया। इस अधिनियम के माध्यम से नरेश प्रेस के संस्थागत विकास, आधुनिकीकरण के लिए सुविधा और सहयोग देने की व्यवस्था किया। प्रकाशक यदि इस अधिनियम के विरूद्ध कोई समाचार लेख या कोई भी कार्यवाही करता है तो उस पत्र को बन्द कर दिया जाएगा। साथ ही उसे प्रदान सभी सुविधाये छीन लिया जाएगा। इसके पारित होने के साथ ही पूर्व में पारित सभी अधिनियम रद्द कर दिए गए। इस अधिनियम कुछ अनुच्छेद 1983 अधिनियम के विरूद्ध थे। इस अधिनियम में निम्न बातें सम्मिलित थी।

(क) प्रकाशन से पहले बैंक गारंटी चाहिए था,

(ख) समाचार पत्र जिस जिले से प्रकाशित होगा वहा से उस प्रमाण पत्र लेकर वही के लिए प्रकाशित करना होगा।

1990 से पहले की संचार नीति

राणा तानाशाही के हटने के बाद एक राष्ट्रीय संचार नीति 1951 में प्रारंभ किया गया था। इसके बाद ही नेपाल में पेशेवर संगठन जैसे नेपाल पत्रकार संगठन, निजी समाचार एजेंसी, नेपाल संवाद समिति, और सागरमाथा संवाद समिति का उद्‌भव हुआ तथा साथ ही सरकार ने प्रथम प्रेस आयोग की स्थापना किया। पंचायती सरकार ने भी बताया कि राष्ट्र के विकास के लिए संचार का विकास करना बहुत जरूरी है। इस दौरान नेपाल में सुचना और प्रसारण मंत्रालय की स्थापना किया गया। 1971–73 में सरकार ने एक राष्ट्रीय संचार योजना का निर्माण कर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को आगे बढ़ाया। यह योजना नेपाल के पंचवर्षीय योजना का एक संक्षिप्त भाग था।[87]

नेपाल में 1951 में संचार नीति पारित किया गया था, जिसमें सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निम्न थे:[88]

(क) देश में संचार नीति के माध्यम से विकास को बढ़ावा दिया जाना।

(ख) संचार के साधनों के विकास में निजी क्षेत्र द्वारा भागीदारी को बढ़ावा देना।

(ग) संचार व्यवस्था को सही करने के विदेशी संस्थाओं का मदद लेना।

(घ) संचार व्यवस्था में वैधानिक नियम कानून में ठील देना।

इस संचार नीति के बाद देश में पत्र–पत्रिकाओं के क्षेत्र में विकास होने के साथ ही इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी विकास हुआ। लेकिन 1962 में पंचायती शासन व्यवस्था आ गया। तत्पश्चात 1971–72 में पुनः संचार नीति बनाया गया इसमें भी उपरोक्त बातों

---

[87] Rao , Sandhya, n. 70, p.139

[88] "*IT Policy 2007 B.S.*", Nepal Telicommunication Authority, see, *www. Nepal telecommunication authority.htm*

को सम्मिलित किया गया था। इसमें कुछ नयी बातों को सम्मिलित किया गया था जो निम्न है:[89]

(क) संचार व्यवस्था में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित करना।

(ख) संचार क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना।

(ग) संचार व्यवस्था वैश्विक स्तर पर बनाकर देश में विकास को बढ़ावा देना।

(घ) नयी तकनीकी का प्रयोग करना।

नेपाल में समाचार संस्था

राष्ट्रीय समाचार संस्था और राष्ट्रीय समाचार समिति की स्थापना 1962 में किया गया था। इसमें 120 पत्रकारों की नियुक्ति किया गया था, जिसका मूल उत्तरदायित्व सरकार द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाना होता था जो वे राजमहल के प्रेस सचिवालय के नियंत्रण में रहते हुए सम्पादित करते थे। सरकार प्रायोजित गोरखापत्र निगम नेपाल में सर्वाधिक संख्या में दो दैनिक समाचार पत्रों "गोरखापत्र" (नेपालीं) और "दि राइजींग नेपाल" (अंग्रेजी) तथा एक अन्य अंग्रेजी दैनिक "सन्डे डिस्पैच" का प्रकाशन किया जाता था। जन आन्दोलन के दौरान सरकार नियंत्रित मीडिया देश की स्थिति का यथार्थ चित्रण करने में दोनों समाचार पत्र प्रतिबंधित थे जबकि स्वतंत्र समाचार पत्रों ने मीडिया के नियंत्रण को तथा इन दोनों समाचार पत्रों को निजीकरण के अंतर्गत लाने की बात उठा रहे थे।[90]

नेपाल में 1959 में निष्पक्ष तरीके से संकलन और वितरण के उद्देश्य से "नेपाल संवाद समिति" नामक संस्था का स्थापना सर्वप्रथम किया गया। यह संस्था समाचार पत्र पत्रिकाओं से समाचार देने के बदले नेपाली पत्र की नेपाली 50 रुपए तथा विदेशी पत्रो को भारतीय 100 रुपए देना पड़ता था। यह संस्था 1960 से कार्य करना प्रारंभ

---

[89] *"IT Policy 2028 B. S."*, Nepal Telicommunication Authority, see, *www. Nepal telecommunication authority.htm*

[90] D'souza,Frances, n. 37, p.205

किया। इसके बाद 1960 में "सागरमाथा संवाद समिति" नामक एक संवाद समिति की स्थापना किया गया। यह समिति नेपाली पत्र–पत्रिकाओं से 40 रूपए और विदेशी पत्र–पत्रिकाओं से भारतीय 100 रुपए लेकर समाचार प्रदान करती थी। यह समिति बहुत अल्पकाल तक ही क्रियाशील रही। दोनों संस्थाऐं नरेश की सरकार से प्रतिमाह 300 रुपए का आर्थिक सहायता प्राप्त करती थी। 1961 में ही एक नये समिति "राष्ट्रीय संवाद समिति" की स्थाना के लिए तीन सदस्यीय तदर्थ समिति का निमार्ण किया गया। इस "राष्ट्रीय संवाद समिति" ने 1961 में बैंकॉक में विशेषज्ञ सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया।[91]

1962 में एक राष्ट्रीय समाचार समिति अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा "राष्ट्रीय समाचार समिति" की स्थापना किया गया। इसके बहुत सारे उद्देश्य थे जिसमें कुछ निम्न है:[92]

(क) राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष और आधिकारिक, शुद्ध, पक्षपातरहित , विश्वसनीय एवं वास्तविक समाचार का संकलन तथा वितरण करना समिति का कर्तव्य होगा।

(ख) राष्ट्रीय समाचार समिति ने उपशाखा (1) में उल्लेखित कर्तव्य को सर्व सामान्य से कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए निम्न कार्य कर सकता था:-

(अ) नागरिक के नैतिक और चारित्रिक भावना पर आघात न पहुंचाते हुए राष्ट्रीय महत्व के समाचार संकलन और वितरण करना।

(आ) समिति के अन्दर और बाहर समिति का कार्य करने वाले लोगों को शिक्षा देना।

(इ) समिति अपने कार्य के लिए चल अचल संपत्ति प्राप्त करेंगी।

---

[91] Dahal, Kashi Raj, n.53, p. 175
[92] ibid, pp. 174-176.

(ई) समिति को अपनी संपत्ति को किराये पर देने, विक्री करने और अन्य बन्दोबस्त करने का अधिकार होगा।

1962 के राष्ट्रीय समाचार अधिनियम की तीसरी संशोधन, 1992 ने राष्ट्रीय समाचार समिति की समाचार संकलन और वितरण संबंधी एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अन्य नेपाली समाचार समितियों को भी नेपाल अधिराज्य की समाचार संकलन, विक्री और वितरण करने का अधिकार था। राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय समाचार संपत्तियों को नरेश की स्वीकृति लेकर नेपाल अधिराज्य के अन्दर के समाचार संकलन करना और विदेश में भेजने का प्रावधान कर सकते है।

नेपाल में मीडिया संबंधित पेशागत संगठन

नेपाल में सर्वप्रथम 1952 में पत्रकारों के हितों की रक्षा करने के लिए "नेपाल पत्रकार संघ" की स्थापना किया गया। 1953 में इस संघ के संचालन के लिए कार्यकारिणी समिति बनाया गया। इस संघ का उद्देश्य नेपाल में पत्रकारों तथा नेपाल के बाहर के पत्रकारों के संगठन का निर्माण कर उनकी आवश्यकता पर ध्यान देना तथा बाहरी देशों के पत्रकारों के संगठनों के साथ मिलकर श्रमजीवी पत्रकार और समाचार पत्र पत्रकार के अधिकारो की रक्षा करना था। इस संगठन में सभी पत्रकार, संपादक तथा नियमित लेखक सदस्य हो सकते थे। इसके लिए सदस्यों को प्रवेश शुल्क 1 रुपया तथा वार्षिक शुल्क के रूप में 2 रुपया देना होता था।[93]

1956 में नेपाल में दूसरा "नेपाली पत्रकार संघ" का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य "राष्ट्र का सर्वातोन्मुखी विकास और प्रजातांत्रिक पद्धति को मजबूत बनाने के लिए देश में प्रबुद्ध और उत्तरदायी जनमत का सृजन करना, पत्रकारों पर समय समय पर आने वाले कष्टो का निराकरण कर स्वच्छ पत्रकारिता के विकास में सहयोग प्रदान करना था। इस संघ का प्रवेश शुल्क 10 रुपया तथा वार्षिक शुल्क मासिक 1 रुपया था। 1957 में देश में राजनीतिक उथल–पुथल के परिणाम स्वरूप पत्रकार संघ

[93] ibid, p. 183

कई अलग–अलग गुटों में विभाजित हो गया। 1961 में इन विभिन्न अलग–अलग गुटों को मिलाकर फिर से "नेपाली पत्रकार संगठन" बनाया गया। यह संगठन देश में पत्रकारिता पेशे के विकास और उन्नति के लिए गठित हुआ था। पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रम करने वालों के बीच संगठित रखने वाला संगठन "नेपाल प्रेस पारिश्रमिक संघ" था। 1991 में इस संगठन के उद्देश्य में थोड़ा परिवर्तन किया गया।

1973 में साहित्य क्षेत्र के विकास के लिए एक "साहित्यिक पत्रकार संघ" का निर्माण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य निम्न था:[94]

(क) राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित तथा संचालित करना,

(ख) नयी उभरती प्रतिभाओं को उचित सम्मान प्रदान करना,

(ग) अध्ययन, अनुसंधान, प्रकाशन, अनुवाद तथा प्रसार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना,

(घ) लेखक और साहित्यिक पत्रकारों के बीच आपसी संपर्क सदभावना, सौहार्द और सहयोग का विकास करते हुए उनके हित और मर्यादा का संरक्षण करना,

(ड.) जन स्तर पर नेपाली भाषा, साहित्य कला और संस्कृति को अभिरूचि बढ़ा कर विश्व जनमानस में इसका प्रचार तथा प्रसार का सतत् प्रयास करना।

1990 के दशक में निजी क्षेत्र की पत्रकारों द्वारा नया संगठन बनाया गया। मनिन्द्र राय श्रेष्ठ को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सदस्यों में मदन मनी दीक्षित, गोविन्द त्यागी, चन्द्रलाल झा और हरीहर विहारी भी शामिल थे । लेकिन इस संगठन को सरकार द्वारा समय समय पर दिक्कतें दिए गए थे।[95]

---

[94] ibid, pp. 190-191

[95] Bista, Puran P., n. 1, p. 612

नेपाली पत्रकार संगठन के क्षेत्र में 1997 में एक महत्वपूर्ण संगठन "नेपाली पत्रकार महासंघ" का गठन किया गया जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे:[96]

(क) नेपाल अधिराज्य में आम संचार के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील पत्रकारों को एक सूत्र में बांध कर व्यवसायिक नेतृत्व देना।

(ख) पत्रकारों के हितों को नेतृत्व प्रदान करते हुए उसका संरक्षण करना।

(ग) जिम्मेवार उत्तरदायित्वपूर्ण और अनुशासित पत्रकारिता के संस्थागत विकास में करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता के आदर्श का परिचालन करना।

(घ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्रियाशील पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित संघ और संस्था से संबंध बनाना तथा विभिन्न देशों के संघों के बीच प्रतिनिधियों का आदान–प्रदान करना।

(च) पत्रकार जगत के हित के लिए आवश्यक कार्य करना।

अर्थात् नेपाली पत्रकारिता के बीच संगठन की भावना संवैधानिक भावना के साथ ही हुआ। और आज बहुत सुदृढ़ होकर क्रियाशील रहते हुए अपना कार्य कर रहा है।

---

[96] ibid, pp. 192-193

अध्याय 3

1990 के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रताः उपलब्धियाँ और कमजोरियाँ

प्रेस की स्वतंत्रता के बिना प्रजातंत्र की कल्पना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पर्याप्त संचार के अभाव में प्रजातंत्र के अंतर्गत नागरिको और उसके द्वारा निर्वाचित सरकार के बीच उचित ढंग से सुचना का आदान–प्रदान नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में यदि नेपाल की मीडिया का विश्लेषण किया जाए तो नेपाल में मीडिया इन विगत 14 वर्षो के दौरान काफी हद तक विकसित हुई है। नेपाल मे विगत 14 वर्षो में जो मीडिया की स्थिति और इसकी देश के विकास प्रक्रिया मे स्थान है, 1990 के पहले कभी नहीं दिखा था। नेपाल मे मीडिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। लेकिन गत दो चार वर्ष मीडिया के स्वस्थ विकास के लिए अनुकूल नही रहे है। इसका कारण चाहे, राजनीति दल रहे हो, नरेश रहा हो, माओवादी या खुद वहां की आर्थिक–सामाजिक स्थित रही हो; ये सभी समय–समय पर मीडिया की स्वतंत्रता में व्यवधान डालते रहे है।

यह सामान्य बात है कि प्रजातंत्र के आदर्श परिस्थिति के लिए विभिन्न शर्तों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व मीडिया व्यवस्था का स्वतंत्र होना है। अर्थात् बिना स्वतंत्र मीडिया के एक वास्तविक प्रजातंत्र की कल्पना करना ही बेकार है। 20 वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में मीडिया का उदय एक यादगार घटना रहा है इसने राष्ट्रीय सीमाओं को उलटने और अतिक्रमण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है।

यह सच ही कहा जाता है कि एक नया राजनीतिक व्यवस्था को चुनने का अर्थ होता है एक नयी संचार व्यवस्था को चुनना। किन्तु नेपाल की जनता को 1990 से पहले सरकार परिवर्तन प्रक्रिया में कोई भुमिका प्राप्त नही था। 1990 के बाद सरकार परिवर्तन में जनता ने महत्वपुर्ण भुमिका निभाया। मीडिया ने नयी आचारो, विचारों,

आकांक्षाओं और इच्छाओं को सामने रखा है। आज यह कहने की कोई जरूरत नहीं हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक स्थापित मूल्य है। प्रेस कानुनों को प्रतिबंधों के साथ लागू करना अशोचनीय गतिविधि है। जागरूकता का विकास होने के साथ ही अतीत के अंधकार से बंधी संचार व्यवस्था अब पूर्णतया स्वतंत्र ढंग से अपनी गतिविधि संचालित कर रहा है। नेपाल में बहुदलीय शासन प्रणाली का प्रारंभ होने के बाद वहां पर मीडिया क्षेत्र को बहुत सुरक्षा प्रदान किया गया है। लेकिन गत पांच वर्षो से नेपाल के सामाजिक संरचना में, प्रजातांत्रिक राजव्यवस्था और स्वतंत्रता को मजबूत बनाने में अपनी गतिविधियों को संचालित करने में मीडिया को बहुत सी दिक्कतों और विरोधाभाशों का सामना करना पड़ रहा है।

नेपाली प्रजातंत्र में प्रिन्ट मीडिया

1990 के बाद सरकार में आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया। प्रेस को प्रमाणपत्र या पंजीकरण कराने की पहले से बहुत अधिक सरलता प्रदान किया गया। जिसके फलस्वरूप निजी मीडिया को वहां पर निवेश करने की उचित वातावरण मिला। संवैधानिक प्राविधानों द्वारा प्रदत्त प्रेस की स्वतंत्रता के फलस्वरूप, बहुतायत में दैनिक, साप्ताहिक, तथा मासिक समाचार पत्रों को प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यह सब पत्र–पत्रिकायें अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में सामने आये। लेकिन इसमें से कई पत्र पत्रिकाए तुरन्त ही वितिय दिक्कतों के कारण बन्द हो गए। नेपाल में निजी मीडिया के विकास को दिखाने वाला एक पत्र "कान्तीपुर" है जो सम्पूर्ण दक्षिण एशिया में विकसित दैनिक समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।[1]

नेपाल में 1990 के संविधान के द्वारा पंचायत प्रजातंत्र को समाप्त कर बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस संविधान में नागरिकों को बहुत से मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है। जिसमें कुछ अधिकार मीडिया के विकास और कार्य संचालन के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अनुच्छेद 12.2 में नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति तथा

[1] Adhikari, Dhruba Hari, "Media: Press, Power, and Politics" in D. B. Gurung, (ed.), *Nepal Tomorrow: Voices and Visions* (Kathmandu: Kosilee Prakashan, 2003), p. 616.

संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 13 में नागरिकों को यह सुरक्षा प्रदान किया गया है कि प्रकाशन से संबधित किसी भी संसाधन को, पंजीकरण को तथा प्रिंटिग प्रेस को न ही जब्त किया जायेगा, न ही रद्द किया जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा। जबकि अनुच्छेद 16 में नागरिको को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे जन समुदाय से संबधित किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकते है।[2]

यदि प्रेस की स्वतंत्रता से आशय राज्य के हस्तक्षेप का अभाव होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेपाल प्रेस की स्वतंत्रता में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। (अपवाद स्वरूप माओवाद के संबंधित समाचार पत्रों और कर्मचारियों को परेशान करता है)। यदि प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ प्रेस की प्रकाशन और बिक्री में हस्तक्षेप न किए जाने से है तो यह किसी विशेष समय के संदर्भ में ही उचित हो सकता है। इस तरह के राज्य क्रिया को प्रकाशन पर पुर्व प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है। समाचार प्रकाशन को समाज और प्रजातंत्र के लिए सुचना प्राप्ति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है।[3]

1990 के बाद नेपाल में प्रेस के क्षेत्र में विकास हुआ लेकिन 20वी शताब्दी के 80 के दशक में नेपाल में प्रेस पर तरह तरह से प्रतिबंध लगाकर दमनात्मक गतिविधियों को संचालित किया जाता रहा। इस दौरान वहां पर जन आन्दोलन अपनी विकास की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। 1989 में एमनेस्टी अंतर्राष्ट्रीय के प्रकाशन मे नेपाल के मानवाधिकार रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर काफी अत्याचार हुई।[4] इस समय के दौरान जो पत्रकार भ्रष्टाचार आदि की खबरें प्रकाशित कर रहे थे उन्हें जेल में तुरन्त डाला जा रहा था।

जन आन्दोलन के दौरान नेपाली कांग्रेस एवं संयुक्त वाम मोर्चा ने सरकार के समक्ष अपनी प्रमुख मांगें रखी। उनमें प्रमुख है, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना,

---

[2]. Lal, C. K, "Media and Governance", Seminar Paper Presented in Observer Research Foundation, New Delhi, November 10-12, 2003

[3]Adhikari, Bipin, "Freedom of the Press in Nepal: Whose Freedom is It", *Himal*, vol. 23, no. 2, Jan 2001, see www.himal.org/bipin_adhikari_jan2001/ 7654/888.html.

[4] Amnesty International, *Country Report, Nepal*, 1987, see www.amnesty.org/nepal_1987.html.

मंत्रिपरिषद की सलाह नरेश को माननी पड़ेगी, नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी, लोकतंत्र को मजबुत करनेवाली संस्थाओं पर जोर देना, स्वतंत्र चुनाव आयोग का स्थापना, प्रेस एवं अन्य स्वतंत्रताओं पर जोर एवं संविधान के विरोधी कानूनों के विरोधी कानूनों को वापस लेना।[5]

9 अप्रैल, 1990 को जन आन्दोलन के कारण नरेश विरेन्द्र ने नेपाल में दलविहिन पंचायती व्यवस्था को समाप्त कर दिया जो 1960 से लागू किया गया था इसी के साथ बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना कर दिया। 30 वर्षों में पहली बार प्रेस राजघराने से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रत्यक्ष रूप से बात कर सकती थी और भारत के साथ व्यापार विवाद पर भी बात कर सकता था। इतना ही नही मीडिया विश्व के एकमात्र हिन्दू राष्ट्र में धर्म निरपेक्ष राज्य के गुण अवगुण पर बातचीत भी कर सकता था।[6] 1990 का संविधान नेपाल में संसदात्मक प्रजातंत्र का नया अध्याय प्रारंभ करता है। साथ ही संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करता है। संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सम्प्रभुता राष्ट्र की जनता में निहित रहेगी। यह संविधान अपने अंदर कुछ विशिष्ट तत्व लिए हुए है जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, आधारभूत मानवाधिकार, वयस्क मताधिकार, सरकार का संसदात्मक रूप, संवैधानिक राजतंत्र, बहुदलीय प्रजातंत्र, जनता के बीच भातृत्व की प्रवृति और स्वतंत्रता एवं समानता, राष्ट्रीय एकता के लिए प्रावधानों की व्यवस्था थी। साथ ही इसमें स्वतंत्र न्यायालय स्थापना की भी व्यवस्था थी। जिसको सामाजिक न्याय और देश में विधि का शासन की सुरक्षा करना था। इस संविधान के अनु0 13 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है।[7]

30, मई 1990 को एक शाही फरमान जारी करके नरेश वीरेन्द्र ने एक संविधान सुझाव आयोग की स्थापना की तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ

---

[5] Baral, Lok Raj, *The Regional Paradox: Essays in Nepali and South Asian Affairs* (New Delhi: Adroit Publishers, 2000), p. 20.

[6] Frances D'souza, Carmel Bedford and Annlise Jespersen, *Information Freedom and Censorship: World Report 1991* (London: Library Association Publishing, 1991), p. 205.

[7] Article 19 of the *Constitution of the Kingdom of Nepal 2047* (1990) November 9, 1990.

उपाध्याय को इसका अध्यक्ष मनोनीत किया। इस सात सदस्यीय आयोग में दलों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया।[8]

1990 के पहले जन आन्दोलन के दौरान तथा उसके बाद नेपाल में मीडिया के क्षेत्र में सुधार के लिये कई कारको ने भूमिका निभाई है जिसमें (क) वैधानिक शासन द्वारा, (ख) निजी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा, (ग) भुगतान द्वारा प्रचार ने, (घ) नेपाली जनता एवं (ड.) नेपाली भाषा का योगदान शामिल हैं।[9]

क. वैधानिक शासन : 1990 का संविधान नागरिकों को अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सुचना प्राप्त करने का अधिकार, सेंसरशिप से सुरक्षा का अधिकार सम्मिलित है। संविधान के इस प्रावधानों के अंतर्गत नेपाल में कई अन्य अधिनियम नेपाल में पास किए गए जिसमें 1992 का प्रिटिंग प्रेस और प्रकाशन अधिनियम, और 1993 का राष्ट्रीय प्रसारण अधिनियम प्रमुख है।[10]

ख. निजी और गैर सरकारी संस्थाएं : गैर सरकारी संस्थाओं ने मीडिया क्षेत्र में विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। जिससे वहां पर जनशिक्षा के क्षेत्र में 1990 के बाद बहुत महत्वपूर्ण ढंग से विकास हुआ है। इनके कारण वहां पर सभी क्षेत्रों में मीडिया का प्रसार तेजी से साथ हो रहा है। नेपाल में 1990 के बाद से गैर सरकारी संस्थाये विभिन्न एफ.एम. चैनलों और नेपाल टेलीविजन के माध्यम से अपना कार्यक्रम जनता के बीच पहुँचाता है। इससे जनता के बीच गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों के लिए जागरूकता आती है। नेपाल में गैर–सरकारी संस्थाओं के अलावा निर्वाचित स्थानीय संस्थाएं भी मीडिया क्षेत्र में भागीदार बन रहे है। उदाहरण स्वरूप नेपाल में काठमाण्डु के निर्वाचित संस्थाओं और केन्द्रीय नेपाल के जिले पाल्पा के मदपोखरा गांव के बीच रेडियो स्टेशनो के माध्यम से संपर्क स्थापित

---

[8] Dahal, Ram Kumar., *Constitutional and Political Developments in Nepal* (Kathmandu: Ratna Pustak Bhandar, 2001), pp. 72 – 73.
[9] Onta, Pratyush, "Critiquing the Media Boom", in Kanak Mani and Shashtri Ramchandran, (eds.), *State of Nepal* (Kathmandu: Himal Books, 2002), pp.259-62.
[10] Ibid.

किया गया है। जिसके कारण गांव के दिक्कतों को राजधानी तक आराम से पहुंचाया जाता है।[11]

ग. भुगतान द्वारा प्रचार : नेपाल में 1990 के बाद से प्रचार द्वारा मीडिया जगत को बहुत आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है जिससे वे अपने सुचना तंत्रकों और सुदृढ़ तथा प्रभावक बना रहे है। प्रचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य संस्थाओं द्वारा प्रचार करवाना और जनहित मुद्दों को घोषित करना नेपाली अर्थव्यवस्था में भारतीय वस्तुओं की पहुंच, नेपाल के निजी क्षेत्र का विकास तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं और गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा अपने कार्यों को प्रकाशित कराने के कारण नेपाली मीडिया के लिए प्रचार क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 25 प्रतिशत का विकास हो रहा है।[12]

घ. मीडिया उपभोक्ता में वृद्धि : नेपाल में शिक्षा के क्षेत्र में विकास होने के कारण भी मीडिया क्षेत्र का विकास संभव हो रहा है। 230 लाख लोगों में लगभग 30 प्रतिशत लोगों के जीवन में मीडिया अभिन्न अंग बन चुका है। नेपाली मीडिया की पेशेवर गतिविधि से राजनीति संबंधी मुद्दों, आर्थिक मुद्दों, फैशन के मुद्दे जैसे कार्यक्रम प्रकाशित करता है जिससे वहा पर मीडिया उपभोक्ता में बढ़त हो रही है।[13]

ड.. नेपाली भाषा का योगदानः इस दौरान नेपाल में नेपाली पहचान के रूप में नेपाली भाषाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे वे अपने गतिविधियों को क्षेत्रीय भाषाओं में तथा राष्ट्रीय भाषा में प्रकाशित कराने का प्रयास बखुबी कर रहे है। नेपाली प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राष्ट्रीय भाषा को ज्यादा महत्व देते हुए अपने कार्य क्रम प्रसारित कर रहे है। जिससे देश में उनकी स्थिति ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो।[14]

पंचायत व्यवस्था के दौरान जैसे मीडिया तंत्र का प्रयोग नरेश द्वारा अपनें हित में हो रहा था उसी तरह ही 1990 के बाद भी मीडिया तंत्र का प्रयोग शासक वर्ग द्वारा

---

[11] ibid.
[12] ibid.
[13] ibid.
[14] ibid.

अपने हित के लिए किया जाता रहा है। बीते सालों में मीडिया की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत संख्या में संचार नीति आयोग और विनिवेश आयोगों का गठन किया जाता रहा है।[15] इस समय के दौरान लोगों ने देखा नेपाल में औसतन हर साल एक नई सरकार का गठन होता रहा है। सरकारें किस तरह अपनी छवि, रंग के साथ संधिया करके सत्ता प्राप्त करना चाहते थे और विश्वासों को प्रजातांत्रिक नेतृत्व के नाम पर किस तरह धोखा देकर खत्म कर दिया।[16]

अतीत में देखने पर नेपाल में ऐसे तमाम उदाहरण मिल जाएंगे जब वहां पर कुछ विवादास्पद मुद्दों को लेकर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया हों। जबकि इस संविधान के द्वारा नागरिको को सुचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया ह। फलस्वरूप किसी तरह प्रेस गतिविधि पर प्रतिबंध, पंजीकरण रद्दीकरण जैसी घटनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।[17]

नेपाली मीडिया ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा और सामान्य व्यवस्था के नाम पर नरेश के प्रति सम्मान रखने पर नियंत्रण लगाये जाने की बात संविधान में कही गयी है। विधि द्वारा पत्रकारों के लिए प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जनता द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के मीडिया को निजीकरण किए जाने के बावजूद नेपाल में राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन और दो महत्वपूर्ण पत्रों ("गोरखा पत्र" और "दि राइजिंग नेपाल") पर नियंत्रण रखते हुए उनका संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है। इनमें से कोई भी विपक्ष के दृष्टिकोण को प्राथमिकता नहीं देती है। 1998 में सरकार ने छः समाचार पत्रों को गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के कारण जब्त कर लिया गया था तथा साथ ही तीन पत्रकारों को माओवादियों पर खबर लिखने पर जेल और आर्थिक जुर्माने की

---

[15] Shrestha , AP, *Print Media and Democracy*, Friedrich Ebert Stiftung, Nepal Office, no, 2, p.3, September 14, 2004, see www.nepaldemocracy.org/shrestha/14_9_2004.html.
[16] ibid, p. 2.
[17] Dahal, RK, n.8, p. 201.

सजा दी गयी थी। सकारात्मक रूप में वहां की जनता को भारत, चीन और बांग्लादेश द्वारा प्रकाशित या संचालित मीडिया द्वारा सामाचार प्राप्त किया जाता है।[18]

नेपाल में समाचार पत्र बहुत अधिक व्यवसायिक उद्देश्यों से संगठित रूप से गतिविधि संचालित कर रहे है। प्रत्येक निवेशक निवेश से पहले अपने व्यवसायिक हित को देख लेता है। निजी निवेशकों में कांन्तिपुर प्रकाशन मे "काठमान्डु पोस्ट" (अंग्रेजी दैनिक), "कान्तिपुर" (देशीय भाषा), "साप्ताहिक" (देशीय भाषा), "नेपाल" (नेपाली महीने मे चार बार) "नारी और सर्वोत्तम" (दोनों देशीय भाषा में प्रकाशित होने वाला मासिक पत्र) है, "कामना" (एक मासिक सिने पत्रिका) "साधना" (एक मासिक पत्रिका), "संध्याकालीन" (एक सांध्याकालीन दैनिक) "सौगात" (एक साप्ताहिक पत्रिका) सभी देशीय भाषा में;"स्पेस टाइम प्रकाशन" ; (स्पेस्टाइम दैनिक, देशीय भाषा में दैनिक और स्पेस टाइम टुडे अंग्रेजी दैनिक); "हिमाल खबर पत्रिका" (नेपाली पाक्षिक पत्रिका), "नेपाली टाइम्स" (अंग्रेजी साप्ताहिक), "हिमाल दक्षिण एशिया", (एक अंग्रेजी साप्ताहिक) और वेब (अंग्रेजी साप्ताहिकी), "दि हिमालय टाइम्स प्रकाशन" (हिमालया टाइम्स, एक देशीय भाषा का दैनिक) और "राजधानी प्रकाशन" (राजधानी, एक देशीय भाषा का साप्ताहिक पत्र) का प्रकाशन करने वाले प्रकाशन संस्थान है।[19]

नेपाल के वर्तमान संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को अतुलनीय ढंग से महत्व दिया गया है। अनु. 13, प्रेस और प्रकाशन के अधिकार के अंतर्गत तीन तरह की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। भाग (1) के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी समाचार शोध या अन्य पठनीय घटनाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया जायेगा। (2) किसी भी प्रेस पर किसी तरह के प्रकाशन, समाचार एवं लेख के कारण बन्द या जब्त नहीं किया जा सकेगा। और (3) के अंतर्गत के अंतर्गत किसी भी प्रेस या घटना प्रकाशन

---

[18] *Media in South Asia*, Monthly Commentary on India Economic Conditions, December 2000, p. 9.
[19] Adhikari, D. H., n. 1, pp. 616 – 17.

करने वाले संस्थाओं पर समाचार, लेख या पठनीय घटना के लिए किसी भी पत्र के पंजीकरण को रद्द नहीं किया जा सकेगा।[20]

स्वतंत्रता होने के साथ ही साथ अनुच्छेद 13 के भाग (1) द्वारा नागरिकों के इस अधिकार पर व्यवस्थापिका द्वारा तार्किक प्रतिबंध लगाने हेतु विधि बनाए जाने का प्रावधान किया गया है इसके माध्यम से प्रेस और प्रकाशन अधिकार पर कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं जैसे:-[21]

(1) ऐसी कोई गतिविधि जो राष्ट्रिय गणराज्य की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा बने।

(2) जिससे विभिन्न जाति, जनजाति और समुदाय के बीच सदभाव न बढकर द्वेष की भावना का विकास हो।

(3) किसी तरह का राजद्रोह, मानहानि या न्यायालय की अवहेलना या उत्तेजनात्मक गतिविधि के लिए।

(4) कोई ऐसी गतिविधि जन सामान्य के व्यवहार में या नैतिकता में द्वैष भाव पैदा करें।

अर्थात् संविधान में ध्यानपूर्वक उन आधारों का वर्णन किया है जिस आधार पर व्यवस्थापिका प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। प्रथम राज्य हित के मुद्दों के साथ जुडा है। दूसरा मुख्यतः जनहित से जुड़ा है और जिससे राज्य का भी हित जुड़ा रहता है। तीसरा और चौथा जन समुदाय के अंतर्गत व्यक्तिगत ढंग से किए जा रहे गतिविधियों पर जैसे, जन नैतिकता, सभ्यता, उतेजक गतिविधि को बढावा देने से संबंधित और राज्य की अवहेलना से संबंधित है।[22]

---

[20] Dahal, Ram Kumar, n.8 , p. 200.
[21] Ibid.
[22] ibid, pp. 202 – 203.

संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त भी नेपाल में 1990 के बाद कुछ मीडिया संबधित विधेयक पारित किये गये है जैसे 1992 में पारित 'Printing Press and Publication Act' तथा 1992 में ही पारित 'Press Council Act' और 1993 में पारित 'National Broadcasting Act' सम्मिलित है। इन अधिनियमों के पारित होने के बाद नब्बे के दशक में मीडिया के क्षेत्र में निश्चितता और स्थायित्व के साथ विकास संभव हो सका है।[23]

1991 का प्रेस और प्रकाशन अधिनियम:-

मीडिया को स्वतंत्र और निर्भिक ढंग से कार्य करने देने के लिए देश में प्रेस और प्रकाशन अधिनियम बनाना अति आवश्यक हो गया था। जिसके कारण देश में महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह ने नेपाल मे 1990 के संविधान के 129 अनु. के तहत 1991 में प्रेस और प्रकाशन अधिनियम का निर्माण कराया जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों को सम्मिलित किया गया था। इसमें विभिन्न वर्ग और क्षेत्र के जनता के बीच सुसंबंध, सदाचार, शिष्टाचार एवं नैतिकता को बनाये रखने के लिए पत्रकारिता क्षेत्र की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मर्यादित और जिम्मेदारी पूर्ण प्रतिबंध भी लगाये गये थे।[24]

यह पहले बनाए गए 1982 के प्रेस और प्रकाशन अधिनियम की जगह आया था। यह भी प्रेस की संवैधानिक स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान था इस अधिनियम के अंतर्गत भी भाग 14 और 15 द्वारा कुछ निश्चित घटनाओं के लिए प्रतिबंध की व्यवस्था थी। अधिनियम के भाग 12 के अंतर्गत किसी भी समाचार, लेख या पठनीय घटना पर पुर्व प्रतिबंध की व्यवस्था किया गया था। जबकि भाग 13 में कहा गया है कि किसी

[23] Lal, C. K, n .2, p.6.
[24] Dahal, Kashi Raj, *Aam Sanchar Ra Kanoon* (in Nepali) (Kathmandu: Nepal Press Institute, 2002, pp. 292-294.

समाचार पत्र या नियतकालिन पत्र पर किसी समाचार, लेख या पठनीय मुद्दों के कारण पंजीकरण को रद्द नहीं किया जाएगा।[25]

इसमें 7 परिच्छेद सम्मिलित किए गए थे जिनके अंतर्गत विभिन्न उपशाखाये बनायी गयी थी। इसके परिच्छेद एक में इसका नाम तथा परिभाषा सम्मिलित किया गया था। परिच्छेद दो में प्रेस संबंधी प्रावधान सम्मिलित किया गया था। परिच्छेद तीन में किताब संबंधी प्रावधान सम्मिलित थे और पांच में प्रेस पंजीकरण, प्रेस प्रतिनिधि और स्वतंत्र पत्रकार संबंधी व्यवस्था का प्रावधान था परिच्छेद छः और सात में क्रमशः दण्ड प्रावधान और अन्य मुद्दे सम्मिलित थे। अर्थात् यह अधिनियम प्रेस और प्रकाशन के पंजीकरण से लेकर उनके निरस्तीकरण तक की व्यवस्था का वर्णन करता है।[26]

1991 के प्रेस और प्रकाशन अधिनियम के अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत अनुमति प्रदान करते हुए समाचार पत्रों के समयकालिक पत्रों के प्रकाशन पर दो तरह के प्रतिबंध की व्यवस्था है। जबकि अधिनियम भाग 14 निम्न पांच क्षेत्रों में प्रकाशित घटना पर प्रतिबंध की व्यवस्था थी। [27]

(1) किसी तरह की समाचार जो नरेश और उनके परिवार के प्रति घृणा या असम्मान की भावना को बढ़ाता हो।

(2) यदि कोई समाचार जो नेपाली गणराज्य की सम्प्रभुता और एकता पर चोट पहुचाता हो।

(3) यदि कोई समाचार नेपाली गणराज्य की सुरक्षा, शांति और व्यवस्था को भंग करती हो।

(4) ऐसा कोई समाचार जो विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, वंश, क्षेत्र, भाग के लोगों के बीच अतिघृणा और साम्प्रदायिक भावना की बढाता हो।

---

[25]Dahal, Ram Kumar, n.8, p. 202-203.
[26] Dahal, Kashi Raj, n.24 , p.294-296.
[27] Dahal,Ram Kumar n.8, p. 200.

(5) ऐसी कोई समाचार जो सामान्य जनता की अच्छी आचरण, नैतिक और सामाजिक भावना को प्रभावित करता हो।

इन सबके सरथ साथ अनुच्छेद 15 प्रकाशन के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है। जिसमें कहा गया है सरकार द्वारा क्रियान्वित किसी कार्यक्रम के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो लगता हो कि देश के लिए उचित है। साथ ही साथ अनु0 88(1) में प्रतिबंधें को न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार किए जाने की व्यवस्था को संविधान में सम्मिलित किया गया है।[28]

ठीक उसी समय, जब नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाता है जिसके फलस्वरूप निजी क्षेत्र द्वारा मीडिया में निवेश किया जाता है, इस बात की कोई निश्चितता नहीं होता कि उनके द्वारा प्रकाशित समाचार सही होंगे। विभिन्न अलग–अलग समाचार, समाचारों की विश्वसनीयता को संदेह के घेरे में रखते है। नेपाल में साप्ताहिक समाचार पत्र पुरी तरह राजनीति के घेरे में होने के कारण निम्न विश्वसनीयता रखते है। जबकि दैनिक समाचार पत्रों के पास उचित संसाधनों का अभाव पाया जाता है, मुख्यतः पत्रकारिता के क्षेत्र में अस्थिरता पाया जाता है। साथ ही वे मुश्किल से ही संवेदनशील मुद्दों पर उचित ढंग से दुःख व्यक्त करते है यदि ऐसा वे करते है तो यह उनकी उपलब्धि होती है। 1995 के बाद निजी क्षेत्र के "कान्तिपुर" समाचार पत्र के रिकॉर्ड तोड़ बितरण के कारण सरकारी मीडिया पर दबाव बढ गया। नेपाल में इस दौरान निजी मीडिया क्षेत्र ने बृहद स्तर पर व्यापार किया।[29]

राष्ट्रीय संचार नीति, 1992

1992 के राष्ट्रीय संचार नीति में कई तरह के वायदे किए गए थे लेकिन उनको सही अर्थों में कभी भी लागू नहीं किया गया। पंचायती शासन के दौरान सरकारी

---

[28] Ibid.
[29] Adhikari, DH, n. 1, pp. 618 – 19.

मीडिया तंत्र का प्रयोग राजनीतिकज्ञों के विरोध के लिए किया गया। उन्मूक्त संचार के अवसर प्रदान करने के साथ ही जनता को गलत सुचनाओं को प्रदान किया गया। सबसे बड़ी विरोधाभास आधुनिक प्रजातांत्रिक संरचना के अंतर्गत नेपाल सरकार नियंत्रित मीडिया तंत्र और राष्ट्रीय समाचार शाखा समाचारों को प्राप्त करनें और उसका प्रसार करने में गेटकीपर की तरह गतिविधियां संचालित कर रहे है। सरकारी समाचार पत्र अधिकांशतया समाचारों को प्राप्त कर उसे अपने अनुसार प्रयोग करते है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो और टेलीविजन का प्रयोग सता के लिए अफवाह फैलाने के लिए बखुबी किया जाता रहा है।[30] वर्तमान स्थिति में, स्वतंत्र मीडिया में प्रिन्ट मीडिया को ही प्राथमिकता दिया जाता है लेकिन उनकी वास्तविक स्वतंत्रता प्रश्नसूचक है। नेपाल में प्रेस आत्मविश्वास से दूर हो गए है जबकि यही उन्हीं व्यवसायिक बनाता है। व्यवसायीकरण से मीडिया अपने वॉचडाग की स्थिति से दूर हो जाती है सुचनात्मक कार्यों और जन मुद्दों से संबंधित विवादों का आगे बढाने में भी कमजोर हो जाता है। इस आत्म विश्वास के पीछे राजनीतिक दबाव भी महत्वपूर्ण ढंग से गतिविधि करता है क्योंकि वित्तिय और अन्य तरह के समर्थन की जरूरत मीडिया को होती है।

इस संचार नीति का एक मुख्य उद्देश्य 'राष्ट्रीय अस्मिता और महत्व को बढ़ावा देने के साथ ही साथ जनता में जागरूकता बढानें का था। अतर्राराष्ट्रीय सहयोग को बढावा देने के साथ ही देश के संपूर्ण विकास पर ध्यान देते हुए सूचना और संचार क्षेत्र को क्रियाशील बनाना भी इसका उद्धेश्य था।[31]

सरकार संबंधित मीडिया के समाचार प्रसारण के संबंध में राष्ट्रीय संचार नीति में कहा गया है कि " ये पक्षपात रहित, उद्देश्यपूर्ण और मुल्यवान समाचार जुटायेंगें एवं उसका प्रसार करेंगे। साथ ही साथ ही ग्रामीण विकास संबंधी मुद्दे को महत्व देंगें। इस नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का पहुंचाना भी रहा है। अर्थात् संचार

[30] Shrestha, AP, n.15.
[31] Ibid.

के माध्यम से समाचार को जनता तक पहुंचाकर जागरूक बनाना ही इसका मुख्य उद्धेश्य है।[32]

प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1992

पत्रकारिता को पेशेवर स्तर पर उच्च आचरण के साथ स्वस्थ, स्वतंत्र और उत्तरदायी बनाने के लिए तथा इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था जिसमें 18 अनुच्छेद सम्मिलित थे। इसके अनुच्छेद 5 में इसका उद्देश्य बताया गया था जो निम्न है:[33]

(क) स्वस्थ पत्रकारिता के विकास के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना।

(ख) प्रेस स्वतंत्रता के दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रेस आचार संहिता का निर्माण करना।

(ग) प्रेस और नरेश की सरकार के बीच उचित संबंध बनाए रखना।

(घ) सार्वजनिक नैतिकता और नागरिक के प्रति मर्यादापूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना और

(ड.) प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की मर्यादा को निश्चित करते हुए इनमें कार्य में हस्तक्षेप न करना।

अर्थात् प्रेस काउंसिल एक्ट का उद्देश्य सिर्फ पत्रकारिता और प्रेस के कार्यशैली को व्यवस्थित रखना था। इस अधिनियम में इसके गठन, सदस्य संख्या, इसकी कार्यशैली, परिभाषा इत्यादि को सम्मिलित किया गया था।

---

[32]Kharel, P., ed, *Media Practices in Nepal*, (Kathmandu: Nepal Press Institute, 2001), p.150.
[33]Dahal, Kashi Raj, n.24, p.293-94.

राष्ट्रीय प्रसारण अधिनियम, 1993

1990 के संविधान में नागरिकों के विचार अभिव्यक्ति और सूचना प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षा प्रदान किया गया है। प्रसारण प्रणाली के माध्यम से देश में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हुए जनता के बीच जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र और धार्मिक सम्प्रदाय के बीच समानता, आपसी सदभावना और सामन्जस्य के लिए वातावरण का निर्माण करते हुए राष्ट्र भाषा के माध्यम से समस्त जनता के चेतना को बढाया जाएगा। इसमें पूरे 23 अनुच्छेद सम्मिलित किए गए थे। इसके माध्यम से जन प्रसारण कार्यक्रम पर निगरानी रखते हुए कार्यक्रम को प्रसारित करने देना था। इसमें अनु. 7 में राष्ट्र हित के नाम प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था थी। अनु. 13 में विदेशी मीडिया को देश में उचित निगरानी के तहत शिक्षाप्रद तथा मनोरंजक कार्यक्रम प्रसारित करने देने की व्यवस्था है। इसके अनु. 16 में प्रसारक के काम कर्तव्य और अधिकार निश्चित किए गए है जो निम्न है:[34]

(क) अपने सामने उपलब्ध सूचना, समाचार, लेख और कार्यक्रम की सत्यता की छानविन कर निर्धारित समय पर प्रसारण करना।

(ख) राजनैतिक घटनाओं का निष्पक्ष रूप में सम्पादन तथा प्रसारण करना।

(ग) सार्वजनिक सुरक्षा, सामाजिक मर्यादा और नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण न करना।

(घ) लापरवाही और गलत अफवाह फैलाने वाले समाचार प्रकाशित न करना।

(ड.) किसी विवादित मुद्दे पर प्रसारण करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी।

(च) गलत और भ्रामक समाचार का प्रसारण न करना।

(छ) प्रसारण संस्था को दिए गए कार्य को करना।

---

[34] Ibid, p.300-307.

राजनीतिक दल और प्रिन्ट मीडिया

नेपाल में "खोजी पत्रकारिता" का अभाव पाया जाता है इसका एक मुख्य कारण मीडिया का राजनीतिक दलो से या उनकी विचारधारा से जुड़ना रहा है। इसके कारण ही जनता इन पत्रों को महत्व देती है। जनता अपने द्वारा समर्थित राजनीतिक दल के नियंत्रण या उससे संबंधित समाचार पत्र ही खरीदता है। जिससे सभी समाचार पत्र किसी न किसी राजनितिक दल के विचारधारा को ही महत्व देते है।[35]

इतना ही नहीं 1990 के बाद से नेपाल में कांग्रेसी दल बहुमत से या फिर अन्य दलों के समर्थन से सत्ता में रही है इन दिनों वह अपनी लाभ या हित के लिए सरकारी मीडिया तंत्र (जिसमें गोरखा पत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलीविजन और राष्ट्रीय समाचार समिति) का प्रयोग करती रही है। इसी कारण नेपाल में इन संस्थाओं के निजीकरण पर जोर देते हुए इन्हें पारदर्शी बनाये जाने पर पर भी जोर दिया गया है।[36]

देश में उभरते नये पत्रों में भी यह प्रवृत्ति पायी जा रही है कि वे किसी न किसी राजनीतिक दल उनकी विचारधारा से जुड़ना चाहते है। यह ठीक है लेकिन यदि ये पत्र खुलकर यह कहे कि वे किस दल या विचारधारा से जुड़े है। नेपाल में पत्रों के कार्यशैली में पारदर्शिता का अभाव पाया जाता है। इसके कारण किसी भी पत्र पर उसके किसी लेख, समाचार को माओवादीयों से जोड़कर उन्हें परेशान किया जाता है।[37] उदाहरण स्वरूप कुछ साप्ताहिक को देखा जा सकता हैं जो किसी न किसी राजनीतिक दल उनकी विचारधारा से जुड़ी है जैसे, कांग्रेस से "देशान्तर", "पुनर्जागरण", "घटना", "विचार", "साप्ताहिक", "विमर्श" पत्र जुड़े है। मुख्य विपक्षी दल नेपाली साम्यवादी दल (सीपीआई–यूएमएल) से जुड़े पत्र, "छलफल", "दृष्टि", "जन आस्था", "बुधवार" है वहीं छोटे साम्यवादी दलों से जुड़े पत्र "जन एकता" है। इन सबके अतिरिक्त माओवादीयों से जुडा पत्र "जनादेश" है। जिसपर 2001 में

[35] Onta, Pratyush, n. 9, p. 253.
[36] Ibid, p. 263.
[37] Ibid, p.254 .

आपातकाल के दौरान प्रतिबंध लगा दिया गया था। इन पत्रों का वितरण देश में लगभग 10000 से 25000 के बीच है। अर्थात् नेपाली पत्रकारिता राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र प्रस्तुत करने में ज्यादा सक्रिय है न कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों को उठाने में।

नेपाल मे निजी क्षेत्र और प्रिन्ट मीडिया

1990 के बाद नेपाली मीडिया में बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इस दौरान नेपाली मीडिया से आधुनिक परिवर्तन दिखायी पड़ता है। रंगीन साप्ताहिक और पाक्षिक दैनिक, मासिक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हो गया है। यह निवेशकों द्वारा धन कमाने के लिए किया जा रहा उचित प्रयास है। मीडिया पर अब पहले के इतना प्रतिबंध नहीं रह गया है। इस दौरान नेपाल में एफ एम रेडियो और टेलीविजन क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। [38]

नेपाल मे निजी क्षेत्र के मीडिया तंत्र का अस्तित्व 1950 के बाद आया। जबकि 30 वर्ष के पंचायती (दलविहिन) शासन के दौरान सरकारी मीडिया ही प्रमुखता से समाचार जगत में कार्यशील रहा।[39] निजी क्षेत्र के मीडिया जन आन्दोलन के दौरान छोटे स्तर पर ही आन्दोलन मे सम्मिलित हुए थे। प्रजातांत्रिक आन्दोलन के दौरान नेपाली प्रेस के प्रति लोगों के अंदर सम्मान का भाव देखा गया जो अपने को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर थे। 1990 के संविधान अनु0 15 में सुरक्षा करते हुए प्रेस और प्रकाशन का अधिकार सम्मिलित किया गया है जिसके तहत प्रकाशन एवं प्रिंटिंग प्रेस पर पाबंदी लगाने पर तथा समाचार पत्रों तथा नियतकालिक पत्रों के पजीकरण को रद्द करने जैसे गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये सभी व्यवस्था को अनु0 16 द्वारा प्रदत्त अधिकार सुचना प्राप्त करने का अधिकार के साथ जोड़ा गया है।[40]

---

[38]Kharel, P, n. 32, p. 12.
[39]Aditya, Anand, *Mass Media and Democratisation: A Country Study on Nepal* (Kathmandu: Institute for Intigrated Development Studies, 1996), p. 45.
[40] Adhikari, DH, n. 1, p. 597.

नेपाल में 1990 के बाद प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में गैर सरकारी संस्थाओं ने तथा निजी क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भुमिका निभाया है। मीडिया का संचालन सरकार तथा निजी क्षेत्रों द्वारा 1990 के बाद समान स्तर पर किया जा रहा है। गोरखा पत्र संस्थान द्वारा प्रकाशित "दि राईजिंग नेपाल", "गोरखा पत्र", "सन्डे डिस्पैच" तथा "युबा मंच" जैसे समाचार पत्र तथा "रेडियो नेपाल", "रेडियो टेलिविजन" तथा "National News Committee" सरकार नियंत्रित है। 1990 के बाद निजी क्षेत्र के "कान्तिपुर" तथा "काठमान्डु पोस्ट" जैसे समाचार पत्र सरकारी समाचार पत्रों के सामने चुनौती के रूप में उभरे है। जुलाई 2001 में नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रकार के मीडिया को समानता प्रदान करने हेतू प्रेस की स्वतंत्रता को निश्चितता प्रदान किया है। नेपाल में मीडिया के क्षेत्र में निजी तथा सरकारी क्षेत्रों को बराबर स्वतंत्रता देने के बावजूद वहां पर निजी क्षेत्र को Public Offences and Punishment Act 1962 के तहत परेशान किया जाता रहता है।[41]

1962 के Public Offence and Punishment Act के तहतः बन्द निजी पत्र उदाहरणस्वरूप 1967 में गोविन्द वियोगी और गनेश बल्लव संचालित पत्र "मातृभूमि" और अन्य पांच पत्रों पर बिना कारण वहा के मुख्य जिला अधिकारी (सीडीओ) ने प्रतिबंध लगा दिया था। अर्थात् निजी क्षेत्र के मीडिया स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में असफल रहा है। पंचायत शासन के दौरान मीडिया का कार्य सिर्फ नरेश के प्रति सम्मान भावना को बढाना तथा "दलविहीन प्रजातांत्रिक व्यवस्था" के गुणों को जनसंख्या के सामने लाना था। उदाहरणस्वरूप राजघराने के सचिवालय के द्वारा सशक्त नियंत्रण में कार्यालयीय समाचार प्रकाशित करने के लिए 1962 में राष्ट्रीय समाचार संस्था, राष्ट्रीय समाचार समिति के 120 पत्रकारों को गिरफतार किया गया था।[42]

---

[41] D'Souza, Frances, *et al*, n. 6, p. 207.
[42] Ibid.

यह बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि मीडिया क्षेत्र में 1979 के जनमत संग्रह के बाद तथा 1990 के बाद मीडिया क्षेत्र में आए बदलाव में कितना अन्तर है। जबकि 1980 के दशक में समाचार पत्रों की संख्या ज्यादा हो गयी थी लेकिन 1990 के बाद संख्या के साथ ही इस क्षेत्र में पैसा भी ज्यादा लगाया जा रहा है। 1980 के दशक के एक व्यक्ति के ही संपादक और प्रकाशक होने के स्वरूप में 1990 के दशक में बदलाव आया है। इस बदलाव के कारण संपादक के साथ दूसरा व्यक्ति या समूह प्रकाशक होता है। 1980 के दशक में मीडिया क्षेत्र में फोटो ग्राफ और कम्प्यूटर, इन्टरव्यू और अलग–अलग भागों में समाचार छापने का बदलाव दिखायी पड़ा था जबकि 1990 के दशक में प्रकाशन संस्थाओं में पेशेवर पत्रकार, संपादक, लेख, प्रचार करने की शुरूआत हुआ है। इतना ही नहीं वहां पर भारत की तरह ही पत्रिकाओं के मुख्य पेज को रंगीन करके प्रकाशित करने की शुरूआत हुई हैं जो कम से कम काठमाण्डु में जरूर ही दिखाई देता है।[43]

1990 के बाद नेपाल में मीडिया के क्षेत्र में आए बदलाव के फलस्वरूप प्रेस वहां पर शक्ति के रूप में उभरी है। समाचार पत्रों के संख्या इस दौरान बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा है। नेपाल प्रेस परिषद के एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में 10 दैनिक समाचार पत्रों की विक्री लगभग 250,000 प्रतिदिन के बराबर है। कम्प्यूटर आधारित लेकिन खर्चीली प्रिटिंग तकनीक प्रकाशकों को प्रोत्साहन की भुमिका निभाते हुए छोटे समाचार पत्रों के संपादकों को आगे आने के लिए प्रेरित करता रहा है। रंगीन तकनीक ने भी प्रेस के क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। साथ ही साक्षरता दर में वृद्धि होने के फलस्वरूप लगभग 23 लाख नये लोग समाचार पत्र का उपयोग कर रहे है। इससे नेपाल मे समाचार पत्रों की मांग में दिन–ब–दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जबकि यातायात के क्षेत्र में भी शुरूवाती दौर की तुलना में काफी अच्छा हो गया है जिससे वहां पर पत्रों के आवागमन में सुगमता हुआ है।[44]

---

[43] Kharel, P, n. 32, p. 12-13.
[44] Onta, Pratyush, n. 9, p. 253-54.

ऑडित ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की रिपोर्ट के अनुसार 1992 में नेपाल में कोई भी ऐसा समाचार पत्र नहीं था जो 5000 से ऊपर पत्रों को वितरण (विक्री) कर रहे हो। इसमे से सिर्फ 20 ही 2000 से ऊपर थे 26 ऐसे थे जो 1000 से ऊपर वितरित करते थे। साप्ताहिकों में 8 ऐसे थे जो 10000 या ऊपर थे आठ अन्य 5000 और 10000 के बीच, 34 ऐसे थे जो 1000 से 5000 के बीच और 98 तो 1000 के अंदर ही वितरण करते थे। जबकि दो ही साप्ताहिक और मासिक पत्र 150000 से ऊपर वितरण करते थे। जबकि "गोरखा पत्र" को एक सर्वेक्षण के आधार पर प्रथम स्थान प्रदान किया गया था।[45] 1990 के बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना के बाद भी सरकार नियंत्रित पत्रों "गोरखापत्र" और "दि राइजिंग नेपाल" का प्रकाशन जारी रहा। इनके महत्व में धीरे–धीरे कमी दिखने लगी क्योकि इसे आठ निजी क्षेत्र के पत्रों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ी रही है जिसमें पांच नेपाली में और तीन अंग्रेजी समाचार पत्र है। 1993 में नेपाली प्रिन्ट मीडिया के क्षेत्र में दो निजी क्षेत्र के समाचार पत्रों का प्रारम्भ हुआ जो "कान्तीपुर" (नेपाली), और "काठमाण्डु पोस्ट" (अंग्रेजी) है। 2001 के अंत तक कान्तीपुर समाचार पत्र का वितरण लगभग 70,000 हो गया था जबकि इसके प्रतिद्वन्द्वी पत्रों, "हिमालया टाइम्स", "नेपाल समाचार पत्र", "स्पेसटाइम दैनिक", "राजधानी", "स्पेसटाइम टुडे" का वितरण 7000 से 50000 के बीच ही सीमित थी।[46]

नेपाल में सरकार नियंत्रित या संचालित मीडिया के निजीकरण पर भी विचार विमर्श चलता रहता है। क्योंकि इन सरकारी मीडिया का दुरूपयोग राजनीतिक दलों द्वारा अपने हित में किया जाता है। चुनाव के समय तथा कार्यकाल के दौरान हुई गलतियों को छिपाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा मीडिया का प्रयोग किया जाता है। "गोरखा पत्र निगम" के निजीकरण का विचार समय समय पर जनता के सामने लाया जाता है क्योंकि सरकारी मीडिया और विदेशी मीडिया का मुकाबला करने में निजी मीडिया समर्थ नहीं होते है जिससे विदेशी निवेश को मीडिया क्षेत्र में न होने देने के

[45] Adhikari, DH, n. 1, pp. 598 – 99.
[46] Onta, Pratyush, n. 9, p. 253.

लिए जोर दिया जाता रहता है तथा साथ ही सरकारी मीडिया का निजीकरण करने का भी।[47]

नेपाली प्रिन्ट मीडिया की क्षेत्रीय स्थिति

काठमाण्डु केन्द्रित मीडिया के स्वरूप में महत्वपूर्ण ढंग से बदलाव आया है क्योंकि इसका क्षेत्र अब वास्तव में 'वाचडाग' की हो गयी है। इसका कारण राष्ट्र के हर क्षेत्र में मीडिया का पहुंचना रहा है। मीडिया के बढ़ते क्षेत्र और प्रभाव के कारण राजनीतिक दल, संसद, राज्य और न्यायपालिका के उत्तरदायित्व में बढोत्तरी हुई है क्योंकि ये प्रजातांत्रिक शासन के अंग के रूप में कार्य करते है और साथ ही मीडिया के माध्यम से जनता संवेदनशील मुद्दों पर सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। प्रजातंत्र की स्थापना (1990) के बाद नेपाली मीडिया काफी हद तक स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है और साथ ही यह अपने क्षेत्र का विस्तार करने में लगी हुई है। लेकिन आज भी मीडिया क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक समस्या का सम्मान कर रही है। 1990 के बाद मीडिया क्षेत्र में विस्तार को विभिन्न रिपोर्टों और सर्वेक्षणों ने दिखाया है।[48]

नेपाल में करनाली एक ऐसा अंचल था जहां 1999 तक एक भी समाचार पत्र नहीं था जबकि इस अंचल के काली कोट जिले में एक समाचार का पंजीकरण अब हुआ है। 22 जिलों में एक भी समाचार पत्र नहीं है इसमें अधिकतर जिले पिछडे पहाडी क्षेत्रों में है जैसे भोजपुर, सोलोखुम्बु, डोलखा, रामेछाप, रसुवा, मनांग, मुस्तांग, रूकुम, रोल्पा, साल्यान, प्युथान, दैलेख, जाजारकोट डोल्पा, जुमक्ता, मुगु, हुमला, बाझंग, बाजुरा, अछम और बैतादी। जबकि तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु एक ऐसा जिला है जहां एक भी पंजीकृत पत्र नहीं है।[49]

---

[47] Kharel, P, n. 32, p. 52.

[48] Ibid.

[49] P. Kharel, n. 32, pp. 12-13.

Table-3.1: Zonal Distribution of News Papers in Nepal in 1989-90

Region	Daily	Bi-weekly	Weekly	Fortnightly	Total
Eastern Region	10	--	52	8	70
Mechi	1	--	13	--	14
Koshi	7	--	35	7	49
Sagarmatha	2	--	4	1	7
Central Region	44	--	270	34	348
Janakpur	2	--	26	9	37
Bagmati	42	--	226	25	293
Narayani	--	--	18	--	18
Western Region	6	--	27	4	37
Gandaki	2	--	15	1	18
Lumbini	4	--	11	2	17
Dhawalagiri	--	1	--	1	2
Mid-western Region	2	1	14	2	19
Rapti	--	--	3	--	3
Bheri	2	1	10	2	15
Far-western Region	--	--	7	--	7
Seti	--	--	5	--	5
Mahakali	--	--	2	--	2
Total	124	3	738	96	961

Source: Press Council Annual Report, Kathmandu: Nepal 1989-1990.

Table- 3.2: Zonal Distribution of News Papers in Nepal in 1999-2000

Region	Daily	Bi-weekly	Weekly	Fortnightly	Total
Eastern Region	53	2	158	29	242
Mechi	5	1	43	5	54
Koshi	33	--	79	19	131
Sagarmatha	15	1	36	5	57
Central Region	130	2	762	171	1065
Janakpur	12	--	74	19	105
Bagmati	113	2	583	128	826
Narayani	5	--	105	24	134
Western Region	25	1	91	18	135
Gandaki	9	--	46	13	68
Lumbini	15	1	36	5	57
Dhawalagiri	1	--	9	--	10
Mid-western Region	6	2	51	1	60
Rapti	1	--	10	--	11
Bheri	5	2	40	1	48
Karnali	--	--	1	--	1
Far-western Region	5	3	26	--	34
Seti	1	1	10	--	12
Mahakali	4	2	16	--	22
Total	219	10	1088	219	1538

Source: Press Council Annual Report, Kathmandu: Nepal 1999-2000.

समाचार पत्रों के केन्द्रीकरण को क्षेत्रीय और जोन स्तर पर देखने पर 1990 से 2000 के बीच कोई खास परिवर्तन नहीं दिखता क्योंकि केन्द्रीय विकास शक्ति क्षेत्र (ईडीआर) 1990 और 2000 दोनों समय में समाचार पत्रों के केन्द्रीकरण में सबसे आगे है। बागमती अंचल सबसे ज्यादा केन्द्रीकृत समाचार पत्र उपभोक्ता हैं जबकि पूर्वी विकासशील क्षेत्र दूसरा बड़ा समाचार पत्र केन्द्रीकृत क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अन्दर ही कोसी जोन सबसे बड़ा केन्द्रीकृत अंचल है। जबकि पश्चिमी विकासशील क्षेत्र अपने लुम्बिनी अंचल के महत्वपूर्ण योगदान के चलते अन्य क्षेत्रों से आगे है। जबकि मध्य पश्चिमी और सीमावर्ती पश्चिमी विकासशील क्षेत्र इन सबके तुलना में काफी पिछड़े है।[50]

Table No. 3.3: Daily News Papers in Nepal from 1990 to 1994

Regions	Periodicity		Language					Total	%
	Daily	Weekly	Nepali	English	Newari	Hindi	Bhojpuri		
Mountain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hills	1	26	27	-	-	-	-	27	8.7
Tarai	22	141	160	-	-	2	1	163	52.58
Kathmandu vally	23	97	102	11	5	2	-	320	38.71
Total	46	264	289	11	5	4	1	310	
%	14.84	85.16	93.23	3.55	1.61	1.29	0.32		100.00

Source: Dept. of Information, List of Newspapers Published from Nepal, Kathmandu Based Foreign Representatives and Others Details 1994[51]

टेबुल 3.3 के अनुसार 1994 तक पर्वतीय क्षेत्र में एक भी पत्र किसी भी भाषा में प्रकाशित नहीं होता था। जबकि पहाड़ी क्षेत्र में 27 पत्र प्रकाशित हो रहे थे। जिसमें एक दैनिक और 26 सप्ताहिक पत्र थे ये सभी पत्र नेपाली भाषा में प्रकाशित होते थे। काठमाण्डु घाटी में कुल 320 पत्र प्रकाशित होते थे। जिसमें 23 दैनिक और 97 साप्ताहिक पत्र थे। इसमें से 102 पत्र नेपाली में, 11 अंग्रेजी में, 5 नेवारी में, 2 हिन्दी में प्रकाशित होते थे। तराई क्षेत्र में 163 पत्र निकलता था इससे भी 22 दैनिक और 141 साप्ताहिक पत्र था। जिसमें 160 तो नेपाली में और 2 हिन्दी, 1 भोजपुरी भाषा में

[50] ibid, pp.29-32.
[51] "Media in South Asia", n. 18.

प्रकाशित हो रहा था। कुल पत्रों पर विचार किया जाए तो 46 पत्र दैनिक थे और 264 साप्ताहिक अर्थात् कुल 310 पत्र ही 1994 तक प्रकाशित हो रहे थे। इसमें भी नेपाली भाषा में ही 289 पत्र निकालता था। अन्य भाषा में अंग्रेजी में सिर्फ काठमाण्डु घाटी में ही 11 पत्र निकलता था और नेवारी में भी यही से 5 पत्र निकलता था। हिन्दी में तो काठमाण्डु घाटी से 2 और तराई क्षेत्र 2 निकलता था। लेकिन भोजपुरी सिर्फ तराई क्षेत्र से एक निकलता था।

Table No.3.4: **News Papers in Nepal in 2002**

Periodcity	Numbers	Language	Numbers
Daily	194	1. Nepali	2038
Biweekly	9	2. English	271
Weekly	1018	3. Nepali and English	420
Bi monthly	213	4. Hindi	11
Monthly	784	5. Newari	16
Bi monthly	202	6. Maithali	5
Qurterly	338	7. Bhojpuri	2
Fourth-monthly	17	8.Sanskrit	2
Bi-annually	48	9.Urdu	1
Annually	48	10.Tibbati	1
Total	2871	11.Tharu	2
		12. Others Language	2
		Total	2871

Source: Kashi Raj Dahal, Aam Sanchar Ra Kanoon (in Nepali) (Kathmandu: Nepal Press Institute, 2002.[52]

Table No. 3.5: **News Papers in Nepal in 2004**

Periodicity	Number
Daily	264
Bi-Weekly	19
Weekly	1300
Fortnightly	258
Monthly	1104
Bi-monthly	257
Quarterly	387
Four-monthly	20
Half-Yearly	57
Annual	67
Total	3723

Source: Awasthi, G.R. and Nirjala Kakshapati, "Breif Scenario of the Himalayan Kingdom of Nepal", Unpublished Report, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi, 2004, p. 15.

[52] Dahal, Kashi Raj, n. 24, pp. 158 – 159.

जब इन टेबुलो (टेबुल 3.4 और 3.5) की तुलना करते है तो दिखता है कि 1994 से 2002 और 2002 का 2004 से तुलना करते है तो के बीच बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। जहां 1994 में 46 दैनिक पत्र निकलते थे वहीं 2002 में 194 और 2004 में यह 264 हो गया है। साप्ताहिक पत्रों में ज्यादा अंतर दिखायी पड़ता है 1994 में यह सिर्फ 264 था यहीं 2002 में 1018 और 2004 में यह 1300 हो गया है। यदि टेबुल दो का टेबुल तीन से तुलना करें तो मिलता है कि इन दो वर्षों में अर्थात्, 2002 से 2004 के बीच अर्द्ध साप्ताहिक पत्रों की संख्या 9 से 19 हो गयी है और अर्द्ध मासिक पत्रों की संख्या 213 से 257 हो गयी है। त्रैमासिक पत्रों की संख्या 338 से 387 हो गयी है चर्तुमासिक पत्रों की संख्या भी 17 से बढ़कर 20 हो गयी है। अर्द्ध वार्षिक 48 पत्र की जगह 2004 में 57 पत्र प्रकाशित हो रहे थे तो वार्षिक 48 पत्र की जगह भी 67 पत्र प्रकाशित हो रहे थे। अर्थात् पत्रों की संख्या में इस दौरान बड़े स्तर पर परिवर्तन आया है।

Table No. 3.6: **News Papers in Nepal from 1980 to 1998**

	1980	1985	1990	1995	1996	1997	1998
No. of Dailies	23 (28)	34 (28)	26 (28)	30 (28)	- (29	30 -	29 -
Total Circulation	149,000 (120,000)	182,000 (130,000)	173,000 (150,000)	189,000 (160,000)	- (250,000)	260,000 -	260,000 -
Circulation per 100 Inhabitants	0.99 (0.8)	1.09 (0.8)	0.93 (0.8)	0.95 (0.7)	- (1.1)	1.3 -	1.3 -

Source: Nepal Institute Survey, 1999 (Figure's in Parentheses are estimates given by Unesco, 1999)

यदि दैनिक पत्रों के बढत को क्रमिक रूप में देखा जाए तो नेपाल प्रेस संस्था और युनेस्को की रिपोर्ट ये ज्यादा अंतर नहीं है। यह टेबुल अध्याय दो में वर्णित टेबुल नम्बर 2.2 का ही विस्तृत व्याख्या है। अर्थात इसमें 1980 से लेकर 1990 तक का वर्णन तो किया ही गया है साथ ही 1990 के बाद से 1998 तक नेपाल में दैनिक पत्र के विकास का तुलनात्मक वर्णन भी किया गया है। उपरोक्त टेबुल 3.6 के अनुसार नेपाल संस्था सर्वेक्षण 1999 में 1980 तक नेपाल में 23 दैनिक पत्र निकलते थे और 1985 में 34, 1990 में 26, 1995 में 30, 1997 में 30 और 1998 में 29 था वहीं युनेस्को की

रिपोर्ट के अनुसार 1980 से लेकर 1990 तक दैनिक पत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया। 1996 में 28 दैनिक पत्रों की जगह 29 पत्र निकलने लगा था। दैनिक पत्रों के वितरण पर भी दोनो रिपोर्टो में ज्यादा अंतर नहीं है। नेपाल संस्था सर्वेक्षण के अनुसार 1980 में देश में 149,000 पत्र, 1985 में 182,000, 1990 में 173,000, 1995 में 18900, 1997 में 260,000 और 1998 में 260,000 पत्र वितरित किए जा रहे थे जबकि युनेस्को के अनुसार 1980 में यह 120000, 1985 में 130000, 1990 में 150000, 1995 में 160000 और 1996 में 25000 पत्र वितरित किए जा रहे थे। अर्थात् दोनों रिपोर्ट कुछ उतार चढ़ाव के साथ वितरण में बढत दिखाते है। उपरोक्त टेबुल नम्बर 3.6 में प्रति 100 व्यक्ति पत्रों के वितरण के बारे में बताया गया है। नेपाल प्रेस संस्था का सर्वेक्षण बताता है कि प्रति 100 व्यक्ति 1980 में 0.99, 1985 में 1.09, 1990 में 0.93, 1995 में 0.95, 1997 में 1.3 और 1998 में 1.3 ही उपभोक्ता थे वहीं युनेस्को बताता है कि यह दर 1980 से 1990 तक 0.8 था तो 1995 में यह घटकर 0.7 हो गया और फिर 1996 में बढ़कर यह 1.1 हो गया है। अर्थात् आधारभूत बात सामने यह आती है कि दैनिक पत्रों की उपलब्धता नेपाली राष्ट्र में बहुत निम्न है।

1990 के बाद नेपाल में मीडिया के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से विकास हुआ। वर्तमान समय में 2002 तक पत्रिका प्रकाशन के क्षेत्र में तीव्रता दिखाई दिया है। हुम्ला, जाजरकोट, डोती, पांचथर, तेहथुज, जैसे दुर्गम क्षेत्रीय जिलों में पत्र पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हो गया है। बाग्लुंग, कन्चनपुर जैसे जिलों में दैनिक समाचार का प्रकाशन प्रारंभ किया गया है। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की प्रक्रिया में भी सरलता आयी है। सभी प्रकाशन नियमित ढंग से पत्रिका छाप रहे हैं।

नेपाल में माओवाद और प्रिन्ट मीडिया

यद्यपि 1990 में प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना किया गया था, लेकिन देश में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन मुख्यतः सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में नहीं किया गया था।

अर्द्ध उपनिवेशी और अर्द्ध सामंती देश की व्यवस्था के क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया था। सामान्य जनता की स्थिति मुख्यतः औरतों, जनजातीय लोगो की, दलितों की शोषित लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लिंग विभेद बरकरार रखा गया। पिछड़े क्षेत्रों तथा तराई के लोगों के विकास को किनारे लगा दिया गया था। इन अंतर्विरोधों के चलते ही सीपीएन (माओवादी) ने मौलिक परिवर्तन के लिए आकर्षक नारों के साथ एक आन्दोलन प्रारंभ कर दिया था। शासक इसके बादजुद विरोधियों को दबाने के लिए आगे आये न कि राजनीतिक ढंग से सामाजिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने के विषय में सोचे थे। इसके फलस्वरूप एक बहुत गरीब देश नेपाल हथियारों का बाजार बन गया। राज्य खुले रूप से बाहर से हथियार, प्रशिक्षण और समर्थन प्राप्त करने लगा। विद्रोही भी हथियारों को अपने पास रखने लगे जिसको वे बैंकों को तथा जनता को लुट कर प्राप्त धन से खरीदते थे। नेपाल में असफल राज्य की अवधारणा के पीछे हटने के लिए एक बड़े स्तर पर वार्ता करने की जरूरत है।[53]

माओवादी आन्दोलन का नेपाल में साम्यवादी आंदोलन के संदर्भ में ही देखा जा सकता है जबकि यह 1950–51 में राणा विरोधी गतिविधि में भाग लेने के लिए 1949 में सामने आया था। 1959 में एक नये संविधान के तहत (जो संवैधानिक राजतंत्रीय प्रजातंत्र था) चुनाव में साम्यवादी दल बहुत ही कमजोर और विखरी हुई नजर आयी। 1970 के दशक के साम्यवादी दल के उग्र पक्ष के रूप में नेपाली साम्यवादी दल (मार्क्सवादी लेनिनवादी) का उदय हुआ जो सामंतवादी विरोधी गतिविधि संचालित कर रही थी। इस दल के भीतर भी नये युवा, शिक्षित कार्यकर्ताओं के आगमन के साथ ही एक नये माओवादी विचार धारा का उदय हुआ। 1989–90 के आन्दोलन में इन लोगों ने एक अद्वितीय एकता दिखायी। लेकिन ये संयुक्त वाम मोर्चा के साथ समझौता नहीं कर उग्रवाद पक्षीय दलों के साथ रहे। इन्होंने अपनी गतिविधि संयुक्त राष्ट्रीय जन

---

[53] Shrestha, Hiranya Lal, "Mission of Journalism: Democracy and Peace", September 14, 2004, Paper Presented a Seminar organised by the Editor' Society of Nepal in cooperation with FES Nepal on "Democracy, Conflict and Press Freedom", March 28th 2001, Kathmandu, Nepal, pp.1-2.

आंदोलन (यूएनपीएम) के तहत अपने को एकत्रित कर आन्दोलन में भाग लिया। 1990 में आंदोलन की समाप्ति और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के मुद्दे पर इनके अंदर भी गतिरोध पैदा हो गया। जिसके कारण संयुक्त राष्ट्रीय जन आन्दोलन (यूएनपीएम) दो भागों में बंट गया। एक का नेतृत्व निर्मल लामा और निरंजन गोविन्द वैद्य और दूसरे का डा. बाबु राम भटटराई और पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड कर रहे थे। डा. भट्टाराई और प्रचण्ड ही माओवादी आन्दोलन का नेपाल में नेतृत्व कर रहा है। 1995 में इस दल का नाम नेपाली साम्यवादी दल (माओवादी) रखा गया। और ये भूमिगत होकर अपनी गतिविधियां संचालित करने लगे। जबकि 1996 में माओवादियों ने अपनी 40 मांगों को लेकर जन आन्दोलन चलाया और तब से लेकर आज तक यह नेपाली जनता, सरकार और अतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनौती बनी हुई है।[54]

1996 में बाबुराम भटटराई एवं प्रचंडा ने एकजुट होकर 4 फरवरी 1996 को देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के सामने 40 मांगे प्रस्तुत किए। विचारधारात्मक रूप से माओवादियों ने एक नवीन लोकतंत्र को ग्रहण किया। इस नवीन लोकतंत्र का आधार पर तीन क्षेत्रों से जुड़ी थी – राष्ट्रवाद, जनता की भलाई एवं जनता के जीवन स्तर में सुधार।[55] काठमान्डू स्थित मानवाधिकार संगठन के महासचिव शुभांकर बुद्धाथोकी के अनुसार इन माओवादी आन्दोलन के कारण सन् 1996 से सन् 2003 तक राष्ट्र में 7000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जिसमे बहुत अधिक संख्या में पत्रकार भी थे।[56] इस तरह वहां पर माओवादियों द्वारा तथा नरेश द्वारा निरन्तर मीडिया तंत्र के खिलाफ कदम उठाया जाता रहा है। मीडिया बीच में संतुलन की स्थिति स्थापित करने के लिए निरन्तर संघर्षशील है। जिससे प्रजातंत्र में सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से क्रियाशील रह सकें।[57]

---

[54] Muni, S. D, *Maoist Insurgency in Nepal: The Challenges and the Response* (New Delhi: Rupa Publishers and Observer Research Foundation, 2003), pp. 1-7.
[55] Ibid.
[56] Sudhakar, Budhathoki, "Conflict: Human Rights and Derailed Peace Process in Nepal", *Journal of Peace Studies*, vol.10, no. 3, July-September 2003, p. 77.
[57] Onta, Pratyush, n. 9, p. 264.

यह माओवादी आन्दोलन देश में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, अराजकता, शोषण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर उठाया गया। इसको मुद्दा बनाकर 1996 से आज तक माओवादी आन्दोलन एक बहुत बड़े ताकतवर शक्ति के रूप में नेपाल क्या पूरे दक्षिण एशिया के सामने उभरा है। इनकी 40 भागों में कुछ मुख्य मांगे निम्न भी जिनको तीन उपशीर्षकों में बांटा गया था।[58]

(क) राष्ट्रवाद से संबंधित मांगेः इसमें भारत नेपाल 1950 के समझौते की पुनसर्मीक्षा,, भारत–नेपाल सीमा व्यवस्थित करना; महात्वाकांक्षी समझौता गोरखाओ का सेना मे भर्ती संबंधी प्रावधान, विदेशी पूंजी की आधिपत्य समाप्ति जैसी मुद्दों सम्मिलित थे।

(ख) लोक कल्याण से संबंधित मांगेः इसके अंतर्गत जन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संविधान निर्माण, नरेश के विशेषाधिकार की समाप्ति, सेना, पुलिस और प्रशासन पर जनता का नियंत्रण, सुरक्षा अधिनियम और अन्य दमात्मक नियमों को समाप्त करना, जैसी बातें सम्मिलित थी।

(ग) जनता के जीवनयापन से संबंधित मांगेः इसके अंतर्गत सामंतवाद की समाप्ति औद्योगिक क्षेत्र में दलालों का हस्तक्षेप रोकर जनता की भागीदारी, काम का अधिकार उद्योग और कृषि मजदूरी का एक निश्चित मापदण्ड, बाढ़ और सुखे प्रभावित क्षेत्रों को मदद, वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने जैसे 14 मुद्दे सम्मिलित किए गए थे।

1996 के बाद से माओवादी अपने जनमुक्ति सेना के माध्यम से आन्दोलन संचालित करते हुए अपना आधार नेपाल में मजबूत बना लिए है। इसके आर्थिक और सैनिक सहयोग वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों द्वारा किया जा रहा है। 2002 तक लगभग इस सेना में 5000 से 8000 के बीच सदस्य थे।[59]

नेपाल में 1996 से संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं मानवाधिकारों का काफी हनन हुआ है। जिसके अंतर्गत पुलिस द्वारा बिना वारन्ट के किसी भी व्यक्ति को गिरफतार किया जाना, अमानवीय यातना देना, बलात्कार पुलिस

---

[58] Muni, S. D. n.54, pp.82-86.
[59] ibid, p. 27- 28.

मुठभेड में निर्दोष लोगों को मारना, अन्यायिक अत्याचार करना देश में आए दिन की बात हो गई है। पाटिल ने अपनी पुस्तक "दक्षिण एशिया में मानवाधिकार का विकास"(Human Rights Development in South Asia) में ऐसे कई पुलिस मुकद्मों का वर्णन किया है जिनके द्वारा देश में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। उन्होंने लिखा है कि पुलिस कर्मचारी जनता को यह कह कर डराते है कि यदि हम माओवादियों के नाम पर कत्ल करते है तो वह कत्ल उनकी पदोन्नति कर देगा।[60]

1996 से नेपाल हिंसक घटनाओं के लिए नियमित रूप से विश्व के मीडिया क्षेत्र के समाचार में बना हुआ हैं। नेपाल कम्यूनिस्ट दल (माओवादी) हथियार के माध्यम से संवैधानिक राजतंत्र और बहुदलीय प्रजातंत्र की जगह साम्यवादी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहते है। 1996 के बाद से लगभग 10000 व्यक्ति मारे जा चुके है जिसमें सामान्य नागरिक, सुरक्षा शक्ति से संबंधित व्यक्ति, और माओवादी गुरिल्ला सम्मिलित है। जबकि हजारों लोग बेघर हो गए है और कुछ लोग भारत के राज्यों में या नेपाली शहरों में जाकर बस गए है। सैकड़ो बच्चे प्रभावित हुए है यदि अगले 10–15 सालों तक हिंसक दौर चलता रहा तो वहां पर जनसंख्या का एक बड़ा भाग बेघर और अयोग्य हो जाएगा।[61]

नेपाल में आपातकाल और प्रिन्ट मीडिया

1989 में जन आन्दोलन के दौरान नरेश ने देश में आपातकाल लगा दिया था। जबकि कई विदेशी साप्ताहिक पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिसमें, "टाईम" "न्यूज वीक" और "एशिया वीक" सम्मिलित थे। जबकि नरेश ने इस दौरान आन्दोलनकारियों का निर्दयता पूर्वक दमन करते हुए इस आन्दोलन को दबाने का प्रयास किया। 1989 के जन आन्दोलन के समय समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया

---

[60] Patil, VT, *Human Rights: Development in South Asia* (New Delhi: Author's Press, 2003) p. 253.
[61] "Media and Reconciliation in South Asia", *South Asia Free Media Association Conference –IV Report* (Lahore) November 20-21, 2004, p.51.

गया। इस दौरान कुछ समाचार पत्रों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। साथ ही पत्रकारों को गिरफ्तार कर उन्हें आर्थिक और शारीरिक रूप से दण्डित किया गया था।[62]

पंचायती व्यवस्था को समाप्त कर बहुदलीय संवैधानिक प्रजातंत्र के लिए चलाए जा रहे आन्दोलन को नरेश निरंकुशतापूर्वक दमन किया। लेकिन आन्दोलनकारियों की विजय हुई और 1990 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। और जनता को मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता निश्चित किया गया। लेकिन इस स्वतंत्राओं पर भी नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता का गहरा प्रभाव पड़ा। साथ ही 1996 में माओवादी आन्दोलन एक मुख्य चुनौती के रूप में सामने आयी। माओवादियों और सरकार के बीच चल रहे हिंसक दौर में दोनों ने एक सकारात्मक कदम उठाते हुए बन्दुक का प्रयोग न करने संबंधित समझौता किया था जो 2001 के मध्य से समाप्त हो गया। नरेश ने कहा कि राष्ट्र मे हिंसा का दौर फिर शुरू हो गया है इसलिए उन्होंने 23 नवम्बर 2001 को 1990 के संविधान के अनु. 115(1) के अंतर्गत आपातकाल लगा दिया।[63] इस दौरान नरेश ने जनता के मौलिक अधिकारों को रद्द कर दिया। मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 180 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्थात् मानवाधिकारों का बहुत बड़े स्तर पर दकन किया गया। यह आपातकाल अगस्त 2002 में समाप्त कर संवैधानिक स्वतंत्रतायें नागरिकों को वापस कर दिया गया।[64]

तत्पश्चात 4 अक्टुबर 2002 को नरेश ने पुनः आपातकाल लागु कर दिया उन्होंने कहा कि नेपाली सरकार चुनाव कराने में असफल है तथा यह माओवादी आन्दोलन को दबाने में असफल है जिससे देश में आपातकाल लगाना देश की सम्प्रभुता, राष्ट्रीय अस्मिता के लिए बहुत जरूरी है। इस दौरान सभी मानवाधिकारों पर प्रतिबंध लगा

---

[62] D'Souza, Frances, *et al*, n. 6, p. 207.
[63] Pradhan, Keshav, " State of Emergency Declared in Nepal", *The Hindustan Times*, November 20, 2002.
[64] Bhattarai,Vinod, in Report of Netional Workshop on Media, Democracy and Human Rights in Nepal orgnised by SAFHR, FORAM-Asia in associated with INSEC and FNJ, (Kathmandu: South Asia Forum for Human Rights, November, 21-22, 2003).

दिया गया। नरेश ने सत्ता अपने हाथों में ले लिया। इस समय नागरिको को विशेषतः प्रजातंत्र समर्थको और पत्रकारों का बहुत यातना दिया गया।[65]

इस आपातकाल के समाप्त होने के कुछ बाद 1 फरवरी 2005 को नरेश के देश में पुनः आपातकाल लगा दिया। इस दौरान उन्होंने संविधान को भंग कर समस्त शक्ति अपने हाथों में ले लिया। यह आपातकाल भी 145 (7) के तहत लगाया गया।[66] बीबीसी और भारतीय टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश के सभी मीडिया संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पत्रकारों, संपादकों, प्रकाशकों को गिरफ्तार कर लिया गया। अर्थात् देश में इस दौरान पत्र–भूमिका, रेडियो, टेलीविजन, इन्टरनेट इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया गया जो नेपाली प्रजातंत्र को समाप्त करने का नरेश द्वारा किया जाने वाला प्रयास है।[67]

3 फरवरी को राष्ट्रीय समाचार पत्र "गोरखा पत्र" में सरकारी सुचना के अनुसार यदि कोई पत्र नरेश के खिलाफ कोई खबर छापेगा तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। लेकिन नेपाली पत्रकार संघ के नेता तारा नाथ दाहाल ने नरेश के इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए उनका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी में प्रजातंत्र के खिलाफ उठाया गया यह कदम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके खिलाफ पत्रकार संघ निरंतर संघर्षरत रहते हुए प्रजातंत्र की स्थापना की मांग करेगा।[68] इस दौरान एमनेस्टी इन्टरनेशनल की महासचिव आइरीन खान ने माओवादियों को और नरेश को प्रजातंत्र के चुनौती बताते हुए, इस कदम की आलोचना किया है।[69]

---

[65] Mackinly , John and Upreti, Bishnu, "The King and Mao", *The World Today*, vol. 59, no. 2, p. 22.
[66] Special Coresspondent, "Pressure Nepal: Amnesty Urges Global Community", *The Hindu*, February 9, 2005.
[67] "100 Days of Tyranny in Nepal", Report of Asian Center for Human Rights, New Delhi, May 10, 2005 pp.11-14.
[68] Waren, Christopher,"Journalists'Fights for Democracy", *The Hindu*, February 4, 2005.
[69] Special Coresspondent, "Pressure Nepal: Amnesty Urges Global Community", *The Hindu*, February 28, 2005.

नेपाल में मीडिया के क्षेत्र में वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि प्रेस वहां पर प्रजातंत्र की कारण के लिए संतोषदायक भुमिका निभा रहा है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि, मीडिया संस्थाएं पूर्णतया प्रजातांत्रिक है। कठोरतम संरचनात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लचीलेपन के साथ व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए छूट का अर्थ यह नहीं है कि मीडिया जगत अब पूर्णतया स्वतंत्र हो गया है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में नेपाली मीडिया के पास एक उचित अवसर है कि वे जनहित के मुद्दों को उठाकर आगे बढें। वस्तुतः नेपाली मीडिया की संरचनात्मक व्यवस्था अंशतः उसे वॉचडाग की भूमिका प्रदान करता है। नेपाल में आधारभुत ढंग से मीडिया जनशक्ति के आधार पर सत्ता से संतुलन स्थापित करने का प्रयास नहीं कर रहा है। आंशिक रूप से मीडिया प्रजातांत्रिकरण में भूमिका निभा रहा है लेकिन साथ ही साथ नेपाल के तीनों अंगों से तथा व्यापार जगत से भी अपने संबंध को मजबूती प्रदान कर रहा है।

अध्याय 4

नेपाल में प्रिन्ट मीडिया और राजनीतिक विकासः चुनौतियाँ

प्रस्तावनाः

नेपाल में प्रजातांत्रिकरण में प्रिन्ट मीडिया आधारभूत संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। किसी राष्ट्र के प्रजातांत्रिकरण को हम उस राष्ट्र में प्रदत मीडिया की स्वतंत्रता के संदर्भ में समझ सकते है। प्रेम उप्रेती ने कहा है कि "मीडिया और प्रजातंत्र के बीच का संबंध मस्तिष्क और हृदय के बीच के संबंध के समान है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि प्रजातंत्र वहीं कार्य कर सकती है जहां पर मीडिया स्वतंत्र हो तो मीडिया वही कार्य कर सकती है जहां पर प्रजातांत्रिक वातावरण हो। मीडिया समाचार पत्र, टेलीविजन या रेडियो के माध्यम से सरकार की बुराईयों को उजालों में रखकर समाज को सुधार और विकास के लिए प्रेरित करता है।[1]

जबकि हरमन और चॉमस्की ने कहा है कि 'समूह मीडिया एक व्यवस्था के रूप में कार्य करते हुए संचार के माध्यम से सामान्य जन तक संदेशों और प्रतीकों को पहुंचाता है। यह अपने कार्य को करते हुए लोगों को खुश रखता है, मनोरंजन प्रदान करता है, सुचना प्रदान करता है तथा व्यक्तियों को मुल्यों, विश्वासों और व्यवहार के तरीकों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संरचना के अंतर्गत एक बड़े समाज के अन्दर एक दूसरे के अंतक्रिया करने में मदद करता है। नेपाल में प्रिन्ट मीडिया या तो राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए या फिर राजनीतिक संस्थानों के आवाज को जनता या समाज तक पहुंचाने के लिए कार्य करते हुए पक्षपातपूर्ण या गैर पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्यवाही करता है।

---

[1] Prem Uprety, "Media and Democracy", *The Weekly Telegraph*, Kathmandu, Wednesday, 10 December 2003.

नेपाली प्रिन्ट मीडिया शुरूआती दिनों से ही सरकारी मशीनरी द्वारा परेशान किए जाने वाले तथा दमनात्मक माहौल में विकसित हो रहा है। पंचायती शासन के दौरान संवैधानिक ढंग से प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1990 के संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्राताओं के फलस्वरूप नेपाल में प्रिन्ट मीडिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। यह सुधार भी जन आन्दोलन के दौरान प्रिन्ट मीडिया द्वारा निभाए गए भूमिका के कारण ही हुआ। प्रत्युश ओन्ता ने कहा है कि "1990 तक, जब नेपाल में नरेश द्वारा संचालित पंचायत व्यवस्था निर्णायक सांस ले रहा था, सर्वाधिक शक्तिशाली नेपाली मीडियाए रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन (NTV), दोनों राज्य नियंत्रित थे।"[2] जबकि ध्रुव हरी आधिकारी ने कहा है कि बिना प्रेस के प्रजातंत्र की कल्पना अंशोचनीय है। ऐसा इसलिए है क्योकि प्रजातंत्र जनता और उनके चुने हुए सरकार के बीच उचित संचार के संभव नहीं हो सकता है।[3]

सुभाकोर बुद्वाथोकी के अनुसार – "प्रत्येक राजव्यवस्था में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रजातंत्र के आधार के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इसको सार्वभौमिक रूप से प्रजातंत्र का आधार माना जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत सिर्फ बोलने, पढ़ने और लिखने के अधिकार को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी तरह के स्वतंत्रता को नागरिक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रदत स्वतंत्रता को सम्मिलित किया जाता है। जबकि इसको एक व्यक्ति द्वारा मीडिया के सामने अभिव्यक्ति के संदर्भ में भी और एक मीडिया से जुड़ें व्यक्ति और पत्रकार के अधिकार के संदर्भ में भी समझा जाता है। नेपाल में, सरकार कहती है कि वह प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए दृढ़संकल्प और प्रतिबद्व है। लेकिन यह बहुत अच्छी

---

[2] Pratyush Onta, "Critiquing the Media Boom", in Kanak Mani Dixit and Shastri Ramchandra, eds, *State of Nepal* (Lalitpur: Himal, 2002), p. 253

[3] Dhruba Hari Adhikary, "Media: Press, Power and Pressure", in DB Gurung, ed, *Nepal Tomorrow: Voices and Visions* (Kathmandu: Koselee Prakashan, 2003), p. 595

समझा जा सकता है कि वर्तमान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रदत सुरक्षा अपर्याप्त है।"[4]

1990 का नेपाल का संविधान, सिद्वान्ततः प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सम्मिलित करते हुए आधारभूत सभी प्रजातांत्रिक अधिकार नागरिकों को प्रदान करता है। जबकि व्यवहार में नेपाली पत्रकारों को स्वतंत्रापूर्वक पत्रकारिता करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और वे पुलिस और शासन व्यवस्था द्वारा दमनात्मक कार्यवाही के भागी बनते है।[5]

नेपाल में प्रजातांत्रिकरण 1990 से प्रारंभ न होकर पचास के दशक से प्रारंभ हुआ है। जबकि 1990 के दशक में जनता सरकार के प्रकृति मे तात्कालिक परिवर्तन लाने मे तथा राजा और माओवादीयों के गतिविधि के विरोध में जन आन्दोलन करती रही है। प्रजातांत्रिक संस्थाओं के विकास में शासन वर्ग द्वारा उसमे प्रदत स्वतंत्रता के अंतगर्त रहते हुए जनता द्वारा भागीदारी निभाना भी महत्वपूर्ण घटना रही है। जन आन्दोलन के बाद विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी वहां पर ध्यान दिया जा रहा है जिसके कारण शासन वर्ग द्वारा प्रजातांत्रिक संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया मुश्किल होता रहा है।

1990 के संविधान में प्रिन्ट मीडिया

जबकि, छोटे स्तर पर संचालित निजी क्षेत्र के पत्रो ने भी 1990 के प्रजातांत्रिक आन्दोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 1990 के आंदोलन के दौरान सिर्फ निजी क्षेत्र के पत्र ही जन आन्दोलन से संबंधित समाचार प्रकाशित करते थे और ये जनता और राजनीतिक दलों के बीच संचार के उचित साधन के रूप में कार्य कर रहे

---

[4] Shobhakar Budhathoki, "Status of Freedom of Expression in Nepal: Prospects and Challenges", Free Expression, December 2000, Center for Human Rights and Democratic Studies (CEHURDES), Kathmandu, see http://www.cehurdes.org.np/pub_dec_12.htm

[5] Kiran Subba, "Media in Nepal: In the Grips of Politics: Independent Journalism, on whose term", *Media Forum*, Stockholm, March 7, 1999

थे। रेडियो टी.वी. और दैनिक समाचार पत्र जो सरकार संचालित थे सिर्फ आन्दोलन को दबाने के लिए ही समाचार प्रकाशित कर रहे थे। सरकार के आन्दोलन विरोधी अफवाहों के बावजूद निजी क्षेत्र के प्रेस के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण आन्दोलन 90 दिनों में ही सफलता प्राप्त कर लिया था। प्रेस के इस अपूर्ण उत्साह के कारण ही 90 के दशक में तानाशाह राजतंत्र से स्वतंत्रता के पश्चात प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान किया गया था। बहुत थोड़े ही समय में ही प्रेस वहां पर अपना नेटवर्क बढ़ाते हुए समाचार पत्रों का वितरण बहुत बड़े स्तर पर करने लगा।

जन आन्दोलन के दौरान निजी क्षेत्र के मीडिया की भी भूमिका की सच्चाई को स्वीकार किया गया। निजी क्षेत्र के मीडिया की भूमिका शासक अभिजन के लिए आंखे खोलने वाली रही। इसी कारण शासक वर्ग ने प्रेस के प्रत्येक भूमिका पर शक करते हुए अपनी व्यक्तिगत हित के लिए प्रेस को निशाना बनाते रहे है। प्रेस सिर्फ शासक वर्ग द्वारा ही समस्याओं का सामना नहीं कर रहा है। यदि यथार्थ धरातल पर रहकर देखा जाए तो प्रेस और जनता को प्राप्त स्वतंत्रता के विषय में यह दिखता है कि नेपाल मे "प्रिन्ट मीडिया उपलब्ध तो है लेकिन यह सिर्फ कुछ प्रभावशाली और शिक्षित व्यक्तियों तक सीमित है। यहां तक कि जो पढ़ सकते है और अध्ययन के लिए उचित सुविधाओं का प्रयोग कर सकते है उनके लिए भी वितरण और कीमत की समस्या मुख्य है। बहुत सारे लोगों के लिए छपी वस्तुएं सिर्फ सुखदायी वस्तु है। सभी समाचार पत्रों का प्रकाशन और वितरण शहरों में ही होता है और वे संपूर्ण जनसंख्या के एक संक्षिप्त भाग को ही प्रकाशित कर पाते है।[6]

नेपाली गंणतंत्र के 1990 के संविधान में प्रेस की सुरक्षा को आधारभूत अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है। संविधान के अनु. 3 के 11 से 23 के उपशाखा में इन अधिकारों को सम्मिलित किया गया है।[7] 1990 के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, जिसमें आंदोलन को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान किया गया है साथ ही साथ पत्रकारों की

---

[6] Byoma Tamrakar, "Mass Communication in Nepal", Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, December 5 1996, see http://www.valt.helsinki.fi/comm/student/report96/tamra.htm

[7] P. Kharel, ed, "*Media Nepal 2000*", (Kathmandu: Nepal Press Institute, 2000), p.74

स्वतंत्रता, बेमतलब के गिरफ्तार न किया जाना और तात्कालिक समय से पत्रकारों को कार्य करने में किसी भी तरह की बाधा न डालने की बात को सम्मिलित किया गया है।

1990 का संविधान प्रेस की स्वतंत्रता को पूरे दृढ़ता के साथ प्रदान करते हुए इसे लागू स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार को 1948 के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार चार्टर और 1978 के युनेस्को के मास मीडिया से संबंधित प्रावधानों के तहत ही लागू किया जाए। जबकि सरकार ने संविधान के लागू होने के बाद इन सांविधानिक अधिकारो के सुरक्षा के लिए विधान बनाने के क्षेत्र में अग्रसर नहीं हुए है। नेपाल में प्रजातंत्र स्थापना के दौरान उत्पन्न हुई प्रजातांत्रिक भावना का राजनीतिक दलों द्वारा सम्मान न कर पंचायती शासन की तरह ही कार्य करने पर जोर देते रहे। संविधान द्वारा प्रदत्त प्रेस स्वतंत्रता की उपयोगिता पर राजनीतिक इच्छा की कमी और प्रशासन पर ज्यादा निर्भरता के कारण प्रतिबंध या नियंत्रण लगाया जाता रहता है।[8]

संसदात्मक प्रजातंत्र, मानवाधिकारों के लिए तथा विधि के शासन के लिए जन आन्दोलन की सफलता के बाद 6 नवम्बर 1990 को नया संविधान बनाया गया था जो प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के लिए एक नये युग के समान सिद्ध हुआ। संविधान के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के संदर्भ में 1992 में नया प्रेस और प्रकाशन अधिनियम बनाया गया जो पूर्व के सभी अधिनियमों के नियंत्रणकारी या प्रतिबंधात्मक नियमों को समाप्त करता है। 17 नवम्बर 1992 को एक नई संचार नीति की घोषणा किया गया। 1992 का प्रेस परिषद अधिनियम के माध्यम से प्रेस परिषद की स्थापना कर प्रेस से संबंधित सभी विवादित मुद्दों को न्यायालय के बाहर रखते हुए इस अर्द्ध न्यायिक संस्था द्वारा हल किया जाना था।[9]

जबकि 1948 का अधिनियम एक भारतीय संवैधानिक विशेषज्ञ के सहयोग से आधुनिक प्रेस स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व की संकल्पना के आधार पर बनाया गया था।

---

[8] ibid, p.75

[9] P. Kharel, ed, "*Media Practices in Nepal*", (Kathmandu: Nepal Press Institute, 2001), p.129

यह अधिनियम नेपाली मीडिया के लिए एक बड़ी सफलता थी लेकिन राना सरकार द्वारा रियायत प्राप्त 8 पाक्षिक और मासिक पत्र ही प्रकाशित हो रहे थे। जबकि राज्य नियंत्रित सिर्फ गोरखा पत्र साप्ताहिक पत्र ही निकलता रहा। गोरखापत्र के बने सनद कोड की तुलना में 1947 का संवैधानिक प्रावधान और 1948 के प्रिटिंग और प्रकाशन अधिनियम ज्यादा विकासवादी था लेकिन ये मीडिया व्यवस्था के अंतर्गत पत्रकारिता व्यवसाय को और व्यवसायी पत्रकारो को बढावा देने में उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। इनके माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान किया गया न कि पत्रकारों और संपादको की स्वतंत्रता को स्थापित किया गया था।[10]

1951 से लेकर 1990 तक संवैधानिक प्रावधानो के होते हुए भी विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता को कुचला जाता रहा है। वैसे तो सभी संविधानों मे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था लेकिन व्यवहार में आज तक नेपाल में लोगो को अधिकार नहीं मिल पाए है। नेपाल के किसी भी संविधान में प्रत्यक्ष रूप से कभी प्रेस स्वतंत्रता की बात नहीं कहीं गयी है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसे मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करना जाता रहा है।

मीडिया की स्थिति में परिवर्तन

नेपाल में सरकार द्वारा राष्ट्रीय समाचार एजेंसी, राष्ट्रीय समाचार समिति की तुलना में गोरखापत्र संस्थान (जो राइजिंग नेपाल, गोरखापत्र, सन्डे डिस्पैच, युबा मंच इत्यादि का प्रकाशन करता है)। रेडियो नेपाल, नेपाली टेलीविजन पर ज्यादा नियंत्रण लगाया गया है। इधर 1990 के बाद सरकार कें किसी तरह के परिवर्तन का प्रभाव इन संस्थानों पर भी होता दिखायी पड़ता है। सरकारों द्वारा मीडिया का प्रयोग अपने स्वार्थ मे करने के कारण पत्रकारों का नैतिक मनोबल समाप्त प्राय होता रहा है। इधर कुछ वर्षों से सरकारी मीडिया को कुछ हद तक निजी क्षेत्र द्वारा चुनौती दिया जा रहा है।

---

[10] ibid, p.106

जबकि आज भी राज्य नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (रेडियो और टेलीविजन) बहुत ज्यादा सशक्त रूप से कार्य कर रहे है। कांतिपुर और दि काठमाण्डु पोस्ट (दोनों 1993 में शुरू हुए थे) निजी क्षेत्र के पत्र होते हुए नेपाल में बहुत ज्यादा विकास किये है। जबकि हिमालय टाइम्स और नेपाल समाचार पत्र भी 1990 के दशक में शुरू हुए थे लेकिन आज वे वित्तिय संकट के दौर से गुजरते हुए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहे है और साथ ही इनके स्वामित्व में भी परिवर्तन होता रहा है। स्पेसटाइम डेली एक केबल आपरेटर द्वारा प्रकाशित पत्र अलग–अलग जिलों से समाचार न पाने के कारण अपनी उपस्थिति दर्शाने में असफल हो गया। जबकि निजी क्षेत्र का ही पत्र राजधानी डेली वितिय संकटों का सामना कर रहा है।[11]

एक साप्ताहिक पत्र को प्रारंभ कर एक वर्ष तक कार्य करने के लिए कुछ लाख रुपयों की ही जरूरत होती है अर्थात इतना निश्चित है कि साप्ताहिक पत्रों का भविष्य नेपाल में बहुत उज्जवल है। निजी क्षेत्र द्वारा निवेश किए गए सबसे ज्यादा प्रभावशाली साप्ताहिक पत्रों में देशान्तर, छलफल, दृष्टि, पुनर्जागरण, जनआस्था, घटना र विचार, नेपाली पत्र साप्ताहिक विमर्श और नेपाली साप्ताहिक पत्र सम्मिलित है। वहां सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला, अच्छी संपादकीय वाला, अच्छा उत्पाद और उचित कीमत वाला अग्रणी साप्ताहिक पत्रं "The Nepali Times" है।[12]

काठमाण्डु घाटी में समाचार पत्र बड़े स्तर पर गणतंत्र के राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी काठमाण्डु को प्रमुख समाचार बनाते है। साथ ही काठमाण्डु में आधुनिक प्रिन्टिंग तकनीक सुविधाये उपलब्ध है तथा वह बस तथा हवाई सेवाओं से भी देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जुडा हुआ है। इन कारणों से काठमाण्डु में समाचार पत्रों का वितरण बड़े स्तर पर होता है तथा इन सुविधाओं के अभाव के कारण छोटे जिलो में समाचार पत्रों का प्रकाशन तथा वितरण नहीं हो पाता है।[13]

---

[11] C. K. Lal, *"Media and Governance"*, on, Nov, 10-12, New delhi 2003 Paper Presented at a Seminar Orgnised by Obserber Research Foundation(ORF), p.12

[12] ibid, p.13

[13] P. Kharel, no 9, ibid, p.34

नेपाल में प्रिन्ट मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी नियंत्रण किया गया है। वहां पर सरकार नियंत्रित नेपाल टेलीविजन तथा रेडियो नेपाल है। इन दोनों का 1990 के बाद भी और इससे पहले भी बड़े स्तर पर सरकार द्वारा अपने हित में प्रयोग किया जाता रहा है अर्थात् इस संदर्भ में कि मीडिया को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने देने पर वह देश में चतुर्थ स्तम्भ के रूप में कार्य करेंगा, को नेपाल में कुचला जाता रहा है।[14]

नेपाल टेलीविजन राष्ट्रीय चैनल है जो सरकार नियंत्रित है। यह देश के संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 62 प्रतिशत तक पहुंचता है। यह सेटलाइट का प्रयोग करते हुए देश भर में तथा दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसका एक सहयोगी चैनल मेट्रो चैनल भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। नेपाल में 5 निजी क्षेत्र को लाइसेन्स जारी किया गया है जिसमें से तीन ने तो काम करना शुरू कर दिया है। इसमें चैनल नेपाल, कान्तीपुर टेलीविजन और इमेज मेट्रो टेलीविजन सम्मिलित है। एक नेपाली चैनल भारत से नेपाल वन के नाम से संचालित किया जा रहा है।[15]

नेपाली प्रिन्ट मीडिया में विदेशी निवेश संबंधी नीति और उसका क्रियान्वयन

नेपाली मीडिया के क्षेत्र में सरकार द्वारा पर निवेश पर पर पाबंदी लगाया गया है। 1992 में देश में संचार नीति बनायी गयी थी जिसमें सरकार मीडिया क्षेत्र में विदेशी निवेश की बात को सम्मिलित किया गया था लेकिन तब से लेकर सन 2000 तक इस क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। सरकार ने पुनः 2000 में एक नई संचार नीति बनाई

---

[14] Prattyush Onta, no. 2, p.263

[15] G. R. Awasthi and N. Kakshapati, "*Brief Scenario of The Kingdom of Nepal*", Paper Submited at Indian Institute of Mass Communication(IIMC), New Delhi, 2004

गई है जिसमें देश के अधोसंरचना के विकास में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की बात को सम्मिलित किया है। इसमें सम्मिलित महत्वपुर्ण बातें निम्नलिखित हैं :-[16]

(क) इसके अर्न्तगत कहा गया है कि देश में संचार व्यवस्था का उच्च तकनीकीकरण कर सभी नागरिकों तक यह उपलब्ध कराया जायेगा।

(ख) देश में संचार नीति को दुरूस्त करने के लिये विदेशी निवेश को क्रमशः धीरे–धीरे बढावा दिया जायेगा।

(ग) संचार क्षेत्र में घरेलु निजी क्षेत्र कों इसके विकास में भागीदार बनाया जायेगा।

(घ) इस संचार नीति का उददेश्य देश के नागरिकों में जागरूकता को बढाना है।

(ड.) इसके अर्न्तगत कहा गया है कि देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिये इस संचार नीति को माध्यम बनाया जायेगा।

(च) इस कार्य में वैश्विक स्तर पर सहयोग प्राप्त करते हुये देश के मीडिया को विश्व स्तरीय बनाया जायेगा।

भारतीय निवेशकों द्वारा दो समाचार पत्र नेपाल में प्रकाशित किया जा रहा है। जो अंग्रेजी में हिमालय टाइम्स और नेपाली में अन्नपुर्णा दैनिक पत्र है। लेकिन इस पत्रों का विरोध नेपाल में यह कहकर किया जाता है कि यह मीडिया क्षेत्र के लिए एक बहुत घातक है। अर्थात् नेपाली अर्थव्यवस्था इतनी योग्य नहीं है कि वह भारतीय मीडिया से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। भारत से एक टी.वी. चैनल नेपाल वन प्रसारित किया जा रहा है। जिसका विरोध भी नेपाली नागरिकों द्वारा किया जाता है लेकिन इस संबंध में भारत का कहना है कि यह एन.डी.टी.वी., स्टार न्यूज़, ज़ी न्यूज़ की तरह ही एक भारतीय चैनल है जो भारत में रहने वाले नेपाली नागरिकों के लिए चलाया जा रहा है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों, जाति के बीच संबंध स्थापित करने के लिए, सदाचार, शिष्टाचार और नैतिकता कायम रखने के लिए, तथा देश के पत्रकारिता को अभिव्यक्ति

---

[16]"*IT Policy 2057 B.S.*", Nepal Telicommunication Authority, see, *www. Nepal telecommunication authority.htm*

की स्वतंत्रता को मर्यादित और जिम्मेदारीपूर्ण बनाने के लिए तथा उसके निर्भिक और स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने के लिए एक उचित वातावरण बनाने हेतु 1992 में प्रेस और प्रकाशन अधिनियम स्थापित किया गया। इस अधिनियम में विदेशी प्रकाशन पर परिच्छेद 4 के उपशाखा 16 में विशेष स्थिति में नियंत्रण स्थापित करने के प्रावधान बनाये गए है। जिसमें निम्न प्रावधान सम्मिलित है।[17]

1. देश में किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए या किसी संभावित राष्ट्रीय हित के लिए विदेशी प्रकाशन पर राष्ट्र रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर सकती है।
2. राष्ट्रीय हित और मर्यादा के विरूद्ध कार्य करने पर विदेशी प्रकाशन पर राष्ट्र रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर सकती है।
3. राष्ट्र की शांति, व्यवस्था और सुरक्षा के विरूद्ध कार्य करने पर विदेशी प्रकाशन पर राष्ट्र रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर सकती है।
4. विदेशी राष्ट्र तथा सरकार के बीच के संबंध को बाधिक करने विदेशी प्रकाशन पर राष्ट्र रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर सकती है।
5. विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र सम्प्रदाय के बीच वैमनस्य पर और दुर्भावना शैलाने पर विदेशी प्रकाशन पर राष्ट्र रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर सकती है।
6. सर्वसाधारण जनता के सदाचार, नैतिकता और सामाजिक मर्यादा पर आघात पहुंचाने पर विदेशी प्रकाशन पर राष्ट्र रोक लगाने संबंधी आदेश जारी कर सकती है।

नेपाली प्रिन्ट मीडिया के सामने विदेशी निवेश का न होना रहा है। नेपाली सरकार ने लम्बे समय तक के लिए देश में सूचना और संचार नीति को लागू किया जो नेपाल में प्रिन्ट मीडिया में विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करता है। "काठमाण्डु पोस्ट" में सूचना और संचार मंत्रालय के उपसचिव प्रहलाद पोखरेल ने कहा कि घरेलू पूंजी के

[17] Kashi Raj Dahal, *Aam Sanchar Ra Kanoon* (in Nepali) (Kathmandu: DANIDA and Nepal Press Institute, 2002, p. 285

प्रवाह के संदर्भ में नेपाली प्रिंन्ट मीडिया में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। आगे पुनः पोखरेल ने कहा कि इस नीति के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के जैसे डाक सेवा, तकनीकी संचार सेवा और इलेक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया के क्षेत्र में संरचनागत परिवर्तन कर विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। यह नीति उदार आर्थिक नीति के संदर्भ में ही सूचना और संचार क्षेत्र के माध्यम से सरकार के कार्यक्रम और नीति को महत्व देगी। साथ ही इसके माध्यम से निर्देशित करते हुए सुचना और संचार क्षेत्र में भी संसोधन करने पर जोर देगा तथा आगे वे कहते है कि जबकि इस नीति के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक मीडिया के क्षेत्र में विदेशी निवेश को मना नहीं किया जा रहा है। आगे प्रहलाद पोखरेल कहते है कि विदेशी निवेश को इलेक्ट्रोनिक मीडिया के क्षेत्र में तकनीक और पूंजी के लिए 25 प्रतिशत तक कर दिया गया हैं। लेकिन यह स्थानीय निवेशकों द्वारा मीडिया के क्षेत्र में निवेश किए जाने तक रूका रहेगा।[18] विदेशी और निजी क्षेत्र के मीडिया सरकारी नीतियों के अर्न्तगत रहते हुये ही कार्य कर सकते है। घरेलू निवेशक की तरह ही विदेशी मीडिया को भी आशिंक स्वतंत्रता दिया जाएगा। लेकिन यह नीति की अप्रत्यक्ष रूप से प्रिन्ट मीडिया को पक्षपाती और निर्भर बनाने पर जोर देता है।

निम्न साक्षरता दर के साथ (1991 में 40 प्रतिशत था) भी नेपाल मल्टीमीडिया का प्रयोग अपने देश में कर रहा है। डिश एन्टेना के दाम में कमी होती जा रही है। शहरी जनसंख्या अभी विदेशी मीडिया (स्टार टी.वी., दूरदर्शन, जी टी.वी. और सी.एन. एन.) प्रसारण का सम्मिलित रूप से उपयोग कर रही है। इतना ही नहीं नेपाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के चैनल भी उपलब्ध है। जबकि राष्ट्रीय प्रसारण देश के सिर्फ 33 प्रतिशत जनसंख्या तक ही पहुंच पाता है। नेपाल के राष्ट्रीय चैनल "नेपाल टेलीविजन" को विदेशी प्रसारणकर्ताओ से काफी प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है। प्रिन्ट मीडिया के क्षेत्र में भी नेपाल दक्षिण एशिया में एक खुले नीति वाला देश रहा है। भारत

[18] Nepal bans Foreign Investment in Print Media, People's Daily Online, June 20 2002, see http://english.people.com.cn/200206/20/eng20020620_98240.shtml

के साथ इसका खुली सीमा होने के कारण भारतीय पत्र नेपाल के तराई क्षेत्र में आसानी से पहुंच जाता है और यहां पर नेपाली पत्रों से ज्यादा भारतीय पत्रों को महत्व दिया जाता है।[19]

नरेश, राजनीतिक दल, माओवादी और मीडिया

"प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक दूसरे में अंतनिर्हित है और साथ ही मीडियाकर्मी और पत्रकार के अधिकार की सुरक्षा और विकास के लिए भूमिका निभाते है। निश्चित रूप से पत्रकार नागरिक समाज के लिए निर्देशक की भूमिका निभाते है और उचित सूचना के माध्यम से जनता के अधिकारों को जन उपयोगी बनाकर नागरिक समाज का हित सिद्ध करते है। सिद्धांत में सभी राजकीय और गैर राजकीय दल इन अधिकारों का सम्मान करते है। लेकिन पत्रकार स्वयं को राज्य, माओवादी- उग्रवादियों और नागरिक समाज के त्रिकोणीय जाल में पाते हैं। वे माओवादी आंदोलन से जुड़ी किसी भी खबर को प्रकाशित करने मे स्वतंत्र नहीं है। कुछ मात्रा में पत्रकार नागरिक समाज में कार्य करते हुए राजकीय और गैर राजकीय दलों के कार्यों का आलोचना करते है। लेकिन नेपाली मीडिया इन घटनाओं या बांधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही है।"[20]

1948 में राणा शासन द्वारा राजनीतिक दलों और नरेश के साथ एक संयुक्त समझौता हुआ। तत्पश्चात एक संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान के बाद देश में 1951 से 1962 के बीच कई अधिनियम प्रेस और प्रकाशन के संबंध में बनाए गए जिसमें नरेश और राजनीतिक दलो ने बराबर सहमति के साथ स्वतंत्रता पर जोर दिया। 1962 में नरेश ने प्रजातांत्रिक सरकार को हटाकर पंचायती शासन की स्थापना

---

[19] Anand Aditya, *Mass Media and Democratisation: A Country Study on Nepal* (Kathmandu: Institute for Intigrated Development Studies, 1996), p. 71

[20] Shobhakar Budhathoki, "Status of Freedom of Expression in Nepal: Prospects and Challenges", Free Expression, December 2000, Center for Human Rights and Democratic Studies (CEHURDES), Kathmandu, see http://www.cehurdes.org.np/pub_dec_12.html

कर दिया और शासन शक्ति को अपने हाथों में लिया। 1962 से 1990 तक नरेश द्वारा कई अधिनियम मीडिया के संबंध में पारित किया गया। जिसमें मीडिया को स्वतंत्रता प्रदान किया गया। लेकिन इन अधिनियमों पर जन भलाई और राष्ट्र हित के नाम पर कई प्रतिबंध भी लगाए गए थे। 80 के दशक के जन आन्दोलन के दौरान नरेश ने मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया और शाही सेना द्वारा इनको प्रताडित किया गया।[21]

इतना ही नहीं 1990 के बहुदलीय प्रजातंत्र पर भी नरेश का उचित सहयोग ने प्राप्त हो सका। सबसे महत्वपूर्ण घटना तो तब घटी जब 2001 शाही परिवार हत्याकांड हुआ। इस हत्याकांड के बाद नरेश ज्ञानेन्द्र ने देश आपातकाल लागू कर दिया और प्रेस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान पत्रकारों और मीडियाकर्मियों का शोषण किया गया।[22]

नरेश ने एक बार पुनः देश में सरकार को इसलिए बर्खास्त कर दिया कि वह सही समय पर चुनाव कराने में समर्थ नहीं है। इस तरह नरेश ज्ञानेन्द्र ने 1 फरवरी 2005 को देश के आपातकाल की लागू कर दिए। 3 फरवरी को नरेश ने साक्षात्कार, लेख, समाचार, सूचना, व्यक्तिगत विचार जो शाही आदेश के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो, पर छः महीने तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान लगभग 27 पत्रकारों को गिरफतार कर दिया गया, 20 संपादको, प्रकाशको और रिपोर्टरो को शासन द्वारा सरकारी आदेश दिया गया और पत्रकारों को शोषण किया गया। 56 एफ एम रेडियो स्टेशनों में से 41 पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिससे लगभग 2000 पत्रकार बेरोजगार हो गए। प्रचार पर रोक लगा दिया गया तथा पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस दौरान उदाहरण स्वरूप निम्न लोगों को गिरफतार किया गया था। पत्रकारों में अंतरंग साप्ताहिक के संपादक नवराज पहाड़ी को, नेपाली पत्रकार संघ के सहासचिव विष्नु निश्ठुरो को तथा इस संगठन के ही अध्यक्ष तारानाथ दाहाल को, "कान्तीपूर" के एक कर्मचारी डी.आर. पन्त को गिरफतार कर लिया गया

[21] "100 Days of Tyranny in Nepal", Report of Asian Center for Human Rights, New Delhi, May 10, 2005 p.11
[22] ibid , p.12

था। इतना ही नहीं लगभग 20 संपादकों और पत्रकारो को अदालत में हाजिर होने के लिए सूचना भेजा गया था जिसमें "प्रकाश" के संपादक नवराज तिमिलसिन्हा, "संघु" के संपादक गोपाल वुद्धाथोकी, "देशान्तर" के संपादक कबीर रैना इत्यादि सम्मिलित थे। साथ ही कई पत्रकारों को शारीरिक रूप से दण्डित किया गया जिसमें "अन्नपूर्ना" दैनिक के फोटो पत्रकार सुमन दाहाल, स्थानीय "हाटलाइन" दैनिक पत्र के त्रिभुवन पौंडयाल इत्यादि सम्मिलित थे। नरेश द्वारा समय समय पर अप्रजातांत्रिक कदम उठाते हुए प्रेस और मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाता रहा है।[23]

नेपाल में पुराने समाचार पत्र हो या फिर नव स्थापित समाचार पत्र, सभी किसी न किसी राजनीतिक दल से, उनके विचारधारा या उनकी कार्यविधि से निकटता से जुड़े रहते है। यह बात लेकिन तब उतनी समस्यापूर्ण नहीं होती, जब ये समाचार पत्र खुलकर कहें कि वे किस दल के साथ है। पारदर्शिता के अभाव में विभिन्न समाचार पत्रों पर किसी भी समाचार के लिए उन्हे कम्युनिस्ट (माओवादी) से जोड़ दिया जाता है। साथ ही उन राजनीतिक दलों का जो शासन में रहती है, की मानसिकता सदैव मीडिया का उपयोग अपने हित में करते हुए अफवाह फैलाने वाला रहता है। इस तरह राजनीतिक दल मीडिया का प्रयोग अच्छे वोट पाने के लिए बखुबी करते रहते है। साथ ही सत्ता में रहे राजनीतिक दल रेडियो नेपाल, नेपाल टेलीविजन, गोरखापत्र निगम और राष्ट्रीय समाचार जैसे संस्थाओं में अपने दलकर्मी तथा समर्थकों को रख देते है। इसके फलस्वरूप इन मीडिया संस्थाओं का समाचार संदिग्ध और कम विश्वसनीय रह जाता है।[24]

नेपाल में 1990 के बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना के बाद सरकारी संरचना के सामने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्या के साथ सबसे बड़ी चुनौती के रूप में 1996 में मोओवादी आन्दोलन रहा। यह आन्दोलन दिसम्बर 2001 में राष्ट्र में बहुत

---

[23] ibid p.13-14

[24] P. Kharel, no. 7, p.29

उग्र हो गया तो सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया जो मई, 2002 तक लागू रहा। इस दौरान देश में नागरिको को मौलिक अधिकारों को रद्द कर मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।[25]

देश के चल रहे हिंसक गतिविधियो को नियंत्रण मे करने लिए नरेश ज्ञानेन्द्र ने 26 नवम्बर 2001 को अनु. 115(1) के आधार पर राष्ट्र में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दिया। इस आदेश के दौरान कहा गया कि यह आपातकाल राष्ट्र की सम्प्रभुता, एकता, सुरक्षा और हित के लिए लिया गया है। इस दौरान भी नागरिकों के मौलिक अधिकारो को रद्द कर दिया गया। इन मौलिक अधिकारो में वाक स्वतंत्रता, सभा एकत्रित करने का अधिकार, देश में भ्रमण करने, प्रेस एवं प्रकाशन का अधिकार, नजरबंदी के विरूद्ध अधिकार, संपत्ति के अधिकार, गोपनीयता का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मलिलित था।[26]

इस प्रकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन निरन्तर होता रहा। देश में इस दौरान प्रेस और प्रकाशन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। जैसे, सरकार ने आदेश दिया कि माओवादी नेताओं के उग्रविरोधी भाषणो व साक्षात्कारों तथा नेपाल नरेश के विरूद्ध कुछ भी प्रेस प्रकाशित न करे। बल्कि सरकार के निर्देशों एवं नेपाली शाही सेना के बहादूरी के कारनामों को ही प्रकाशित करे।[27]

नेपाल में प्रेस द्वारा माओवादी हिंसा का भर्त्सना और आलोचना करने के लिए सरकार और सुरक्षा व्यवस्था द्वारा दमन करके बढ़ा चढ़ा कर समाचार प्रकाशित करवाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे माओवादीयों के आदर्श और परिवर्तन की चाहत को प्रेस और पत्रकार के माध्यम से प्रभावित किया जा सके। माओवादी आन्दोलन जैसे–जैसे उग्र होता जा रहा है वैसे–वैसे सरकार अपने को जनता और प्रेस की रक्षा करने में असहाय महसूस कर रही है। इतना ही नहीं यदि

---

[25] Birendra P. Mishra, "Nepal: A Fragile Democracy ", *South Asia Politics* ,(New Delhi) ,may 2003,p. 18
[26] Keshav Pradhan, " State of Emergency Declared in Nepal", The Hindustan Times, November 20, 2002
[27] " Human Rights Fetures", (HRF) on Maoist Conflict in Nepal, see http/www.hrdc.net/sahrdc/hrfquarterly/jan-march 2003/Nepal.htm

प्रेस राज्य, सेना, प्रशासन और राजनीतिक दल के खिलाफ कुछ लिखता है तो उसे हानि उठानी पड़ती है। अर्थात् मीडिया सरकार और माओवादी दोनों से संबंधित समाचार प्रकाशित करने में असहाय महसूस करती है। उदाहरणस्वरूप करीब तीन वर्ष पहले "देशान्तर" पत्र ने माओवादियों द्वारा लुटे गए एक बैंक की खबर को 'बातो डुकेर लुटपाट गर्ने क सरी आन्दोलन हुन सक्छर' नेपाली शीर्षक में प्रकाशित किया। विरोध में माओवादी नेता बाबुराम भटढराई ने अर्न्तवार्ता में एक वक्तव्य के माध्यम से उक्त समाचार के लिए प्रधानमंत्री गिरिजा तथा पत्र देशान्तर दोनो को धमकी दे दिया था।[28]

1990 के बाद के मीडिया अधिनियम और उनका क्रियान्वयन

1990 के संविधान के प्रारंभ होने के बाद विभिन्न अधिनियम के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता को लागु किया गया। जिसमें कुछ 1991 का प्रेस और प्रकाशन अधिनियम और प्रेस परिषद अधिनियम प्रमुख है। प्रथम अधिनियम के अंतर्गत यह सुरक्षा प्रदान किया गया है कि किसी पंजीकृत प्रेस के समाचार प्रकाशन के आधार पर उसकी संपत्ति को सरकार द्वारा (जैसा कि पंचायती शासन के दौरान था) जब्त नहीं किया जाएगा। जबकि यही अधिनियम कुछ अपवाद स्वरूप विषय और विशेषकर स्थितियों को छोड़कर किसी भी समाचार लेख या किसी भी छपे विषय के आधार पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाने का प्रावधान करता हैं। यह साथ ही यह सुरक्षा देता है कि प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर उसके विषय के आधार पर उसकी मान्यता रद्द नहीं किया जा सकता है। 1991 के प्रेस परिषद अधिनियम के माध्यम से प्रेस परिषद की स्थापना किया गया जो पत्रकारों के गुणवत्ता में सुधार और उत्तरदायित्व के कार्य करता है।

---

[28] P. Want, R. Parajooly and R. Parajooly, ed, *"Media ko Antarwastu: Wiwidh Wishleshan"*,(In Nepali) (Lalitpur: Jagdamba Press, 2002), pp.15-16

1951 में नरेश त्रिभुवन और प्रजातांत्रिक संस्थाओं के नेतृत्व में जन आन्दोलन के माध्यम से लगभग एक शताब्दी पहले से स्थापित सामन्तवादी शासन हटा कर प्रजातंत्र के स्थापना कर दिया गया। साथ ही 1951 में Interim Government Act पारित किया गया जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों को तथा प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना को सम्मिलित किया गया था। राजनीतिक दल कानुनी घोषित कर दिया गया तथा प्रेस और प्रकाशन पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया। तीन दशक के पंचायत शासन के दौरान 1958 में स्थापित Press and Publication Act में 1962, 1976 और 1982 में परिवर्तन किया गया। सरकार को मीडिया नितियों और कानुनों से संबंधित सलाहकारी संस्था प्रेस परिषद की स्थापना 1972 में किया गया। इसके एक उद्देश्य को निश्चित किया गया कि यह निजी क्षेत्र मे मीडिया और सरकारी मीडिया के बीच उचित संबंध स्थापित करेगा। नेपाल के इतिहास में 1990 के आन्दोलन के पश्चात् स्थापित बहुदलीय प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। 1990 में एक नया संविधान लागू किया गया। नये संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत तथा संचार नीति के तहत मीडिया संबंधित निम्न अधिनियम The Press and Publciation Act, 1992, Copyright Act, 2001, National Broadcasting Act, 1992. The Press Council Act, 1992, The Rashtriya Samachar Samiti Act (Amendment), 1990. Nepal Factory and Labourors Act, 1991, Postal Rule 1993, Working Journalist Act, 1994 and Telecommuncation Act, 1996 बनाये गये है।[29]

ये अधिनियम इन संस्थानों के दुरुपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सके। प्रिन्ट मीडिया भी नरेश और शासक वर्ग के हाथ में एक खेल का साधन बना रहा। जब भी सरकार या शासन से संबंधित सत्य को सरकार के विरूद्ध प्रकाशित किया गया तभी प्रशासन द्वारा पत्र का पंजीकरण रद्द कर दिया गया, संपादक को गिरफ्तार कर लिया गया या फिर समाचार देने वाले पत्रकार को गिरफ्तार किया गया या प्रिन्ट मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिससे वे सरकार के हाथ की कठपुतली बन जाए। प्रिन्ट

[29] Hussain Naqi, ed, "Safma Report 2003", (Lahore: Free Media Foundation, 2003), pp. 32-34

मीडिया पर नेपाल में मुख्यतः नरेश या सरकार के विरूद्ध प्रकाशित समाचार के आधार पर ही प्रतिबंध या निस्तीकरण जैसी गतिविधियां की जाती है।

1991 के प्रेस और प्रकाशन अधिनियम के तहत प्रकाशन के पंजीकरण के लिए जिला कार्यालय में आवेदन देना होता है और इसको मान्यता सूचना विभाग से मिलता है। अधिनियम के अंतर्गत प्रकाशनों पर प्रतिबंधात्मक प्राविधान भी सम्मिलित किए गए है। जिसके अनुसार प्रकाशन पर आयात संबंधी, बिक्री और वितरण संबंधी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 1992 में विशेष अधिनियम के तहत इसके संरचना में परिवर्तन करते हुए पत्रकार के लिए नियम बनाया गया तथा मीडिया से संबंधित जन शिकायत की बात को सम्मिलित किया गया। 2003 में नेपाल पत्रकार संघ और नेपाल प्रेस काउंसिल ने मिलकर 24 विन्दुओं को निश्चित किया है जो उससे पहले से विघमान प्रावधानों को हटाकर बनाया गया है। इसके तहत पत्रकारों के कर्तव्य और उतरदायित्व निश्चित किए गए है।[30]

नेपाल का 1990 संविधान पंजीकृत समाचार पत्र या नियतकालिक पत्र पर किसी लेख या समाचार के प्रकाशन के आधार पर प्रतिबंध न लगाने जाने की सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात यह किसी समाचार प्रकाशन पर नियंत्रण या उसको जब्त करना या प्रतिबंध न लगाए जाने की सुरक्षा प्रदान करता है। 1990 से कुछ पहले नेपाल में प्रेस से संबंधित कुछ कानुन बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगाया गया ह। जिसमे 1989 का Offence against States and punishment Act, और 1989 का ही Public Security Act सम्मिलित है। इन अधिनियम की आड में पत्रकारों पर बिना किसी कारण के ही शासन द्वारा जेलों में डाला गया या जुर्माना या नियंत्रण लगाया जाता रहा है। जिससे आज भी नेपाल एक अर्द्ध प्रेस स्वतंत्रता वाला देश बना हुआ है। इन्ही अधिनियमों तहत ही 1990 के जन आन्दोलन

[30] ibid, pp. 35-37

के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और साथ ही नेपाली पत्रकार संघ के लगभग 50 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया।[31]

नेपाल में संविधान के अनु. 62 के अंतर्गत संसदीय कार्यवाही को मीडिया की आलोचना शक्ति से बाहर रखा गया है। साथ ही Supreme Court Act (1991) और Provision of Judicial Administration Act, (1991) के अंतर्गत न्यायालय को मीडिया कार्यवाही से बाहर रखा गया है। कार्यालयीय कार्यों को (Secrecy of Documents Act, 1982, section 3, 4, 12) के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान किया गया है।[32]

सरकार द्वारा 1990 के बाद बनाये गये अधिनियमों को लागू करने में पक्षपातपूर्ण रवैया रहा है। नेपाल में जब भी कोई नई सरकार आती है वह इन अधिनियमों का उल्लंघन कर मीडियातंत्र का प्रयोग अपने हित में करना चाहती है। वहां पर इस तरह की कार्यवाही पर प्रतिबंध लगाए बिना और प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दिए बिना लोकतंत्र का विकास संभव नहीं हो सकता। इन अधिनियमों के अवहेलना करने बाले कारक के रूप में 1996 से माओवादी सामने आ गए है। इन अधिनियमों में वर्णित प्रेस स्वतंत्रता का तो नरेश और सरकारे अवहेलना करती है लेकिन प्रतिबंधों पर पूरी तरह अडिग होकर कार्य करती है।

आपातकाल के दौरान नेपाली मीडिया की भूमिका

नेपाल के 1990 के संविधान में मंत्रि परिषद की सलाह से राज्य में आपातकाल लागू करने की व्यवस्था किया गया है। इसके लिए दो–तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। इसको सिर्फ तीन महीने तक ही लगाया जा सकता है। इसको बढ़ाने के लिए पुनः बहुमत की जरूरत होती है। संविधान की धारा 115 में संकटकालीन स्थिति को लागू करने की व्यवस्था किया गया है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब देश में सशस्त्र

[31] Shobhakar Budhathoki, "Status of Freedom of Expression in Nepal: Prospects and Challenges", Free Expression, December 2000, Center for Human Rights and Democratic Studies (CEHURDES), Kathmandu, see http://www.cehurdes.org.np/pub_dec_12.html
[32] Hussain Naqi, no. 29, pp. 32-37

विद्रोह हो जाए या बाह्य खतरा हो। इसके तहत ही 2001 में नेपाल में आपातकाल तब लागू किया गया जब माओवादियो और सरकार के बीच चल रही शांति वार्ता टूट गयी।[33]

एक अन्य मुख्य घटना 16–17 अप्रैल 2004 को तब घटी जब 300 उन पत्रकारों को जो राजनीतिक प्रदर्शन में भाग लेते हुए समाचार प्राप्त कर रहे थे, गिरफ्तार कर लिया गया। 16 अप्रैल को पुलिस द्वारा लगभग 75 पत्रकारों को तब गिरफ्तार किया गया जब पांच राजनीतिक दलों द्वारा प्रजातंत्र विरोधी कार्यवाही का विरोध के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों का वे जीवन्त प्रसारण कर रहे थे। उपरोक्त 75 पत्रकारों को शारीरिक दण्ड देने के बाद उनमें से दो को सारी रात जेल में रखा गया। 17 अप्रैल को काठमाण्डु के अलग–अलग हिस्सों से लगभग 200 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया जबकि वे जनता द्वारा निकाले गए गिरफ्तारी विरोधी प्रदर्शन का जीवन्त प्रसारण कर रहे थे। सरकार अपनी बात को यह कहकर सही सिद्ध कर रही थी कि यह कार्यवाही सिर्फ पुर्वघोषित सूचना (जिसमें कहा गया था कि दो व्यक्ति से ज्यादा लोग इक्ट्ठे नहीं हो सकते) के खिलाफ जाने के कारण किया जा रहा है। लेकिन सच तो यह है कि सरकार द्वारा एक बार फिर नवोदित प्रजातंत्र को कुचलने का प्रयास किया गया है।[34]

1 फरवरी 2005 को अचानक नेपाल इलेक्ट्रॉनिक संचार से गायब हो गया। नरेश ज्ञानेन्द्र ने सभी फोन संपर्क को कटवा दिया तथा राजनीतिक दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नेपाल नरेश ने किसी संभावित विरोध के चलते नेपाल के सड़कों पर सशस्त्र सेना लगा दिया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस सीमाहीन सूचना के युग में विश्व ने आश्चर्यचकित होकर यह देखा कि किस तरह नेपाल को संचार और सूचना से कैसे अलग कर दिया गया। जबकि आठ दिन बाद

---

[33] Dr. Gopal Sharma, "Nepal Ma Manawadhikar Ra Kanooni Upachar Sidhhant Ra Vyawahar" in Gopal Siwakoti 'Chintan', ed, *Nepal Ma Manawadhikar Tatha Kanooni Upachar*, (Kathmandu: Tribhuwan Vishwawidyalay Manawadhikar Kendra, 2001), pp. 64-65

[34] Sanjaya Dhakal, "Is Nepal's Media Losing its Objectivity?", *One World South Asia*, April 21 2004, Kathmandu

जब फोन और इंटरनेट को पुनः शुरू किया गया तब प्रत्येक कार्यालयों में (जहां पर समाचार प्रकाशन कार्य चल रहा था) सैन्यकर्मी और नियंत्रणकर्ता बैठे थे। चार मुख्य समाचार पत्रों को इंटरनेट सेवा प्रदाता कान्तीपुर और कान्तीपुर टेलीविजन नेटवर्क, ने कार्यवापसी पर कहा कि "हमलोग अभी भी शक्त मीडिया निर्देशन में है जिससे हम वही कर सकते है जो नेपाल नरेश आधारित और निर्देशित हो।[35]

1 फरवरी 2005 को राजनीतिक दलों द्वारा राज्य शक्ति में कमी करने के कारण नरेश की आलोचना किए जाने पर नरेश ज्ञानेन्द्र ने शेर बहादुर देउबा सरकार पर भड़क कर देश के बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया और मीडिया पर एक सशक्त प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही बहुत सारे मौलिक अधिकारों को तिरस्त करते हुए आपातकाल लागू कर दिया।[36]

देश में चल रहे इस हिंसक दौर को नियंत्रण में करने के लिए नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र ने 23 नवम्बर 2001 को अनु0 115(1) के आधार पर आपातकाल, लागु करवा दिया था ।[37] तत्पश्चात 4 अक्टूबर 2002 को नरेश ने पुनः आपातकाल स्थिति की घोषणा की।[38] इतना ही नहीं 1 फरवरी 2004 को भी नरेश ने संविधान को भंग करके समस्त शक्ति को अपने हाथ में ले लिया। इस दौरान भी संविधान के अनु0 115(7) के तहत ही नरेश ने आपातकाल लागु किया है।[39]

एक बार पुनः निजी प्रकाशन ने स्वयं को कठोर निर्देशन मे पाया। इसके फलस्वरूप कुछ समाचार पत्रों ने अपने संपादकीय पेज को खाली प्रकाशित किया, या फिर किसी अर्थहीन मुद्दे पर संपादकीय प्रकाशित किया। नेपाल में माओवादी उग्रवादियों तथा उनके द्वारा मीडिया को दबाने की कोशिश के कारण भी मीडिया पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अधिकार समूहों के अनुसार दोनों तरफ के द्वन्द (माओवादीओं नरेश) के कारण

---

[35] Dee Aker, "Crisis in Nepal", *Joan B. Kroc Institute For Peace & Justice*, University of San Diego, February 10 2005, see http://peace.sandiego.edu/programs/Nepal/nepalcrisis.htm

[36] Marty Logan, Working Around the Rebels, Inter Press News Agency, SOSRhino, March 14, 2005, see http://www.sosrhino.org/news/rhinonews031405.php

[37] Keshav Pradhan, no. 26, November 20, 2002

[38] John Mackinly and Bishnu Upreti, "The King and Mao", *The World Today*, vol. 59, no. 2, p. 26

[39] Special Coresspondent, " Further Decent into Lawlessness in Nepal", *The Hindu*, February 19, 2005

मीडियाकर्मिया घातक प्रभाव पड़ रहा है। मीडिया अधिकार समूहों की सूचना के अनुसार 2004 में लगातार तीसरे वर्ष, नेपाल मे इतने पत्रकार गिरफ्तार किए गए जितने विश्व के सभी देशो में हुए।[40]भारत जैसे पड़ोसी देशों ने संवैधानिक कानूनों का दमन और मीडिया पर प्रतिबंध का कड़ा विरोध किया है। पूर्व प्रधानमंत्री कोईराला के छूटने के बाद काठमाण्डु में भारतीय दुतावास ने एक वक्तव्य जारी किया कि "नेपाली जनता और मीडिया को लोकतांत्रिक वातावरण प्रदान किया जाये जिससे वैधानिक संवैधानिक अधिकारों का आनंद नेपाली जनता पा सकें।[41]

1990 के बाद नेपाल में ऐसी बुरी स्थिति नहीं रही जैसी की नवम्बर 2001 से प्रारंभ होने वाली आपातकाल से लेकर अगस्त 2002 तक आपातकाल के समाप्त होने तक रही है। इस दौरान 160 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 21 को अभी भी जेल में रखा गया है। सरकार और माओवादी कुछ को तो जान से मार दिए थे। पत्रकारों के लिए शासन द्वारा आंतग का माहौल पैदा कर दिया गया था। वर्ष के बाद के छः महीने आपातकाल के समाप्ति के दौरान, नेपाली मीडिया ने सुरक्षा संस्था और माओवादीयों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों की हर तरह की घटनाओं को बहादुरी के साथ पुनः प्रकाशित करना शुरू कर दिए थे।[42]

मार्च 2002 को सन्स फ्रंट्रियर ने कहा कि – "माओवादी और राज्य आपातकाल के कारण नेपाल में स्थिति बदल गयी है। 1996 के दौरान कांग्रेस शासित सरकार के दर्जनों कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भी निशाना बनाया गया। इन सब के अलावा नेपाली पत्रकारों को अमानवीय यातनाये दी

---

[40] Country Profile: Nepal, British Broadcasting Corporation, BBC MMV, Tuesday, February 1, 2005, see http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/country_profiles/1166502.stm

[41] Shirish B Pradhan, "Koirala, over 250 activists freed in Nepal", Press Trust of India, April 1, 2005, see http://www.outlookindia.com/pti_news.asp?id=289755

[42] Murari Shivakoti, "Media freedom in recent Nepal cannot be taken for granted", FreeVoice, Dutch Support For Media in Development, 19 September 2004, see http://www.freevoice.nl/azie/articles/nepalmedfree.shtm

गयी।"[43] एक वर्ष के बाद 2003 मे सन्स फंट्रिकर ने बताया कि माओवादियों द्वारा जन समूह पर प्रभाव डालने के लिए किस तरह के कार्य किए जाते है। समाचार प्रकाशित करने के कारण पत्रकारों को जान से मार डालने की धमकी माओवादियों द्वारा दिया जाता रहता है। रोबिन थपालिया (एक क्षेत्रिय दैनिक "रूपरेखा" के पत्रकार) और दीपक थापा ("नेपाल समाचार पत्र" के पत्रकार) के मुद्दों नें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खीचा था।[44] लेकिन यह बहुत सारे एक जैसे घटनाओं में सिर्फ दो घटनाए थी। जबकि सरकारी अधिकारियों द्वारा सिर्फ इसे आधार पर पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाता है कि वे सरकार के संरचना और कार्यवाही के खिलाफ जाकर विद्रोह को बढ़ावा देना चाहते है। इसी तरह हिमाल पत्रिका के संपादक कनक मनी दीक्षित की गिरफ्तारी और कान्तीपुर दैनिक के बड़े संख्या में पत्रकारों को गिरफ्तार और परेशान किया गया था। प्रेस की स्थिति तब और स्पष्ट हुई जब सितम्बर 2004 में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कहा कि "स्वतंत्रता, और उत्तरदायित्व हरेक व्यक्ति को दिया गया है और इसको सिर्फ किसी जटिल या आपातकालीन स्थिति में ही छीना जा सकता है अन्यथा नहीं।[45]

18 फरवरी 1990 को प्रजातंत्र स्थापना के लिए चलाए जा रहे आंदोलन का निर्माण या प्रारंभ 1989 के अंतिम समय में पंचायत सरकार की अक्षमता भ्रष्टाचार मानवाधिकार का उल्लंघन तथा आर्थिक विकास की अवहेलना के कारण जन आंदोलन विशालकाय रूप में उभरा। इसके फलस्वरूप बदले में पुलिस और सेना द्वारा सक्त कार्यवाही किया गया और आंदोलनरत 10000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके कारण एक शक्ति के रूप में काठमाण्डु तराई के कई बस्तियों में सुरक्षा शक्तियों को, मत जाओ (No Go) का दिशा निर्देश दिया गया था। 6 अप्रैल को नेपाल

---

[43] Shobhakar Budhathoki, "Status of Freedom of Expression in Nepal: Prospects and Challenges", Free Expression, December 2000, Center for Human Rights and Democratic Studies (CEHURDES), Kathmandu, see http://www.cehurdes.org.np/pub_dec_12.html

[44] Vincent Brossel, "Nepal: Journalist receives death threat from Maoists", International Secretariat, Asia Pacific Desk, *Reporters Sans Frontiers*, Tuesday, 25 Feb 2003 see http://www.hrea.org/lists/hr-media/markup/msg00093.html

[45] "PM says press freedom, responsibility go together", September 23, 2004, *Gorkhapatra*, see http://www.gorkhapatra.org.np/pageloader.php?file=2004/09/24/topstories/main2

के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा आंदोलन हुआ। जिसका नेतृत्व युवा वर्ग करते हुए काठमाण्डु नरेश के राज महल तक चले गए। जिसके फलस्वरूप सेना ने खुलेआम निहत्थे लोगो पर गोलिया चलाकर 50 से 100 के बीच में लोगों को मार दिया।[46]

इससे पहले जन आन्दोलन के दौरान आपातकाल लागू होने के बाद संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतत्रंता, बिना हथियार शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संपूर्ण राज्य आवागमन और देश में कही भी रहने की स्वतंत्रता, किसी समाचार, लेख या पठनीय सामग्री के प्रकाशन से पूर्व प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की स्वतत्रंता सूचना के अधिकार (अनु. 16), संपत्ति के अधिकार (अनु. 17) गोपनीयता के अधिकार (अनु. 22) इत्यादि को रद्द कर दिया गया। 2001, 4 नवम्बर, 2002 का लागू आपातकाल और 1 फरवरी 2005 में लागू आपातकाल के दौरान इन अधिकारों को रद्द कर दिया गया। इससे मीडिया की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।[47]

पीछले आपातकाल नवम्बर 2001 से अगस्त 2002, के दौरान नेपाली रक्षा शक्तियों ने 180 से ज्यादा पत्रकारों को गिरफ्तार किया था। नेपाली मीडिया वर्तमान जन आन्दोलन में बीच में उलझ कर रह गयी है। देश के अन्दर माओवादियों द्वारा सात महीने के युद्ध विराम के बाद अगस्त 2003 को सेना और माओवादियों के संघर्ष होने के कारण मानवाधिकार का उल्लंघन बड़े स्तर पर हुआ। पत्रकार सुरक्षा समिति के कार्यकारी निदेशक के अनुसार – 'दोनो तरफ के संघर्ष के कारण बहुत बड़ी असमंजस वाली स्थिति है, नेपाल के पत्रकारों को पीछले आपातकाल के दौरान रक्षा तंत्र द्वारा शोषण किया गया जबकि उन्हें अन्यायिक रूप से पकड़कर शारीरिक दण्ड दिया गया।

---

[46] Frances D'souza, Carmel Bedford and Annlise Jespersen, *Information Freedom and Cencorship: World Report 1991* (London: Library Association Publishing, 1991), p. 205

[47] Dr. Gopal Sharma, "Nepal Ma Manawadhikar Ra Kanooni Upachar Sidhhant Ra Vyawahar" in Gopal Siwakoti 'Chintan', ed, *Nepal Ma Manawadhikar Tatha Kanooni Upachar,* (Kathmandu: Tribhuwan Vishwawidyalay Manawadhikar Kendra, 2001), pp. 64-65

आईफजे (IFJ) ने कहा है कि प्रजातांत्रिक सरकार और एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर मीडिया ही संघर्ष की स्थिति में शांति तक पहुंचने में मदद कर सकती है।[48]

2001 के मध्य में लागू आपातकाल तक मीडिया की आलोचनात्मक शक्ति के अपरिवक्वता के दो कारण रहे है। (क) पंचायती शासन के समय से ही मीडिया का शासनान्तर्गत कार्य करना। (ख) संघर्ष की स्थिति पर मीडिया की रिपोर्टिंग का अनुभवहीन होना। प्रिन्ट मीडिया अपनी पत्रकारिता के आलोचनात्मक शक्ति के माध्यम से सामाजिक शांति स्थापना में तथा समस्याओं पर प्रकाश डाल सकता है। इस आपातकाल के दौरान बहुत से समाचार प्रकाशन संस्था तथा अपनी बचाव के लिए नरेश के विरोध में कुछ भी नहीं लिखते हुए अपनी वर्तमान स्थिति को बरकरार रखे रहे। इस दौरान संविधान के लगभग सात अनुच्छेदो को नरेश ने रद्द कर दिया जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता इत्यादि को खतम कर दिया गया था। तथा राजपत्र में प्रेस के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। रक्षा शक्तियो ने माओवादियों से संबंधित प्रकाशित समाचारों का इस दौरान गहन छानबीन किया। अगस्त 2002 में इस आपातकाल की समाप्ति तक नेपाल में 180 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया या तो पूछताछ के बाद कुछ को छोड़ दिया गया। इस दौरान नेपाली प्रेस ने दबाव में रहकर माओवादीयों को देशद्रोही और आतंकवादी कहकर प्रकाशन करते रहे जबकि नेपाली शाही सेना के कार्यों की सराहना किए। यदि कोई ऐसा नहीं करता था तो उसे शारीरिक या आर्थिक दण्ड दिया जाता है।[49]

---

[48] "The King who Silenced his Country", *IndexOnline*, February 2 2005, see http://www.indexonline.org/en/news/articles/2005/1/nepal-king-silences-his-own-country.shtml

[49] Binod Bhattarai, *"NEPAL High Risk Conflict"*, in Report of Netional Workshop on Media, Democracy and Human Rights in Nepal orgnised by SAFHR, FORAM-Asia in associated with INSEC and FNJ, (Kathmandu: South Asia Forum for Human Rights, November, 21-22, 2003),

मीडिया अधिनियम का उल्लंधन और मीडिया

नेपाल के संविधान के अनु. 16 में नागरिको को सूचना का अधिकार दिया गया है। जबकि सूचना प्राप्त के अधिकारपत्र में भी नरेश से संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार नही दिया गया है। अर्थात् सरकार प्राकृतिक रूप से सूचना प्राप्त करने के लिए अधिकार को लागू करने में सक्रिय नहीं रही है। सरकार ने संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले कुछ मंत्रालयों में सूचना अधिकारी की नियुक्त किया। वास्तव में ये सूचना अधिकारी सूचना को जनता के बीच देने के बजाय इनको अधिक गोपनीय बनाने में मदद देते है। यह राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी तरफ माओवादी नियमित रूप से मीडिया संबंधित नियम कानून बनाते रहते है लेकिन उनकी स्थिति भी अस्पष्ट है।

सूचना प्राप्त करने की स्थिति आपातकाल में और सामान्य स्थिति में भी बहुत कठिन होती है। पत्रकार किसी समाचार प्रकाशित करने से पहले कई बार सोचते है। यहां तक कि किसी मीटिंग में जाने के लिए उस क्षेत्र में मजबूत रक्षा शक्ति या माओवादियों से अनुमति लेनी पड़ती है। अपवाद स्वरूप अनु. 16 को छोड़कर नेपाल में पत्रकारों की रक्षा के लिए कोई नियम नहीं है। राष्ट्रीय मीडिया कुछ मामलों में मजबूत है। पत्रकारों को कोई प्रकाशन करने से पहले सुरक्षा शक्तियों से अनुमति लेने की जरूरत होती है अन्यथा उन्हें कभी बिना मतलब के गिरफ्तार कर लिया जाता है। उदाहरणस्वरूप शुशंकर खान्डेल को रक्षा शक्तियों ने 18 दिनों तक जेल में रख रहे कर पूछताछ करते रहे, फिर छोड़ दिए और पुनः गिरफ्तार कर 18 दिनो बाद छोड़े। जिसमें मानसिक रूप से खाण्डेल काफी भयभीत हो गए।[50] 8 मई 1998 को माओवादी द्वारा एक दिन के हड़ताल के समय नेपाल में लगभग 10 नेपाली पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें से कुछ जेल भेज दिया गया था। जबकि विधिनुसार, एक गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

---

[50] Suresh Acharya, in Report of Netional Workshop on Media, Democracy and Human Rights in Nepal orgnised by SAFHR, FORAM-Asia in associated with INSEC and FNJ, (Kathmandu: South Asia Forum for Human Rights, November, 21-22, 2003),

लेकिन इसके बावजूद वामपक्षी पत्रकार ओम शर्मा को 1997 में 89 दिनों तक जेल में रखा गया था जिसके कारण सिर्फ यह संदेह था कि वह माओवादी गुरिल्ला युद्ध का समर्थन करता था।[51] सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं नेपाली पत्रकारों के साथ ही होती रही है।

पत्रकारिता एक व्यवसाय के रूप में संकट में है। पत्रकार को शारीरिक रूप से दण्डित किए जाते हैं। उनको संदेह की नजर से देखा जाता है, गिरफ्तार कर मार दिया जाता है। प्रेस और प्रकाशन अधिनियम के तथा अन्य प्रावधानों के तहत कहा गया है कि यदि किसी पत्रकार के कार्य को संदेहास्पद पाया जायेगा तो उसे माओवादियों की तरह सजा दी जाएगी। यदि पत्रकार किसी कठिन भौगोलिक स्थान पर किसी घटना के लिए मुश्किलों से (जहां सड़क यातायात न हो) पहुंच भी जाते है तो उन्हें कार्य करने नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि कोई फोटो न खीचें और न ही कोई लिखित समाचार भेजे। यहां तक कि न्यायालय तक के निर्देश का अवहेलना कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रेस का कार्य करना असंभव होता हैं अर्थात् प्रजातंत्र का रक्षक प्रेस खुद अपनी रक्षा करने में असहाय महसूस करता है।[52]

1990 के नेपाली संविधान का उल्लंघन उसके सुरक्षा करने वाले राज्य द्वारा ही किया जा रहा है। जीवन का अधिकार (अनु. 12) स्वतंत्रता का अधिकार, रक्षा का अधिकार (अनु. 12), स्वतंत्र भाषण, शांतिपूर्वक सभा करने, संस्था निर्माण करने तथा संपूर्ण देश में घूमने की स्वतंत्रता का बखूबी उल्लंघन किया जाता रहा है। अनु. 13 के द्वारा प्रेस और प्रकाशन को बिना नियंत्रण, या प्रतिबंध के किसी भी समाचार के

---

[51] Kiran Subba, "Media in Nepal: In the Grips of Politics: Independent Journalism, on whose term", *Media Forum*, Stockholm, March 7, 1999

[52] Taranath Dahal, in Report of Netional Workshop on Media, Democracy and Human Rights in Nepal orgnised by SAFHR, FORAM-Asia in associated with INSEC and FNJ, (Kathmandu: South Asia Forum for Human Rights, November, 21-22, 2003)

प्रकाशिन करने की स्वतंत्रता दिया गया है लेकिन इसका उल्लंघन सरकार समय समय पर करती रहती है।[53]

सरकार ने प्रतिबंधात्मक नीतियों का निर्माण करने के लिए 1991 के संचार नीति में संसोधन करके प्रत्येक समाचार पत्रों के लिए उनके पंजीकरण को प्रत्येक वर्ष नवीनकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। आलोचकों के अनुसार सरकार मीडिया से जुड़े उन संस्थाओं को दंड देगा जो सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे। उम्मीद के अनुसार नागरिकों और राजनीतिक दलों ने इस संसोधन अधिनियम का विरोध किया। निश्कर्ष रूप में इस संसोधन अधिनियम को सरकार ने सूचना और संचारमंत्री जय प्रकाश प्रसाद गुप्त की उपस्थिति में विकास और संचार से सबंधित संसदीय समिति ने वापस ले लिया।[54]

संविधान के अनु. 88/2 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को पूर्ण अधिकार है कि वह सरकार द्वारा नियमो के उल्लंघन किए जाने पर हस्तक्षेप कर सके। जबकि तकनीकी रूप से न्यायालय हस्तक्षेप करने में असहाय पाता है। लेकिन आपातकाल के दौरान बहुत लोगों के गायब होने के दौरान उच्चतम न्यायालय उचित ढंग से कार्य नहीं कर सका। न्यायालय के कुछ बेन्चों ने निम्न स्तरीय कार्य करते हुए जनता को हतोस्साहित किया क्योंकि वे खुद नहीं जानते कि उन्हें क्या करना है। बीमार्जन आचार्य के अनुसार उच्चतम न्यायालय को लोगो के गायब होने के संबंध में जांच करने का अधिकार नहीं है। लेकिन उच्चतम न्यायालय इस तरह का समिति बना सकती है। किसी बहुत बडे मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय जांच समिति को गठित कर सकती है लेकिन इसके जांच लिए स्थान का पता होना चाहिए।[55]

---

[53] Bimarjan Acharya, in Report of Netional Workshop on Media, Democracy and Human Rights in Nepal orgnised by SAFHR, FORAM-Asia in associated with INSEC and FNJ, (Kathmandu: South Asia Forum for Human Rights, November, 21-22, 2003),

[54] Shobhakar Budhathoki, "Status of Freedom of Expression in Nepal: Prospects and Challenges", Free Expression, December 2000, Center for Human Rights and Democratic Studies (CEHURDES), Kathmandu, see http://www.cehurdes.org.np/pub_dec_12.html

[55] Bimarjan Acharya, in Report of Netional Workshop on Media, Democracy and Human Rights in Nepal orgnised by SAFHR, FORAM-Asia in associated with INSEC and FNJ, (Kathmandu: South Asia Forum for Human Rights, November, 21-22, 2003)

एक महत्वपूर्ण मुकदमें में (थीर प्रसार पोखरेल बनाम हरीहर बीरही जो "साप्ताहिक विमर्श" के प्रकाशन और संपादन से संबंधित था) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ 12(2)(ए) के तहत याचिका हस्तक्षेप के विषय में चर्चा हुई। इस मुकद्में में न्यायालय ने प्रकाशन के अधिकार को निरपेक्ष और अहस्तक्षेपनीय न होने की बात को संविधान में न अंतर्निहित होने की बात कहा। साथ ही न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि संविधान निर्माता किन स्थितियों में अनु. 13(2) और 13(3) के तहत प्रकाशन के अधिकार को रद्द करने की तथा अनु. 13(1) किसी समाचार, लेख या लिखित सामग्री के आधार पर प्रतिबंध लगाने की बात कहे है। यह अधिकार कर्तव्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अनु. 13(1) के द्वारा प्रदत्त कानून को प्रेस और प्रकाशन के अधिकार के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। प्रेस पर प्रतिबंध उसी तरह लगाया जा सकता है जिस तरह नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाया जा सकता है। इन घटनाओं की पुनसर्मीक्षा करने का अधिकार न्यायालय को उस वैधानिक नियम की जिसके तहत उन्हें अधिकार की जांच करने की अधिकार है।[56]

नेपाली मीडिया के सामने चुनौतियां

यह पाया जाता है कि तेजी के साथ बढ़ता प्रिन्ट समाचार पत्र विशेषत: काठमाण्डु घाटी में ही कुछ अभिजन और सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा ही ज्यादा उपयोग किया जाता रहा है। बड़े स्तर पर निरक्षरता, यातायात संरचना की अनुपलब्धता, काठमाण्डु में घटित घटनाओं के प्रति ग्रामीण जनता में उदासीनता (जिसको नेपाली मीडिया प्रमुखता देता है) साथ ही जनता का लिखित समाचारों की अपेक्षा मौखिक समाचारों को सुलभ जैसी घटनाओं के कारण ही प्रिन्ट मीडिया चुनौतियां का सामना कर रही है।

---

[56] Thir Prasad Prasad Pokharel v. Editor and Publisher, Harihar Birahi, NKP, (1992), vol. 34, no. 8, p. 783

उप्रेती ने नेपाली मीडिया के सामने उत्पन्न चुनौतियों को निम्न बताया है:

1. इलेक्ट्रानिक मीडिया की स्थिति बहुत बुरी है जिसका कारण विद्युत की अनुपलब्धता और कारण गरीब जनता का होना है। जब एक व्यक्ति के पास पहनने के लिए एक जोड़ी चप्पल नहीं हो सकता, एक दिन का भोजन नहीं प्राप्त कर सकता वह रेडियो या टेलीविजन खरीदने के बारे में कभी नहीं सोच सकता है।

2. 50 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या नेपाल में निरक्षरता से पीडित है। यह नेपाली प्रिन्ट मीडिया के लिए एक समस्या है। पश्चिमी देशों तथा भारत के समाचार पत्र वितरण की तुलना में नेपाल में वितरण बहुत कम है। एक समाचार पत्र कई लोगों द्वारा पढ़ा जाता है तथा निरक्षक समाचार इन्हीं लोगों से समाचार समझ लेते है।

3. आज नेपाली पत्रकारिता राजनीति दलों के विचारों को ज्यादा प्रमुखता देते हुए जन मत को कम महत्व देते है। जबकि उन्हें जनमत निर्माण के लिए जनमत का उपयोग करना चाहिए।

4. खोजी पत्रकारिता की नेपाल में बहुत बुरी स्थिति है। यह मुख्यतः अल्प शिक्षित या अल्प योग्य संपादन के कारण है। स्वतंत्र संगठन जैसे नागरिक समाजो द्वारा ये शिक्षित किए जाते रहते है।

5. यह दुर्घटना ही है कि नेपाली मीडिया शहर आधारित है और देश के 90 प्रतिशत क्षेत्र से अछूता है। इसके परिणामस्वरूप 80 प्रतिशत समाचार राजनीतिक रहता हैं। मीडिया को राजनीतिक क्षेत्र को इतना महत्व न देते हुए मुख्य ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी आर्थिक सामाजिक घटनाओं को महत्व दिया जाना चाहिए।[57]

---

[57] Murari Shivakoti, "Media freedom in recent Nepal cannot be taken for granted", FreeVoice, Dutch Support For Media in Development, 19 September 2004, see http://www.freevoice.nl/azie/articles/nepalmedfree.shtm

1963 में प्रेस और प्रकाशन अधिनियम प्रकाशित किया गया था। जिससे प्रिंटिंग प्रेस और प्रकाशन से संबंधित नियम और विधान स्थापित किए गए। इस अधिनियम के प्रावधानो के आधार पर समाचार पत्र के आकार, संख्या और नम्बरों को विभिन्न समाचार पत्रों के लिए निश्चित कर दिया जाता था। जबकि 1966 में पुर्नसंसोधित प्रेस और प्रकाशन अधिनियम पारित किया गया था। अभी नेपाल में पूर्व प्रतिबंध की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि वहां पर पत्रकारों और समाचार पत्रों के खिलाफ विधिनुसार सरकार, व्यक्ति या विभिन्न संगठनों द्वारा मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसके कारण वहां पर स्वनियंत्रित व्यवस्था की स्थापना हो गयी है। संवैधानिक सुरक्षा के होते हुए भी नेपाल में पत्रकारों में पत्रकारों पर अत्याचार और उनकी गिरफ्तारी जारी है। उदाहरणस्वरूप 1994 में हरीहर बिरही को नेपाल के सर्वोच्च न्यायलय से संबंधित एक कार्टुन बनाने के कारण उन्हे गिरफ्तार कर जुर्माना लगाते हुए जेल में डाल दिया गया था। जबकि उस समय हरीहर बिरही नेपाली साहित्य पत्र का संपादक होने के साथ ही नेपाली पत्रकार संगठन के अध्यक्ष थे।[58]

सिर्फ 1994 में ही दो पत्रकारों को मातबर सिंह और सरतचन्द्र को जो साप्ताहिक पत्र "पुनर्जागरण" नेपाली मे कार्यरत थे, उनको मैालिक अधिकारों के खिलाफ तथा 1992 के प्रेस और प्रकाशन अधिनियम द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता की अवहेलना कर गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था कि इन लोगों ने नेपाल की राजकुमारी श्रुति शाह की एक फोटो किसी भारतीय अभिनेता के साथ प्रकाशित करवाये थे।[59]

सरकार ने कुछ बड़े समाचार पत्रों को माओवादियों के तहत कार्य करते हुए समाचार प्रकाशन करने का दावा दिया था। निश्चित रूप से नेपाल में समाचार पत्र माओवादी कार्यवाहियों को प्रमुखता देते हैं। लेकिन सरकार किसी समाचार पत्र को माओवादियों को संबंधित समाचार प्रकाशित करने के कारण ही जब्त नहीं कर सकता।

---

[58] ibid.
[59] ibid.

जबकि माओवादियों से संबंधित समाचार प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सारे पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को किसी माओवादी नेता के साक्षात्कार या अन्य समाचार प्रकाशन हेतु गिरफ्तार कर उन्हें कठोर से कठोर दण्ड भी दिया जाता है। सरकार ऐसा इसलिए करती है ताकि इन अमानवीय कार्यवाही के कारण कोई समाचार जनता के सामने न आए और जनता का ध्यान उन पर केन्द्रित न हो। समय जैसे पत्रिका माओवादी आन्दोलन तथा उनकी गतिविधियों की आलोचना करना प्रारंभ कर नेपाली शाही सेना को प्रमुखता देने के कारण नरेश द्वारा सराहनीय रहे है।[60]

यद्यपि नेपाली प्रिन्ट मीडिया माओवादी उग्रवादियों द्वारा किए जा रहे हिंसा को प्रमुखता के साथ छापते है। लेकिन प्रिन्ट मीडिया इस समस्या को हल करने का कोई विकल्प सुझाने के लिए आगे नहीं आती है। यह शासको द्वारा प्रबंन्धात्मक कार्यों पर कोई साहसपूर्ण कदम न उठाकर शांतिपूर्वक घटनाओं को देखता रहता है। ताकि उनके प्रकाशन पर कोई प्रभाव न पड़े और उसको सरकार पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े।[61]

नेपाल में पत्रकारों के सामने एक अन्य मुख्य चुनौती उचित सूचनाओं को प्राप्त करने का है। कमजोर परिस्थितिया के होने के कारण पत्रकारो को सूचनाओं की उपलब्धता नहीं हो पाती है। नेपाली सरकार के बजट, नये कानून और नेपाली गजट में प्रकाशित आपातकालीन प्रावधानों की उपलब्धता आसान है। लेकिन जब नेपाल की घरेलू राजनीति से जुड़ी खबरों की बात आती है तब प्रेस और पत्रकारों पर नियंत्रण लगा दिया जाता हैं। वैसे तो राष्ट्र के भीतर पत्रकारों को विवादित घटनाओं और राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित घटनाओं को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता दिया गया है। साथ ही नेपाली सेना द्वारा उग्रवादियों या राजनीतिक हिंसक समूहों के खिलाफ किए गए कार्यवाही से संबंधित घटनाओं के प्रकाशन पर उचित नियंत्रण है। सूचना प्रदाता और राजनायिक समुदाय अविश्वसनीय सूचना प्रदान करते है और

---

[60] ibid.
[61] ibid

मीडियाकर्मी स्रोतों या साधनों की कमी के कारण अपनी प्रमाणिकता सिद्ध करने में सफल नहीं होते है। नरेश और रक्षा शक्तियां पत्रकारों के खबर से बाहर की संस्था है। देश के अंदर विश्वसनीय और रूचिकर सूचनाओं की कमी के कारण मीडिया मुख्य रूप से समाचार संस्थाओं पर निर्भर करते है। जबकि नेपाल में नरेश परिवार और उनकी गतिविधि के खिलाफ प्रकाशित किसी भी समाचार के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया गया हैं।[62]

संपूर्ण राष्ट्र में चल रहे माओवादी आन्दोलन के समर्थन या पक्ष में प्रकाशन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही प्रेस पर यह भी प्रतिबंध लगाया गया है कि वह नरेश द्वारा दिए गए किसी कार्यवाही को आलोचित नहीं किया जाएगा। जैसा कि उप्रेती ने कहा है कि "मनमानी शासक सदैव पत्रकारों को डराते है।" फ्रेंच तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि "मैं सौ या हजार सैनिकों की तुलना में एक पत्रकार ज्यादा डरता हूं।" सोवियत संघ का शासक खुश्चेव पत्रकारों और इतिहासज्ञों के लिए एक आंतक था। वह इन्हें बिल्ली बुलाता था। वह कहता था ये चुहों की तरह ही विभिन्न छेदो और कोनों से सार्वजनिक संस्थाओं और राज्य नौकरशाही और तथ्यों और कार्यो पर प्रभाव डालकर सरकार को अस्थिर कर देते है और वह यह भी कहता था कि इन्हें सार्वजनिक मामलों से तथा राज्य नौकरशाही से दूर रखना चाहिए।[63] ये घटनाएं नेपाली प्रेस के लिए भी पूर्णतः सत्य सिद्ध होते है। नेपाली मीडिया के सामने मुख्यत: निम्न समस्याये है।

(अ) 2001 में जारी नेपाल के सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ स्टेटिसटिक्स के अनुसार देश में सिर्फ 53.7 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित है[64] जो नेपाली मीडिया के लिए चुनौती है। अर्थात् इससे देश में पत्र और मीडिया उत्पादों का जागरूकता के अभाव के कारण कम विक्री है।

---

[62] ibid

[63] Prem Uprety, "Media and Democracy", *The Weekly Telegraph*, Kathmandu, Wednesday, 10 December 2003

[64] "Statistical Pocket Book:Nepal 2002", (Kathmandu: Central Bureau of Statistics, 2002), p. 4

(आ) सबसे बड़ी चुनौती नेपाली मीडिया के सामने इस क्षेत्र में कुछ अभिजन वर्ग का आधिपत्य है जिससे खोजी पत्रकारिता के लिए प्रतिस्पर्द्धा नहीं हो पा रही है। यह वर्ग राजनीतिक दल से नजदीक से जुड़े हुए है जिससे एक पक्षीय दृष्टि से रहते हुए समाचार प्रकाशन करते है।[65] अर्थात् नेपाल में मीडिया को अधिक निवेश योग्य बनाकर गुणवतापूर्ण बनाते हुए खोजी बनाना चाहिए।

(इ) 1990 के बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना के बाद से अभी तक नेपाली सामाजिक -आर्थिक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। नेपाली तराई में रहने वाले मधेशी लोगों के विकास पर ध्यान न देना जैसी घटनाए वहां पर एक विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी है। जिससे नेपाली सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा बन गया है। साथ ही 1996 से माओवादी आन्दोलन का प्रारंभ होना भी सामाजिक आर्थिक विकास ये बाधक सिद्ध हो रहा है। ये सब मिलकर नेपाली मीडिया को उचित कार्य करने देने में बाधक हो रहे है।[66]

(ई) नेपाली मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती नरेश रहा है। 1948 के राणा शासन के बाद से ही नरेश वहां पर समय–समय पर लोकतंत्र विरोधी कार्य करता रहा है। चाहे वह 1962 ये पंचायती शासन लगाना रहा हो या जन आन्दोलन के दौरान, 2001 में, 2004 और 2005 में आपातकाल लगाना रहा है। इन सभी समयों पर नरेश ने शाही सेना के माध्यम से पूरे देश में दमनात्मक कार्यवाही किया। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रद्द कर दिया गया तथा प्रेस तथा प्रकाशन पर भी सख्त नियंत्रण लगा दिया गया।[67]

(उ) भौगोलिक रूप से भी नेपाल में सूचनाओं के आदान प्रदान में बाधा रहती है। काठमाण्डु से दूर पहाड़ी क्षेत्रों घटित घटनाओं को प्राप्त करने के लिए मीडिया को

---

[65] Prattyush Onta, no 2 , p.267

[66] Hiranya Lal Shrestha, "Mission of Journalism: Democracy and Peace", Tuesday, September 14, 2004, Paper Presented at a Seminar organised by the Editor' Society of Nepal in cooperation with FES Nepal on "Democracy, Conflict and Press Freedom", on March 28th 2001, at Radisson Hotel, Kathmandu, Nepal, pp.1-2

[67] Hussain Naqi, ed, "Safma Report 2004", (Lahore: Free Media Foundation, 2003), p. 65

उचित यातायात का साधन उपलब्ध नहीं हो पाता है। उदाहरणस्वरूप कांतिपुर समाचार पत्र माओवादियों से संबंधित घटनाओं को प्राप्त करने में हेलीकॉप्टर का प्रयोग करता है।[68]

(ऊ) नेपाल में संपादक और प्रकाशक किसी न किसी राजनीतिक दल से या उसके विचारधारा से जुड़े रहते है जिससे वे दलहित में समाचार प्रकाशन करते है और सत्य घटनाओं पर प्रकाश नहीं डाल पाते है। यह नेपाली मीडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है।[69]

(ए) 1996 से लेकर अभी तक नेपाल में लगभग 10,000 लोग मारे जा चुके है। जिससे पत्रकार, नागरिक और सुरक्षा गार्ड और माओवादी सम्मिलित है। अर्थात् मीडिया के सामने इस तरह की हिसांत्मक गतिविधियां बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने उत्पन्न हुई है।[70]

(ऐ) नेपाली मीडिया के सामने एक मुख्य चुनौती प्रशिक्षण का अभाव रहा है क्योंकि नेपाल में पत्रकारिता कार्यक्रम चलाने वाले संस्थान नहीं है। इसके फलस्वरूप समाचार प्रकाशन करने वाले संस्थान खुद ही अपने मीडियाकर्मियों को प्रशिक्षित करते है। यह प्रशिक्षण कार्य बहुत अल्पकाल के लिए ही होता है। क्योंकि इस पर प्रकाशक का या मालिक का काफी समय और पैसा खर्च होता हैं।[71]

(ओ) एक अन्य चुनौती मीडिया क्षेत्र में असमानता का होता है। नेपाली मीडिया जगत में अधिकतर कर्मी बाहुन-क्षेत्री-नेवार क्षेत्र के पुरुष ही है जबकि मधेशी क्षेत्र के लोग महिलाए, और जनजातियों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है जिससे मीडिया द्वारा इन पिछड़े लोगों की तरह ध्यान नहीं दिया जाता है।[72]

---

[68] P. Kharel, no. 7 , p.29
[69] ibid, p. 65
[70] ibid, p. 65
[71] Dhruba Hari Adhikari, n.3 , p. 616
[72] C. K. Lal,no. 10, p.8

मीडिया संबंधित संस्थाये और संगठन

नेपाल के प्रजातांत्रिकीकरण में मीडियातंत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है इसमें सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों के संस्थाओं और संगठनों ने महत्वपूर्ण स्थान है। 2001 तक वहां पर निम्न संस्थाएं और संगठन कार्य कर रहे थे।[73]

(1) मीडिया संस्थायें (**Media Institutions)**

- Ministry of information and communications
- Press Council
- Publishing Houses
- Journalist Association/ Unions
- Media NGOs
- Training Institutes
- Radio Nepal
- NTV – Nepal Television
- National News Agency (RSS)
- Internet Service Providers

(2) पत्रकारसंगठन और संघ **(Journalist Asociation/ Unions)**

- Federation of Nepalese Journalist – FNU
- Nepal Photo Journalist Association – led by Nemarg Shreshtha
- Rastriya Photo Patrakar Samuha Nepal _ led By Min Bajarcharya
- Federation of Nepalese Publishers and Editors
- Nepal Press Union
- Editor's Society
- Literacy Journalist Association
- Cartoonist Club of Nepal Chair- Durga Baral (Batsyayan)
- Nepal Working Journalists Association
- Broadcasting Association of Nepal

[73] " Media Institutions ", Friedrich Ebert Stiftung, Nepal Office, no, 2, September 14, 2004, see www.nepaldemocracy.org/shrestha/14_9_2004.html

(3) प्रकाशन भवन (Publishing Houses)

- Kantipur Publication
- Himal Associtiations
- Kamana Publication
- Space Times Publication

(4) मीडिया संबंधित गैर सरकारी संस्थाऐ (Media NGOs)

- Nepal Federation of Environmental Journalists – NEFEJ
- Institute of Human Rights Communication, Nepal (IHRICON)
- Society of Environment Journalists, Nepal (SEJ-Nepal)
- Himal Association
- Sancharika Smuha (SAS)
- Editors Guild Nepal
- Communication Corner
- Center for Human Rights and Democratic Studies (CEHURDES)
- Press Chautari
- Reporters Club
- Nepal Chalachithra Samachiyak Samaj
- World View International
- Nepal South Asian Sports Journalists
- Population and Environment Journalists Society
- National Press Club of Nepal
- Journalism Development Society Nepal
- Everest Press Club
- Media Services International (MSI)
- Martin Chautari

(5) प्रशिक्षण संस्थाये (Training Institutes)

- T.U., Ratna Rajya Laxmi Campus
- Nepal Press Institute (NPI)
- Media Point
- Communication Corner
- Institute of Professional Journalist
- Institute of Mass Communication

अध्याय 5

निष्कर्ष

प्रजातंत्र का नाम लेते ही सबसे पहले 'जनता' याद आती है। प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता द्वारा संचालित किया जाता है। प्रजातंत्रिक शासन व्यवस्था में जनता खुद शासक और शासित दोनो होती है। प्रजातंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता, अधिकार और स्वायत्तता सम्मिलित रहता है क्योंकि जनता इन सबका अनुभव प्रजातंत्र के अंतर्गत ही करती है। प्रजातंत्र में ऐसा भी होता है कि जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था में भाग न लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में भाग लें। प्रजातंत्र में जनता की भागीदारी निश्चित होनी चाहिए। यदि किसी देश में जनता को शासन व्यवस्था में भाग नहीं लेने दिया जाय और कहा जाए कि उन्हें सभी तरह की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान कर दिया गया है तो वह शासन व्यवस्था वास्तविक स्तर पर प्रजातांत्रिक नहीं होगा। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतियोगिता, अवसर की समानता, सार्वजनिक मताधिकार, नागरिकों को आधिकार, एवं स्वतंत्र न्यायपत्रिका जैसे महत्वपूर्ण तत्वों के साथ संचार व्यवस्था का स्वतंत्र और उत्तरदायित्व होना सम्मिलित है।

प्रजातंत्र के अंतर्गत मतदान आचरण से लेकर शासन व्यवस्था तक सभी संचार व्यवस्था द्वारा प्रभावित होता है। यदि संचार के साधन अर्थात् रेडियो, टी.वी तथा समाचार पत्र स्वतंत्रतापूर्वक कार्य न करें तो जनता में जागरूकता का प्रवाह नहीं हो पाएगा। इसके अभाव मे सरकार भी अपने प्रजातांत्रिक निर्णयों को जनता तक नहीं पहुंचा पाएगा। यदि सरकारी निर्णयों को किसी तरह जनता तक पहुंचा भी दिया गया तो इस निर्णय का जनता से पुनर्निवेश संभव नहीं होगा। प्राचीन काल से ही सूचनाओं का आदान–प्रदान होता रहा है। इसके लिए संचारक की आवश्यकता होती थी जो पहले किसी एक व्यक्ति द्वारा होता था। आधुनिक समय में विभिन्न प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर विश्व का समाचार छण भर में प्राप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में यह

कहा जा सकता है व्यक्ति के विचार और अभिव्यक्ति पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता हैं। यदि लगाया गया तो वह शासन व्यवस्था एक प्रजातंत्र विरोधी शासन व्यवस्था कहलाएगी।

नेपाल में प्रजातंत्र की स्थिति बहुत डांवाडोल और अस्थिर रही है। संचार व्यवस्था तथा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नेपाल में राणा शासन के दौरान सामने तो आया लेकिन एक दयनीय स्थिति में। राणा शासक प्रेस के विकास को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे बल्कि अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए इस संस्था का प्रयोग करना चाहते थे। 1846 से लेकर 1948 तक नेपाल में प्रिन्ट मीडिया सामने तो आयी लेकिन क्रूर राणा शासन विरोध कभी आवाज नहीं उठा पाया। यदि किसी संचार माध्यम ने आवाज उठाई तो तुरन्त प्रतिबंध लगाकर प्रकाशन/संपादक तथा पत्रकारों को गिरफ्तार कर कठोर से कठोर दण्ड दिया गया। राणा विरोधी आन्दोलन को बढ़ावा देने वाले पत्र भारत के विभिन्न शहरों दार्जिलिग, देहरादून, बनारस, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ आदि से इस दौरान प्रकाशित किए जाते रहें। इन पत्रों में पर राणा शासन और ब्रिटिश शासन के बीच सुदृढ़ संबंध होने के आधार पर प्रतिबंध लगाया जाता रहा है। नेपाली जनता में जागरूकता भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से काफी प्रेरित रही है। भारत में जब 1947 में स्वतंत्रता की घोषणा किया गया तो नेपाली कांग्रेस तथा अन्य नेपाली राजनैतिक दलों ने इसका स्वागत करते हुए नेपाली तानाशाह शासक राणा से भी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक जन आन्दोलन चलाया। इस दौरान मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और जनता ने भी बढ़–चढ़कर इस आन्दोलन में हिस्सा लिया। 1948 में देश में एक संविधान का निर्माण किया गया जिसमें जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। परन्तु ये अधिकार सिर्फ कागज पर ही घोषित किए गए थे। इन्हें हकीकत में कभी भी लागू नहीं किया गया।

1948 में संविधान के प्रावधानों की राणा शासक द्वारा अवहेलना के बाद देश में विरोध के स्वर तेजी के साथ उभरे। इसके फलस्वरूप 1951 में "दिल्ली समझौता" हुआ

जिसमे भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। देश में 1951 में एक 'अंतरिम संविधान की घोषणा किया गया जिसमें नागरिकों को मौलिक अधिकार तो प्रदान किया गया। लेकिन साथ ही एक निरंकुश शासन व्यवस्था को हटाकर दूसरे को बैठा दिया गया। अर्थात् राणा शासकों को हटाकर नरेश त्रिभुवन को देश का औपचारिक शासक घोषित कर दिया गया। इसी दौरान देश में प्रेस और प्रकाशन अधिनियम पारित किया गया। संचार नीति बनाने के लिए भी घोषणा किया गया था। इन सबके बाद नरेश ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए प्रेस की स्वतंत्रता को कुचल दिया।

1959 में नेपाल में पुनः संविधान निर्माण किया गया। इन संविधान में भी नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए। इसके अंतर्गत नेपाल में प्रथम बार बहुदलीय प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर चुनाव हुआ और एक प्रजातांत्रिक सरकार का गठन किया गया। किन्तु यह केवल 18 महीने तक रह सका। सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और संविधान को रद्द कर दिया गया। यह संविधान देश में लागू भी नहीं हुआ कि नरेश ने इसे रद्द कर दिया और 1962 में पंचायती शासन व्यवस्था लागू कर दिया। नरेश ने इस दौरान कहा कि नेपाल अभी प्रजातंत्र के लिए पूर्णतः उचित देश नहीं है। 1950 से 1960 तक देश की राजनीतिक दृश्य बहुत असंमजस वाली स्थिति में रही जिसमें वहां पर नौकरशाही की केन्द्रीकरण शक्ति में वृद्धि, भ्रष्टाचार, और राजनीतिक दलों की स्वार्थी कार्यवाही चलती रही।

1962 में पंचायती व्यवस्था की स्थापना के साथ ही देश में 1990 तक विभिन्न अधिनियम के माध्यम से देश में प्रेस और प्रकाशन संबंधी कानून बनाए गए। 1962 में नरेश ने कहा कि "जन भलाई" के नाम पर प्रेस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जबकि बाद के अन्य अधिनियमों में देश की सुरक्षा, राष्ट्र के प्रति द्वैष फैलाने के कारण या फिर नरेश और राजघराने के विषय में कुछ नकारात्मक समाचार प्रसारण पर रोक लगाने के व्यवस्था किया गया था।

1962 से 1990 के बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना तक देश में मीडिया को अलग–अलग तरीकों से परेशान किया जाता रहा है। इस दौरान प्रकाशक, संपादक

और लेखक/पत्रकारों को शारीरिक और आर्थिक दण्ड प्रदान किया गया। जन आन्दोलन के दौरान तो साधारण जनता पर बर्बरतापूर्वक कार्यवाही किया गया था। इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रद्द कर देश में आपातकाल लगा दिया गया। इस आपातकाल की आड में नागरिकों को प्रताड़ित किया जाता रहा। प्रजातंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर निरंकुशतापूर्वक प्रहार किया जाता रहा। लेकिन इस मीडिया ने प्रजातंत्र की स्थापना के लिए इस आन्दोलन को भरपूर समर्थन दिया। नरेश ने इन्हीं सब आधार पर देश में प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास किया था। इन सबके बावजूद 1990 में नेपाल में प्रताजांत्रिक आन्दोलनकारियों की विजय हुई और बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक मीडिया ने बहुमुखी विकास तो किया है लेकिन राजनीतिक अस्थिरता, नरेश के हस्तक्षेप और माओवादी आन्दोलन के कारण अपना कार्य करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया हैं।

1990 के बहुदलीय प्रताजंत्र की स्थापना के बाद नेपाली मीडिया देश में एक स्वतंत्र जन शक्ति के रूप में उभरी। 1992 में "कांतिपुर" जैसे निजी पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। जिसके कारण मीडिया क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गयी। मीडिया नयी तकनीक का प्रयोग कर वैश्विक रूप देने में लग गयी। लेकिन 1996 में नेपाली सीपीएन (माओवादी) की हिंसात्मक गतिविधि के कारण नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ–साथ प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रश्नचिन्ह लग गया। 1996 से लेकर आज तक माओवादी क्रांतिकारियों ने देश के अन्दर साधारण जनता से लेकर मीडियाकर्मियों और सुरक्षा कर्मीयों को अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए निशाना बनाया है। मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में माओवादी तब से लेकर आज तक सक्रिय हैं। समाचार पत्रों पर हर प्रकार के दबाव के बावजूद, नेपाल में कई पत्र–पत्रिकाओं ने माओवादी हिस्सा का खुलकर भर्त्सना किया है। साधारण जनता माओवादी और सरकारी सेना के बीच की लड़ाई में कैसे अमानवीय यातनाएं झेल रही है, उसकी चर्चा पर्याप्त मात्रा में मीडिया ने दिखाया है।

नेपाली मीडिया 1990 के बाद से आज तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण भी दिक्कतो का सामना कर रही है। जो भी दल इस दौरान सत्ता में आया उसने सरकारी मीडिया संबंधित संस्थाओं का दुरूपायेाग अपने हित में पंचायती व्यवस्था की तरह ही किया। "नेपाल संवाद समिति"", और "गोरखा पत्र संस्थान" जैसी संस्थाएं शासक दल के कार्यकर्ता या सगे संबंधियों के लोगों द्वारा भर दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप देश में उचित समाचार का प्रवाह न होकर शासक दल प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में मीडिया की निश्पक्षता और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

नेपाली मीडिया के सामने जो मुख्य समस्या है वह है संरचना का अभाव। देश में प्रशिक्षण संस्थाओं, पत्रकार संगठनों और आर्थिक संरचना का अभाव जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1990 के दशक में ये समस्याएं नेपाली मीडिया के सामने होने के साथ ही इस क्षेत्र प्रतिस्पर्द्धा का अभाव रहा है। ऐसा सरकार की वैधानिक प्रावधान, मीडिया क्षेत्र की उदासीनता तथा जनता में जागरूकता का अभाव के कारण हुआ है। मीडिया इन दिक्कतों का सामना करते हुए उचित ढंग से कार्य करने में तब तक सफल नही होगी जब तक कि इस क्षेत्र को उदार बनाते हुए, उदारीकरण, निजीकरण और व्यावसायीकरण नहीं किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप देश में प्रिन्ट मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रोनिक मीडिया एक शक्ति के रूप में उभरेगी। जनता की आवाज खुद जनता तक, सरकार तक तथा विश्व समुदाय तक पहुंचेगी। नेपाली जनमत विश्व जनमत के साथ संपर्क मे आएगी जिससे जागरूकता का विकास होगा।

नेपाली बहुदलीय प्रजातंत्र (जो 1990 से प्रारंभ हुआ है) पर 2001 से नरेश द्वारा आपातकाल के माध्यम से हमला किया जाना, नेपाली नागरिकों के अधिकारों के साथ–साथ बहुदलीय संसदात्मक प्रजातंत्र को हटाने की सजिश की तरह है। 2001 से लेकर 1 फरवरी 2005 तक क्रमशः आपातकाल लगाया जाता रहा है। इस आपातकाल के दौरान सबसे पहले नागरिकों के अधिकारों को छीना गया। इसमें विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण रही है। इस आपातकाल का देश में व्यापक

रूप से विरोध हुआ। जिसमें मीडिया ने अपनी भागीदारी महत्वपर्ण ढंग से निभायी। नरेश ने पत्रकारों, संपादकों और प्रकाशकों के खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल में डाला, आर्थिक जूमाना लगाया और प्रकाशन का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। नागरिकों के जुलूस और शांतिपूर्ण विरोध को भी सुरक्षा शक्ति के माध्यम से कुचला गया। इस दौरान नरेश द्वारा सरकारी मीडिया का प्रयोग बखुबी अपने हित में किया गया है। 1 फरवरी, 2005 में लगाए गए प्रतिबंधों को तो आंशिक रूप से हटा लिया गया है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। नरेश द्वारा मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता देते हुए उसे अपनी गतिविधियां संचालित करने देने में ही जनता तथा देश का भलाई है।

नेपाली मीडिया विदेशी मीडिया से प्रतिस्पर्द्धा करने में तब तक सफल नहीं सकती जब तक कि उसे यातायात की सुविधा, आर्थिक सहयोग और उदार वैधाानिक नियम-कानून के तहत स्वतंत्रता प्रदान न किया जाए। नेपाल में मीडिया प्रशिक्षण का अभाव पाया जाता है जिससे वहां गुणवत्तापूर्ण कर्मचारी और पत्रकार यथेष्ठ संख्या में नहीं मिल पाते है। सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारो कदम बढ़ाते हुए देश में संचार व्यवस्था में निवेश किए जाने की आवश्यकता है। नेपाल सरकार एक निश्चित मापदण्ड बनाकर निजी क्षेत्र के साथ ही विदेशी क्षेत्र को भी भागीदार बनाया जाना चाहिए।

नेपाली मीडिया क्षेत्र देश के अन्दर असंगठित रूप से अपनी गतिविधियां संचालित करता रहा है। "नेपाली पत्रकार महासंघ" जैसे संगठन 1990 के दशक में जरूर बने लेकिन उतने प्रभावक नहीं रहे जितना होना चाहिए। 2001 से लागू आपातकाल के बाद से नेपाली मीडिया से जुड़े लोगों को परेशान किया जाता रहा है जिसके विरोध में मीडिया क्षेत्र सामने जरूर आया लेकिन थोड़े समय बीतने के बाद, नरेश के दमनात्मक कार्यवाही के सामने वह हारकर सशक्त प्रतिरोध करने में असफल रहा। नेपाल के पत्रकार संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार संघ तथा अन्य देशों के पत्रकार संघों के साथ मिलकर मीडिया विरोधी गतिविधि की आलोचना करते हुए प्रजातंत्र के लिए आन्दोलनरत लोगों के आवाज को मुखर किए जाने की आवश्यकता है। फरवरी 2005 में घोषित आपातकालिन स्थिति के विरोद्ध में इस संघ ने काफी हद

तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकत्रित करने तथा नरेश विरोधी आवाज उठाने में सफसलता प्राप्त किया है। इसके माध्यम से देश में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए सूचना के अधिकार को प्राप्त किया जा सकता है।

जॉन स्टुअर्ट मिल कहता था कि राष्ट्र के अन्दर नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि इसके माध्यम से सत्य बाते ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट होकर समाज के सामने आती है। वह कहता था कि राष्ट्र कि अन्दर सभी व्यक्ति (चाहे वह सनकी हो, या फिर अल्पबुद्वि का) को यह अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि सौ व्यक्ति में से 99वें व्यक्ति गलत हो लेकिन सौवा व्यक्ति एक महान व्यक्ति हो सकता है। जैसे कभी सुकरात और प्लेटों को भी सनकी कहा गया था लेकिन आज सभी लोग इन महान आत्माओं को जानते है। नेपाल में यदि सरकार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दमन करेंगी तो वह खुद उसी के लिए हानिकारक होगा। उदाहरण स्वरूप 1990 के बाद स्थापित प्रजातांत्रिक सरकारे शासन में क्यों नहीं रूक सकी ? क्योकि वह लोग अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहे और जनता के अधिकारों और उनके कल्याण पर ध्यान नहीं दिए। नेपाली मीडिया में इन राजनैतिक दलों के स्वार्थी एवं जनविरोधी कार्यों पर एक संगठित और सुचारू ढंग से समाचार प्रकाशित कर जनता तक पहुंचाया। प्रजातंत्र के नाम पर राजनैतिक दलों ने अपना स्वार्थ कैसे पूरा किया, इन सभी बातों को मीडिया ने ही स्पष्ट ढंग से जनता के सामने रखा। जिसके कारण 2001 से आज तक वहां पर एक बार फिर राजतंत्र सत्तारूढ़ होकर दमनात्मक कार्यवाही कर रहा है। अर्थात प्रताजांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता पहले आनी चाहिए न कि अपनी निजी हित या स्वार्थ।

उपरोक्त बातों से एक बात सामने आती है कि जब नेपाली प्रजातंत्र ही संकट में है तो मीडिया कहा से स्वतंत्र हो सकती है। नेपाल में "प्रजातंत्र के लिए मीडिया" या "मीडिया के लिए प्रजातंत्र" जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जब तक प्रजातंत्र की स्थापना नहीं होगी तब तक मीडिया भी अपनी गतिविधि स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर

सकेंगी। प्रजातंत्र स्थापना के लिए मीडिया को खुलकर प्रजातंत्रिक समर्थन में आने के साथ ही निरंकुश नरेशशाही शासन व्यवस्था का विरोध करना होगा। अन्यथा जनता की आवाज एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक देश से दूसरे देश तक नहीं पहुंच पाएगी। प्रजातंत्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर नेपाली जनमत ज्यादा जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे, साथ ही यह आशा किया जाना चाहिए कि नरेश 21वीं शताब्दी को नेपाल को लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए खुद सामने आएगे। उनके सामने ब्रिटिश शासन का उदाहरण है जहां जनता आज भी नरेश के प्रति राजभक्ति प्रदर्शित करते हुए, प्रजातंत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रही है।

नेपाल में मीडिया के क्षेत्र में सुधार किए जाने की नितांत आवश्यकता है जिससे वह प्रजातांत्रिकीकरण के हर चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। राष्ट्र की एकता, अखण्डता और सम्प्रभुता की रक्षा करते हुए देश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अपनी दबी हुई आवाज के उत्तरदायित्वपूर्ण बनाते हुए अधिक गुणवत्तापूर्ण तथा मुल्यवान बना सके। अर्थात् नेपाल में अनेको क्षेत्र में सुधार किए जाने की आवश्यकता है जिससे प्रिन्ट मीडिया के साथ ही जनता अपने मौलिक अधिकारों का उपभोग कर सके। नेपाल में बिन्दुगत रूप से निम्न बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हैः

(क) उचित संसाधन के माध्यम से मीडिया संगठनों की मजबूती और मीडिया द्वारा प्रशासनिक शोध संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के संगठनो के साथ संबंध बनाकर उचित ढंग से कार्यवाही किया जाना चाहिए।

(ख) मीडिया द्वारा आत्मनियमन करते हुए पेशागत संगठनों के माध्यम से अपनी आवाज को मजबूती प्रदान करना।

(ग) मीडिया से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नई तकनीक और संचार व्यवस्था का उपयोग किया जाना।

(घ) नेपाली प्रजातंत्र की स्थापना कर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए तथा उसकी रक्षा किया जाए।

(ड.) मीडिया क्षेत्र में प्रशासनिक हस्तक्षेप खत्म करना।

(च) विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर एक प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल का निर्माण करने के साथ ही घरेलू क्षेत्र के मीडिया के हितो पर भी ध्यान दिया जाना।

(छ) देश में माओवादी, नरेश और राजनीतिक दलों के बीच एक बांध का काम करते हुए मीडिया क्षेत्र द्वारा शांति प्रक्रिया में भाग लेना।

(ज) देश के अन्दर चल रहे प्रजातांत्रिक आन्दोलन का समर्थन करने के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रजातंत्रिक अधिकारों के लिए चल रहे आन्दोलनों का मीडिया क्षेत्र द्वारा समर्थन देना।

(झ) पिछले एक दशक से चल रहे हिंसक दौर का अंत कर जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा, संस्कृति और अन्तर्राष्ट्रीय समाज से संपर्क स्थापित करना।

हिमालय के तराईयों में स्थित यह देश (नेपाल) आज जरूर संकटो का सामना कर रहा है लेकिन यदि मीडिया संबंधित उपरोक्त बातों पर ध्यान दिया जाए तो शायद नेपाल विश्व मानचित्र पर एक आदर्श देश के रूप में फिर उभर कर आयेगा। मीडिया के माध्यम से नेपाल को एक शांतिपूर्ण देश बनाते हुए इसे आदर्श राजतंत्रीय बहुदलीय प्रजातंत्र की स्थापना किया जाना चाहिए। साथ ही अधिकारों का दमन करने वाली किसी भी शक्ति के विरूद्ध आवाज उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका कार्यवाही में प्रिन्ट मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मीडिया आज के वैश्विक चुनौतियों (आतंकवाद, गरीबी, अशिक्षा,) को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपनी कार्यवाही कर सकती है।

(सन्दर्भ सूची)

Primary Sources

Address of the Prime Minister of Nepal, *Upon the Inaugaration of the Government of Nepal Act, 2004 BS,* (1948AD).

Amnesty International Report, *Human Rights Violations in the Context of Maoist People's War,* (London ,1997).

Amnesty International Report, *Nepal: A Spiraling Human Rights Crisis*, (London: 2002).

Amnesty International Report, *Nepal: Human Rights at a Turning Point,* (London, 1999).

Forty Points Demand of Maoists Party, Published in Dr. Baburam Bhattarai, Barta Ra Tatkalin Rajnitik Nikas Ko Prashna, (Kathmandu: Publication Department, Special Central Command, Press in CPN (Maoist), 1996).

H.M. King Mahendra, *On a new Era: Some Historic Addresses of H.M. Mahendra,* (Kathmandu: Department of Publicity, H.M.G, 1961).

His Majesty Government of Nepal" Available at website- www.nepalhmg.gov.np

His Majesty's Government National Planning Commission Secretariat, (Kathmandu: Central Bureau of Statistics, 2005).

HMG/N, Local Self-Governance Act, 2055 (AD 1999), (Kathmandu: Ministry of Law and Justice, LBMB, 1999).

HMG/N, National Commission on Population, Inter-regional Migration in Nepal: Problems and Prospects, (Kathmandu:1984).

Human Rights in Nepal: Status Report 2003 (Kathmandu :National Human Rights Commission, 2003).

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, (Kathmandu: Law Books Management Board, 1992).

"*IT Policy 2007 B.S.*", Nepal Telicommunication Authority, see, *www. Nepal telecommunication authority.htm*

"*IT Policy 2028 B. S.*", Nepal Telicommunication Authority, see, *www. Nepal telecommunication authority.htm*

"Statistical Pocket Book:Nepal 2002", (Kathmandu: Central Bureau of Statistics, 2002).

The Constitution of the Kingdom of Nepal, 1959, (Kathmandu: Ministry of Law and Parliamentary Management 1959).

The Interim-Government of Nepal Act 2007 (AD 1951) (Kathmandu, 1951)

The text of the Constitution of Nepal, 1948 (Effective from April 1, 1948)

Treaty of Peace and Friendship, (Kathmandu: July 31, 1950).

UNDP, Public Sector Management, *Governance and Sustainable Human Development,* (New York: UNDP, January 1995).

Secondary Sources

Books

Baral, Lok Raj, *Nepal's Politics of Referendum: A Study of Groups, Personalities and Trends*, (New Delhi, Vikas Publishing House, 1983).

---------- *Nepal Problems of Governance* (New Delhi, Konark Publishers, 1993).

---------- *The Regional Paradox: Essays in Nepali and South Asian Affairs*, (New Delhi: Adroit Publishers, 2000).

---------- (ed.), *Nepal: Political Parties and Parliament,* (New Delhi: Adroit Publishers, 2004).

Bista, Dor Bahadur, *Fatalism and Development: Nepal's Struggle for Modernisation,* (Patna: Orient Longman, 1999).

Bryce , James, *Modern Democracies* Vol. 1,(London: Macmillan, 1929).

Churchill, Robert Poul, ed. , *The Ethics of Liberal Democracy: Morality and Democracy in Theary and Practice*, (Oxford, USA:Berg Publishers,1994).

Chaturvedi, S. K., *Nepal: Internal Politics and its Constitutions*, (New Delhi: Inter India Publications, 1993).

Chauhan, R. S., *The Political Development in Nepal 1950 – 70: Conflict Between Tradition and Modernity* (New Delhi: Associated Publishing House, 1971).

----------*Politics in Nepal 1950 – 60,* (New Delhi: Kalinga Publications, 1993).

---------- *Politics in Nepal 1980 – 1991: Referendum, Stalemate and Triumph of People Power*, (New Delhi: Manohar Publishers, 1993).

----------, *Struggle and Change in South Asian Monarchies*, (New Delhi: Chetana Publications, 1977).

Chhetri, Anju, *Mainstream Media and Women Participation*, Patrakaritama Mahila Prashna, (Kathmandu: Nepal Press Institute, 2000).

'Chintan' Gopal Shiwakoti, *Nepalma Manawadhikar Tatha Kanooni Upachar,* (in Nepali), (Kathmandu: Tribhuwan Wishwawidyalay Manawadhikar Kendra, 2001).

Curran, James and Gurevitch, Michel,(ed.), *Mass Media and Society*, (Second Edition), (London: Arnold Publshers 2000).

D'souza, Frances, Carmel Bedford and Annlise Jespersen, *Information Freedom and Cencorship: World Report 1991*, (London: Library Association Publishing).

Dahal, Kashi Ram, *Constitutional Law* (Kathmandu: Pairavi Prakashan, 1992).

Dahal, Kashiraj, *Aam Sanchar Ra Kanoon,* (in Nepali), (Kathmandu: Nepal Press Institute, 2002).

Dahal, Ram Kumar, *Constitutional and Political Developments in Nepal* (Kathmandu: Ratna Pustak Bhandar, 2001).

Dahl, Robert A. *Poliyarchy:Participation and Opposition*, (New Haven: Yale University Press, 1971).

Devkota, Grishma Bahadur, Nepalko Chhapakhana ra Patra-patrika ko Itihas, (Kathmandu: Nepal' History of Printing Press and Newspapers, 1967).

Dean, Alger E., *The Media and Politics*, (New Jersey: Prentice Hall, 1989).

Dixit, Kanak Mani and Shastri, Ramachandra, (ed.), *State of Nepal*, (Lalitpur, Himal, 2002).

Friedrich, Carl J., *Constitutional Government and Democracy* (Calcutta: Oxford and IBH Publication, 1968).

Graber, Doris A (ed), *Media Power in Politics,* (New Delhi: Macmillan India Ltd., 1990).

Gellner, David N, Joanna Pfaff Czarnecka and Whelpton John, (eds.), *Nationalism and Ethnicity in a Hindu Kingdom: The Politics of Culture in Contemporary Nepal*, (Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1997).

Grover, Virendra (ed.), Encyclopedia of SAARC Nation, Nepal, (New Delhi: Deep & Deep Publication, 1997).

Guntur, Richard and Anthony (ed.), *Democracy and the Media: A comparative Perspective*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

Gupta, Anirudha, *Nepalese Interviews,* (New Delhi: Kalinga Publications, 1997).

Gurung, Harka, *Nepal: Social Demography and Expressions,* (Kathmandu: New Era, 1998).

Hagopian, Mark N., *Regimes, Movements and Ideologies: A Comparative Introduction to Political Science* (New York: Longman Publications, 1984).

Herman Edward S. and McChensney Robert W., The Global Media: New Missionaries of Corporate Capitalism, (New Delhi: Madhyam Publications, 1998).

Heywood, Andrew, *Key Concepts in Politics* (London: Macmillan Press, 2000).

Hutt, Michael, ed., *Nepal in the* Nineties, (New Delhi: Oxford University Press, 1994).

Jauhari, J. C., *Adhunik ik Vigyan ke Sidhhant,* (in Hindi), (New Delhi: Sterling Publishers Pvt Ltd).

Jha, Hari Bansh, *The Terai and National Integration in Nepal,* (Kathmandu: Centre for Economic & Technical Studies and Friedrich Ebert Stiftung, 1993).

Joshi, Bhuwan, Lal and Rose Leo E., *Democratic Innovations in Nepal* (Berkeley: University of California Press, 1966).

Khadka, Narayan, *Politics and Development in Nepal: Some Issues* (Jaipur: Nirala Publications, 1994).

Kharel, P., (ed.), *Media Nepal 2000*, (Kathmandu: Nepal Press Institute, 2001).

Kharel, P., (ed.), *Media Practices in Nepal,* (Kathmandu: Nepal Press Institute, 2001).

Kumar, Dhruba (ed.), *State, Leadership and Politics in Nepal,* (Kathmandu: CNAS, TU, 1995).

Kumar, Dhruba, (ed.), *Domestic Conflict and Crisis of Governability in Nepal* (Kathmandu: Center for Nepal and Asian Studies, 2000).

----------*Modern Nepal: A Political History 1769-1955*, (New Delhi: Manohar Publications, 1990).

Lama, Mahendra P.,*Thakur Chandan Singh,* (Monograph), (New Delhi : Sahitya Academy, 1997).

Manna ,B. and Naya Prakash, *Mass Media and Laws in India,* (Calcutta, Naya Prakrshan, 1998).

Muni, S.D., *Maoist Insurgency in Nepal: The Challenge and the Response*, (New Delhi: Rupa Publishers and Observer Research Foundation, 2003).

---------- *India and Nepal: A Changing Relationship*, (New Delhi, Konark Publishers, 1992).

---------- (ed), *Nepal: An Assertive Monarchy*, (New Delhi, Chetna Publications, 1977).

---------- S. D, *Maoist Insurgency in Nepal: The Challenges and the Response* (New Delhi: Rupa Publishers and Observer Research Foundation, 2003).

Muley Regina, Parekh, *S.A.V.E. Communication for Cooperation*, (New Delhi: Mudrit Pub. 1998).

Narula, Uma., *Mass Communication Theory*, (New Delhi: Gar Anand Publication, 1994).

Pai Panandikar, V. A., (ed.), *Problems of Governance In South Asia*, (New Delhi: Konark, 2000).

Pant, Shastra Dutta, *Comparative Constitutions of Nepal*, (Kathmandu: SIRUD, 1995).

Parmanand, *The Nepali Congress since its Inception,* (New Delhi: B R Publishing Corporation, 1982).

Patil, V.T., *Human Rights: Developments in South Asia*, (New Delhi, Author's Press, 2003).

Pradhan, Kumar, *The History of Nepali Literature*, (New Delhi : Sahitya Academy Publication,1982).

Phillips, Davidson W., *International Political Communication*, (New York, Washington, London: Fradrick A. Prager Publishers,1965).

Pye, Lucian W., *Communications and Political Developments*, (New Delhi.: Radhakrishna Publishers, 1963).

Randall, Vicky, ed., *Democratisation and the Media,* (London: Frank Cass, 1998).

Raeper, William and Hoftun Martin, *Spring Awakening*, (New Delhi: Viking Publishers, 1992).

Sharan, Dinanath, *Nepali Sahitya ka Itihaas*, (Patana: Bihar Hindi Granth Academy).

Sartori, Giovanni, *Democratic Theory*, (Calcutta: Oxford and IBH, Pub,Co,1968).

Stanyer, James "Politics and the Media: A Loss of Political Appetite", *Parliamentary Affairs*, 2002.

Sanwal, B.D., *Social and Political History of Nepal,* (New Delhi: Manohar Publishers, 1993).

Shaha, Rishikesh, , *Modern Nepal (Vol. 1 and 2),* (New Delhi: Manohar Publications, 1990).

Schumpeter, Joseph, *Capitilism ,Socialism and Democracy,*(New York: Harper,1947).

Sharma, P. D., *comparative Political Institutions*, (in Hindi),(Jaipur, New Delhi, Mumbai: Collage Book Depot, 1998).

Sharma, S.P. (ed.), *"Democracy and Press"*,(New Delhi: Radha Publications, 1996).

Sharma, Sam, *Democracy Without Roots* , (New Delhi: Book Faith India, 1998).

----------*Struggle and Change in South Asian Monarchies* (New Delhi: Chetana Publications, 1977).

Thapa, Deepak, *Understanding the Maoist Movement of Nepal,* (Kathmandu: Martin Chautari, 2003).

Thapa, Manju, *Women Presented in Media,* (Kathmandu: Asmita Women's Publishing House, 2000).

Thapilyal, Sangeeta, *Mutual Security: The Case of India-Nepal*, (New Delhi: Lancers Publishers & Distributors, 1998).

Thompson, T.B., *The Media and Modernity: A Social Theory of Media,* (London: Oxford-Polity Publishers, 1995).

Tripathi, Hari Bansh, *Fundamental Rights and Judicial Review in Nepal: Evolutions and Experiments* (Kathmandu: Pairavi Prakashan, 2002).

Vandenberg Andrew (ed.), *Citizenship and Democracy in a Global Era*, (New York: MacMillan Press, 2000).

Verma, Anand Swaroop, *Maoist Movement in Nepal*, (New Delhi, Samkalin Teesri Duniya, 2001).

Wilber, Scramm, *Mass Media and National Development: The Role of Information in Developing Countries*, (Stanford: Stanford University Press, 1964).

Wajpayee, Rama, *"Press Inside and Outside"*, (New Delhi: Kalpaz Publications, 2002).

Wanta, Pratyush and Parajuly, Ramesh, (ed.), *Mediako Chirfar: Kehi Samajik Sandarf,*(in Nepali), (Kathmandu: Martyn Chaudhri Sociel Development and Research Center, 2003).

----------(ed.), *Kshetriya Media: Wigat Ra Wartman,* (in,Nepali)(Kathmandu: Martyn Chaudhri Sociel Development and Research Center, 2002).

----------(ed.), *Mediako Antarwastu: Wiwidh Wishleshan*, (in, Nepali), (Lalitpur: Martyn Chaudhri Sociel Development and Research Center, 2002)

Articles

Adhikari, Bipin, "Role of the Supreme Court: Nepalese Perspective", *Essays on the Constitutional Law*, (Kathmandu: Nepal Law Society), 1991, vol.9.

Aditya, Anand, *Mass Media and Democratisation: A Country Study on Nepal* (Kathmandu: Institute for Intigrated Development Studies, 1996).

Albano, Terrie, "Nepal Faces Maoist and State Violence", *People's Weekly World Newspaper Online*, May 4, 2002, see www.pwww.org/article/view/1147/1/81

Baral, Lok Raj, "Nepal in 2001: The Strained Monarchy", *Asian Survey,* vol.42,no.1, January- February 2002.

----------"Nepal: search for a Prime ministerial System" *South Asia Politics*, vol.1, no.4, August 2002.

Bhattarai, Baburam, "Triangular Balance of Forces", *Economic and Political Weekly*, (Mumbai), November 16, 2002.

Acharya, Bimarjan, in Report of Netional Workshop on Media, Democracy and Human Rights in Nepal orgnised by SAFHR, FORAM-Asia in associated with INSEC and FNJ, (Kathmandu: South Asia Forum for Human Rights, November, 21-22, 2003).

Budhathoki, Shobhakar, "Conflict, Human Rights and Derailed Peace Process in Nepal", *Journal of Peace Studies*, vol. 10, issue 3, July – September 2003.

Chanda, Sudipta, "Parties Seethe at Deuba Ouster", *Statesman News Service*, October 5 2002.

Dhakal, Sanjaya "Is Nepal's Media Losing its Objectivity?", *One World South Asia*, April 21 2004, Kathmandu

Dahal, Rajendra, "Nepal's Remittance Bonanza", *Himal*, vol.13, no.2, February 2000

Dastidar, Mollica, "Nepal's Friendly Democracy", *Mainstream*, vol.35, no.52, 6 December 1997.

Dixit, Kanakmani, "Nepal: King and Parties", *Himal,* vol.16, no.6, June 2003.

Ghai, Yash, "Crisis Beyond Legality", *Himal*, November 2003.

Goswami, Arnab, "Nepal: Monarchy and Maoist", *World Today*, Vol.58, no.7, July 2002.

Gurung, Surya Kiran, "Parliamentary Practise and Procedure in Nepal", *Nepali Journal of Contemporary Studies*, Vol. II, No. 2, (Kathmandu), September 2002.

G. R. Awasthi and N. Kakshapati, "*Brief Scenario of The Kingdom of Nepal*", Paper Submited at Indian Institute of Mass Communication(IIMC), New Delhi, 2004

Hutt, Michael, "Drafting the 1990 Constitution", *Asian Survey*, vol.31, no.11, 1991, January 2003.

Jha, Nalini Kant, "Civil Strife in Nepal: Challenges and Road Ahead", *South Asia Politics*, June 2003.

Jose, M. R., "Today's Journalism : Bias, Glut Little Passion." *The Rising Nepal*, November, 3, 1996.

Katyal, K. K., "Media and Democracy and Peoples Rights", *Mainstream,* June 7, 2003.

Khanal, Y.N., " Nepal in 1997: Political Stability Eludes", *Asian Survey*, Vol. XXXVIII, No. 2 (February, 1998).

Kramer, Karl-Heinz, "Nepal in 2002: Emergency and Resurrection of Royal Power", *Asian Survey*, vol.43, no.1, January-February 2003.

---------- "Nepal in 2003: Another Failed Chance for Peace", *Asia urvey*, vol.44, no.1, January- February 2004.

Lal, C K, "Nepal's Quest for Modernity", *South Asian Survey*, vol.8, no.2, July-August 2001.

Lal, C. K, "Media and Governance", Seminar Paper Presented in Observer Research Foundation, New Delhi, November 10-12, 2003

----------, "Nepal's Maobaadi" *Himal,* November 2001.

Lawoti, Mahendra, "Nepal: Breakdown of Democracy", *Economic and Political Weekly*, vol.36, no.50, 15-21 December 2001.

Mackinlay. John, Bishnu Upreti, "The King and Mao", *The World Today,* Vol.59, no.2, February 2003.

Thapa, Manjushree, Hari Roka, *Nepal: Politics of Fragmentation,* Economic and Political Weekly, August 21-28, 1999. *Pakistan Horizon* (Islamabad), vol. 52, no. 2, April 1999.

"Media and Reconciliation in South Asia", *South Asia Free Media Association Conference –IV Report* (Lahore) November 20-21, 2004.

"100 Days of Tyranny in Nepal", Report of Asian Center for Human Rights, New Delhi, May 10, 2005.

"Media in South Asia", *Monthly Commentary on Indian Economic Conditions*, December, 2000.

Mishra, Birendra P., "Nepal: A Fragile Democracy", *South Asia Politics*, (New Delhi), May 2003.

Mishra, Birendra P., "Nepal: A Fragile Democracy", *South Asia Politics*, (New Delhi), May 2003.

Narayanan , K.R., "Media, Society and Polity", *Mainstream*, vol. Xxxv, n. 21,May 3,1997.

Naqi, Hussain, ed, "Safma Report 2003", (Lahore: Free Media Foundation, 2003), pp. 32-34

"Nothing New About Violation of Constitution by Monarchy: Former CJ", *The Kathmandu Post*, Kathmandu, Thursday, November 28 2002.

Newton, Kenneth, "Mass Media Effects: Mobilization or Media Malaise?", *International Political Science Review*, vol.29, 1999.

Pandey, Shri Nischal Nath, "Nepal's Maoist Movement and Implications for India", *USI Journal,* Jan- Dec, 2002

Paramanand, "Monarchy and Maoism", *The Statesman* (Kolkata), May 30, 2003.

---------- "Withered Democracy – II", Editorial, *The Statesman*, (Kolkata), February,20, 2004.

----------, "Crisis in Nepal – I", *The Statesman* (Kolkata), March 15, 2002.

Pattanaik, Smruti S., "Maoist Insurgency in Nepal: Examining Socio-Economic Grievances and Political Implications", *Strategic Analysis*, vol. 26, no. 1, January – March 2002.

Pradhan, Keshav, "State of Emergency declared in Nepal", *The Hindustan Times*, November 20, 2002.

Pradhan, Suman, "Citizenship Row Festers in Nepal", *Asia Time Online*, October 19 2001, see www.atimes.com

Ramsden, Grahem P, "Media Coverage of issues and Candidates: What Balance is Appropriate in a Democracy?" *Political Science Quarterly*, vol.III, no.1, 1996.

Rijal, Mukti, "Nepalese Constitutional Organs: Making the Ombudsmen Active", *Rising Nepal* (Kathmandu), 17 September 1996.

Roka, Hari, "Militarisation and Democratic Rule in Nepal", *Himal*, (Lalitpur), vol 16, no. 11, November 2003.

Subba, Kiran, "Media in Nepal: In the Grips of Politics: Independent Journalism, on whose term", *Media Forum*, Stockholm, March 7, 1999

Sekharan, Chandra S., "Is Nepal Still in Search of a Political Order: 1990 Constitution and Thereafter", *South Asian Analysis Group*, Paper No. 481, 24 June 2002.

Sharma, Gopal, "Emergency in Nepal", *Indian Express* (New Delhi), November 27, 2002.

Stanyer, James "Politics and the Media: A Loss of Political Appetite", (London), *Parliamentary Affairs*, 2002,

Shrestha, Shyam, " Nepali cart before horse", *Himal,* vol.10, no.5, September-October 1997.

"Statute – Framers for all-Party Government", *The Himalayan Times*, Thursday, July 31, 2003.

Sudhakar, Budhathoki, "Conflict: Human Rights and Derailed Peace Process in Nepal", *Journal of Peace Studies*, vol.10, no. 3, July-September 2003, p. 77.

Thapa, Ganga Bahadur, "Political Transition in Nepal: Whither Democratisation?" *Pakistan Horizon* (Islamabad), vol. 52, no. 2, April 1999.

Thapa, Manjushree, Hari Roka, *Nepal: Politics of Fragmentation,* Economic and Political Weekly, August 21-28, 1999.

Thapliyal, Sangeeta, "Mahakali Accord: An Integrated Approach to Develop Water Resources", *Strategic Analysis,*(New Delhi, Institute for Defence Studies and Analyses), June 1996

Upreti, B.C., "Nepal: In Search of Good Governance", *Asian Studies,* vol.19, no.2, July-December 2001.

Wadlow, Rene, "Nepal Watch: A Priority" *Tibetan Review*, vol.37, no.9, September 2002

News Papers

Deshantar (Kathmandu)

Hindustan, (New Delhi)

Jan Satta, (New Delhi)

National Herald, (New Delhi)

Nav Bharat Times, (New Delhi)

Rising Nepal, (Kathmandu)

The Asian Age, (New Delhi)

The Himalayan Times, (Kathmandu)

The Hindu, (Chennai & New Delhi)

Himal, (Kathmandu)

The Janadesh Weekly (Kathmandu)

The Kantipur (Kathmandu)

The Kathmandu Post, (Kathmandu)

The Pioneer, (New Delhi)

The Statesman, (Kolkata & New Delhi)

The Times of India, (New Delhi)

Web Pages

http://english.people.com.cn

http://web.amnesty.org

http://www.atimes.com

http://www.himalmag.com

http://www.mafqud.org

http://www.nepalnews.com

http://www.southasiamonitor.org/nepal

www.britishcouncil.org

www.cnn.com

www.kantipuraonline.com

www.mediajournal.org

www.orfonline.org